रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15—मई 21, 2004 (वैशाख 25, 1926)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15—MAY 21, 2004 (VAISAKHA 25, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 411

भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 499

भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 3

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 601

भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 439

भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 3599

भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III--खण्ड-4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 2407

भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 137

भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court. 411

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 499

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 601

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . * *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 439

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 3599

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2407

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 137

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2004

सं. 38-प्रेज/2004--राष्ट्रपति, आन्ध्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. महेश मुरालीधर भागवत, पुलिस अधीक्षक
2. जी. श्रीनिवास, अपर पुलिस अधीक्षक
3. बी. चिन्नी कृष्णा, डी.ए.सी.
4. के. ईश्वर राव, जे.सी.

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

पीपुल्स वार के शीर्षथ संगठनों जैसे एन.टी.एस.जैड.सी. और स्टेट पोलित ब्यूरो सदस्य चन्द्रना उर्फ पुलूरी प्रसाद राव, पोलेम सुदर्शन रेड्डी उर्फ रामाकृष्ण उर्फ आर.के., एन.टी.एस. जैड.सी. सदस्य और करीम नगर वेस्ट डिवीजन कमेटी सैक्रेट्री तथा पी.जी.ए. के 15 अन्य सदस्यों के त्रियानी और देवापुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रोमपल्ली और लक्ष्मीपुर गांवों के बीच घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र तथा कुरेगाड़ा, नलकीपाथरा, राली रिजर्व वन और थिरुमालापुर पहाड़ियों में उपस्थित होने के बारे में 24.03.2003 को सूचना मिली। श्री महेश मुरालीधर भागवत, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक अदिलाबाद ने उप निरीक्षक वारंगल रैंज और अपर पुलिस अधीक्षक (एस.आई.बी) जी. श्रीनिवास के साथ सूचना पर विचार-विमर्श किया और 3 ग्रे-हौन्ड स्पेशल एसाल्ट यूनिट की 7 पार्टियों और 4 डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पार्टियों को मिलाकर पी.डब्ल्यू. उग्रवादियों को निष्क्रिय करने के लिए एक योजना तैयार की। चूंकि सूचना से पता लगता था कि पी.डब्ल्यू. का यह ग्रुप फैमिन रेड या रानीतिक कार्रवाई जैसे बड़े अपराध करने की योजना बना रहा है। श्री भागवत ने एक एसाल्ट यूनिट का नेतृत्व किया जिसमें ग्रे-हौन्ड के श्रीनिवास, अपर पुलिस अधीक्षक, एस.आई.बी., श्री चिन्नी कृष्णा, डिप्टी एसाल्ट कमांडर शामिल थे, ताकि आपरेशन की कमान सही ढंग से की जा सके। गौडी आदिवासी भाषा जानने वाला कांस्टेबल, जो पहले आत्मसमर्पण कर चुका एक आतंकवादी था, को प्रत्येक पार्टी के साथ लगाया गया ताकि भू-भाग की अच्छी जानकारी मिल सके। सभी पार्टियों को 24.03.2003 की देर रात को ए.आर. बेलमपल्ली और त्रियानी पुलिस स्टेशन से रवाना किया गया और तलाशी अभियान रात को ही शुरू कर दिया गया। अगले दिन अर्थात् 25.3.2003 को, श्री जी. श्रीनिवास, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मार्निंग पार्टी-II ने बिरानीलू जैसी पहाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी, जो लक्ष्मीपुर गांव के पश्चिम में दो से तीन किलोमीटर दूरी पर और एक स्थायी जल स्रोत है। उसी समय इन्होंने चावल के कुछ ताजे दाने देखे और इन्हें वहां किसी बाहरी व्यक्ति के होने का संदेह हुआ। लगभग 8.15 बजे पूर्वाह्न को, बिरानीलू और मुकिदी पोच्चमा गुट्टा के बीच क्षेत्र की तलाशी लेते समय श्री भागवत ने मुकिदी पोच्चमा गुट्टा में स्टीनलेस स्टील के एक टिफ्फन बॉक्स पर, सूर्य की रोशनी की चमक देखी और कुछ व्यक्तियों की गतिविधियां भी देखी। श्री भागवत, पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एक आकस्मिक योजना बनाई, पार्टी को दो भागों में विभाजित किया, एक का नेतृत्व श्री भागवत, पुलिस अधीक्षक ने चिन्नी कृष्णा, डिप्टी असाल्ट कमांडर और ग्रे-हौन्ड के 11 जूनियर कमांडो के साथ स्वयं किया और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व श्री जी. श्रीनिवास, अपर पुलिस अधीक्षक (एस.आई. बी.) ने, शेष ग्रे-हौन्ड सीनियर और जूनियर कमांडो और सिविल उप निरीक्षक तथा कांस्टेबल के साथ किया। श्री भागवत, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पहली टुकड़ी ने पूर्वी दिशा से मुकिदी पोच्चमागुट्टा पर चढ़ना शुरू किया जबकि श्रीनिवास के नेतृत्व में दूसरी टुकड़ी ने गुट्टा के दक्षिण-पश्चिम दिशा को कवर करते हुए कट आफ ग्रुप की तरह काम किया। जब पार्टी पहाड़ी के ऊपर लगभग पहुंचने ही वाली थी तो उग्रवादियों ने, जो संख्या में लगभग 15 थे, श्री भागवत के नेतृत्व वाली पार्टी को देख लिया और ए.के. 47, एस.एल. आर., 303 राइफल जैसे स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। श्री भागवत, पुलिस

अधीक्षक के नेतृत्व वाली टुकड़ी पर उग्रवादियों ने पहले गोलीबारी की। इस टुकड़ी के पास उपयुक्त कवर नहीं थी, इसलिए जमीन पर कवर लेते हुए इस टुकड़ी ने उग्रवादियों की भारी गोलीबारी का जबाव देते हुए रेंगते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। श्री भागवत निर्भीकता से गोलीबारी करते रहे। इसी तरह, श्रीनिवास के नेतृत्व वाली दूसरी टुकड़ी, जो अपनी सभी सीमाबद्धता के बावजूद दूसरी तरफ से पहाड़ी के ऊपर पहुंच गइ और देखा कि उग्रवादी ए.के. 47, एस.एल. आर., 303 राइफलों जैसे स्वचालित राइफलों से महेश भागवत, पुलिस अधीक्षक, अदिलाबाद के नेतृत्व वाली दूसरी पार्टी पर गोलियां चला रहे हैं। श्रीनिवास के नेतृत्व वाली दूसरी टुकड़ी ने गोलियां चलाईं और उग्रवादियों, जिन्होंने उस दिशा की तरफ भागने की कोशिश की और इस टुकड़ी पर आत्मरक्षा में गोलीबारी की। श्री भागवत को और इनकी पार्टी को देखने पर उग्रवादियों ने अपने लिए रास्ता बनाने हेतु हथगोल फेंकना और क्लेमोर माइंन का विस्फोट करना शुरू कर दिया और उन पर स्वचालित राइफलों से गोलियां चलाईं। श्री जी. श्रीनिवास, विपरीत परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए बहादुरी से दुर्दान्त उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे: श्रीनिवास के नेतृत्व वाली टुकड़ी और महेश भागवत के नेतृत्व वाली टुकड़ी, दोनों टुकड़ियां मोर्चा सम्भालते हुए और फील्ड स्टाफ का नेतृत्व करते हुए, गोलीबारी कर रहे उग्रवादियों के साथ लगातार लड़ते रहे और उग्रवादियों ने पहले, श्री बी. चिन्नी कृष्णा डिप्टी असाल्ट कमांडर के नेतृत्व वाली टुकड़ी पर गोलियां चलाईं। इस टुकड़ी ने बिना किसी उपयुक्त कवर के जमीन पर कवर लेकर रेंगते हुए उग्रवादियों की भारी गोलीबारी का जबाव देते हुए पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। श्री कुरुल्ला ईश्वर राव, जूनियर कमांडो ने यह देखने पर कि पहाड़ी के ऊपर से उग्रवादियों द्वारा गोलियां चलाई जा रही है बिना किसी उपयुक्त कवर के जमीन पर कवर लेते हुए तत्काल रेंगते हुए पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना शुरू कर दिया और उग्रवादियों को भारी गोलीबारी का जवाब भी देते रहे। श्री ईश्वर राव निर्भीकता के साथ गोलियां चलाते रहे। लगभग गोलीबारी 30 मिनट से अधिक समय तक जारी रही, जिसमें चन्द्ररना और रामाकृष्णा उर्फ आर.के. के नेतृत्व में प्लाटून आफ पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी (पी.जी.ए.) ने दोनों टुकड़ियों का कड़ा मुकाबला किया। गोलीबारी बंद होने के बाद जब पुलिस पाटी ने उस क्षेत्र की तलाशी ली तो उन्हें वामपंथी उग्रवादियों के चार शव मिले। बाद में यह समझा गया कि पुल्लुरी प्रसाद राव उर्फ चन्द्ररना, एन.टी.एस.जैड.सी. सदस्य और स्टेट पोलिस ब्यूरो सदस्य के नेतृत्व वाला दूसरा ग्रुप पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाकर भाग गया। इन चार शवों की पहचान (1) पोलेम सुदर्शन रेड्डी उर्फ रामाकृष्ण उर्फ आर.के. निवासी मोगलीचरिया गांव, गीरुगोडा मंडल, वारंगल जिला, नोर्थ तेलागना स्पैशल जोनल कमेटी (एन.टी.एस.जैड.सी.) के सदस्य और करीमनगर वेस्ट डिवीजन कमेटी सैक्रेटरी, जिसे सिर पर 10 लाख रु. का इनाम था और जो 114 सदस्यों सहित 1042 अपराधों, 5 पुलिस स्टेशनों पर हमले और 2 बड़े विस्फोटों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 14 पुलिस कार्मिक मारे गए थे, के रूप में (2) मैं अकनेपल्ली नारासिंहा उर्फ सुदर्शन पुत्र मलियाह निवासी करीमनगर जिले के कोनारोपेट (एम.) के गांव इग्लासपुर, पी.जी.ए. 9वीं प्लाटून सेक्शन कमांडर (जिस पर 3 लाख रु. का इनाम था) (3) माडवी यादव राव उर्फ रविन्दर निवासी परवथीगुडा (v) सिरपुर (यू) (एम) पोलुरी प्रसाद राव उर्फ चन्द्रना का गनमन, एन.टी.एस.जैड.सी. सदस्य जिस पर 20000 रु. का इनाम था) (4) पेन्दूर बुईजी राव उर्फ भारथ, निवासी रोमपल्ली (v) थ्रियानी (एम.) अदिलाबाद जिला, सदस्य गोपरा एल.जी.एस. के रूप में हुई। इस गोलीबारी में दो .303 राइफलें, दो एस.बी.बी.एल. गन, एक चीन निर्मित माऊजर पिस्तौल, आईकोम कम्पनी का एक मैन-पैक, ए.के.-47 राइफल की दो भरी हुई मैगजीन, एक सैल फोन और बड़ी मात्रा में पार्टी साहित्य भी बरामद हुआ। यह मुठभेड़ वारंगल से अदिलाबाद जिले तक पूरे उत्तरी तेलंगाना में सी.पी.आई. (एम.एल.) पी. डब्ल्यू. के लिए एक बड़ा भारी आघात साबित हुई, क्योंकि निजामाबाद करीमनगर पश्चिमी डिवीजन के डिवीजनल कमेटी सेकेरेट्री और एन.टी.एस.जैड.सी. सदस्य, सैकड़ों राजनैतिक हत्याओं के लिए जिम्मेवार थे तथा वे अनेक बार गोलीबारी से बच निकले थे, अन्तत: इस मुठभेड़ में मारे गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री महेश मुरालीधर भागवत, पुलिस अधीक्षक, जी. श्रीनिवास अपर पुलिस अधीक्षक, बी. चिन्नी कृष्णा, डी.ए.सी. और के. ईश्वर राव, जे.सी.ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं। तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 मार्च 2003 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 39 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. मृणाल तालुकदार, ए.पी.एस., एस.डी.पी.ओ.
2. नीला सेना सिंह, कान्सटेबल
3. जीतेन्द्र बासुमतारी, कान्सटेबल
4. चांद माहम्मद अली, कान्सटेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

23.4.2003 को ओ0/सी0, बिजनी पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि अत्याधुनिक हथियारो से लैस उल्फा उग्रवादियों का एक ग्रुप, अपने केम्पस के लिए राशन एकत्रित करने के लिए बिजनी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गांव बारपथर में आएगा । ओ0सी0 ने मामले के बारे में पुलिस अधीक्षक बोंगईगांव को सूचित किया और पुलिस अधीक्षक तत्काल बिजनी पुलिस स्टेशन गए और श्री मृणाल तालुकदार, एस.डी.पी.ओ., श्री शम्भू कुमार, सहायक कमान्डेन्ट, बी/118 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्री अफतावुद्दीन अहमद, सी0आई0 बिजनी और ओ0सी0 बिजनी पुलिस स्टेशन, के साथ आपरेशनल प्लान पर विचार-विमर्श किया । योजनानुसार, 1615 बजे एक संयुक्त अभियान चलाया गया । पार्टी, लगभग 1915 बजे बारपथर पहुंची । जब ये बारपथर में बाजार की तरफ पैदल जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि 4/5 लोग, उल्टी दिशा से, सड़क के साथ-साथ उनकी तरफ आ रहे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति के हाथ में टार्च-लाईट है । यह सन्देह होने पर कि यह उग्रवादियों का ग्रुप है, श्री मृणाल तालुकदार, ए.पी.एस., एस.डी.पी.ओ. ने अपने कार्मिकों को सड़के के किनारे मोर्चे पर लगा दिया और घात लगाई । जैसे ही संदिग्ध ग्रुप नजदीक आया, उप निरीक्षक (यू.बी.) महेन्द्र राजखोवा ने उन्हें जांच और सत्यापन के लिए रूकने को कहा । लेकिन वह ग्रुप उनके निदेशों की परवाह न करते हुए नजदीक के जंगल की तरफ भागा और पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी की और उग्रवादियों ने जल्दी-जल्दी एक के बाद एक, तीन हथगोले पुलिस और सुरक्षा बलों पर फेंके । लेकिन सौभाग्य से कोई भी पुलिसमैन घायल नहीं हुआ । पुलिस पार्टी ने भी आत्म रक्षा में तत्काल जवाबी गोलीबारी की । जब भीषण गोलीबारी हो रही थी, तब श्री तालुकादार, ए.पी.एस., एस.डी.पी.ओ. ने स्थिति का युक्तिपूर्ण मूल्यांकन किया और अपने पी.एस.ओ. नामत: यू.बी.सी./202 जीतेन्द्र बासुमतारी, पी.आर.सी. 666, चांद माहम्मद अली और पी.आर.सी. कान्सटेबल 395 नीला सेना सिंह, की मदद से, उस स्थान और दिशा का पता लगाया जहां से उग्रवादी गोलियां चला रहे थे । अपने जीवन को भारी खतरे में डालते हुए, वे उग्रवादियों की पोजीशन की तरफ बढ़े और उग्रवादियों के आमने-सामने आ गए और इससे पहले कि उग्रवादी कोई कार्रवाई कर पाते, एस.डी.पी.ओ. और तीन पी.एस.ओ. ने फुर्ती दिखाते हुए अपने-अपने हथियारों से गोलियां चला दी । इसी बीच, एक उग्रवादी ने अपने पाऊच से एक ग्रेनेड निकाला और इसको पुलिस कार्मिको पर फेंकने का प्रयास किया लेकिन पी.एस.ओ. ने तेजी से उग्रवादी पर गोलियां चलाई और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । हथगोला, उग्रवादी के हाथ में फट गया, अन्यथा इससे पुलिस कार्मिक निश्चित रूप से मारे जाते । मुठभेड़ आधा घंटे तक जारी रही । तथापि, अन्य उग्रवादी अन्धेरा और जंगल का फायदा उठाते हुए उस स्थान से भागने में सफल हो गए । मारे गए उग्रवादी की पहचान विपुल नाथ उर्फ निहार राय, गोव-पुराकोला, थाना-बिजनी, जिला-बोंगईगांव, के रूप में हुई । श्री तालुकादार, एस.डी.पी.ओ.

ने तीन कान्सटेबलों के साथ अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों, जिसमें छोटी से गलती भी उनके लिए घातक हो सकती थी, में धैर्य बनाए रखा और उच्च कोटि का साहस और व्यवसायिकता का परिचय दिया । क्षेत्र की गहन तलाशी में मैगजीन के साथ एक 7.62 एम.एम. चीन निर्मित पिस्तौल, सक्रिय गोलाबारूद के साथ 7.62 एम.एम. के 6 राऊन्द, कुछ फोटोग्राफ, अभिशंसी दस्तावेज, 1800 रू0 नगद, एक हीरो बाईसाईकल, एक आर.टी. सेट (अलिको मेक) और एक ग्रेनेड पाऊच बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री मृणाल तालुकादार, ए.पी.एस., एस.डी.पी.ओ., नीला सेना सिंह, कान्सटेबल, जीतेन्द्र बासुमतारी, कान्सटेबल और चांद माहम्मद अली, कान्सटेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 अप्रैल, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 40 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. महेन्द्र राजखोवा, उप निरीक्षक
2. कंग्कणज्योति सैकिया, ए.पी.एस., अपर पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

4.4.2003 को पुलिस अधीक्षक, बोंगईगांव को अपने सूत्र से सूचना मिली कि अधुनातन हथियारों से लैस 10/12 उल्फा उग्रवादियों के एक ग्रुप ने बिजनी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गांव-सिलखागुडी, लाब्डोनगुडी, बोरगांव और लासगांव में शरण ले रखी है । पुलिस अधीक्षक ने तुरंत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 118वीं बटालियन के कमाडेंट, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया और एक अभियान की योजना बनाई । इन्होंने अधिकारियों और बल कार्मिकों को उपयुक्त रूप से ब्रीफ किया । योजना में अलग घेराबन्दी और तलाशी पार्टियां उद्धिष्ट की गई । योजना के अनुसार, पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 4 और 5 अप्रैल, 2003 के बीच की रात को संयुक्त तलाशी और छापा अभियान चलाया गया । चार गांवों की घेराबंदी, 2400 बजे पूरी कर ली गई । पुलिस अधीक्षक बोगईगांव की कमान में संदिग्ध मकानों की तलाशी शुरू की गई और जिसमें 5.4.2003 को लगभग 0130 बजे, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 118वीं बटालियन के कमान्डेन्ट ने उनकी सहायता की । जब 0330 बजे घर-घर की तलाशी ली जा रही थी, श्री कंग्कणज्योति सैकिया, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय और उप निरीक्षक महेन्द्र राजखोवा, जो पूरा नदी के नजदीक गांव संख्या 1 सिल्खागुड़ी में घर की तलाशी ले रहे थे, पर उल्फा उग्रवादियों ने हमला कर दिया । उग्रवादियों ने, जो 12/13 थे, हथगोले फेंके और पुलिस तथा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की । पुलिस ने आत्मरक्षा में तत्काल जबावी गोलीबारी की । पुलिस और सुरक्षा बल, श्री सैकिया, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और उप निरीक्षक राजखोवा के नेतृत्व में शस्त्र से पूरी तरह से लैस उग्रवादियों के साथ बहादुरी के साथ लड़े । लगभग 20/25 मिनट तक भीषण गोलीबारी होती रही । श्री सैकिया और उप निरीक्षक राजखोवा की मेहनत रंग लायी जब 4 उल्फा उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारे गए । मारे गए उल्फा उग्रवादियों की पहचान बाद में (1) दिपुल बरूआ उर्फ सुरजीत भारली (2) दीपक राय (3) नोगेन मेधी और (4) प्रकाश राय उर्फ राजेश राय के रूप में हुई । अन्य उग्रवादी अंधेरे और घने जंगल की आड़ में भाग निकले । श्री सैकिया, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय और उप निरीक्षक, राजखोवा ने इस अभियान में अत्यधिक साहस और व्यवसायिक कुशलता का परिचय दिया । उनकी छोटी सी चूक उनके लिए और उनके साथ के अन्य पुलिस कार्मिकों के लिए घातक हो सकती थी ।

मारे गए उग्रवादियों के कब्जे से निम्नलिखित वस्तुए बरामद की गई:-

1. 7 राऊन्द गोलाबारूद के साथ एक .22 बोर रिवाल्वर ।
2. दो चीन निर्मित ग्रेनेड ।
3. ए.के. राइफल के चले हुए कारतूस-7
4. लगभग 2 किलोग्राम उच्च टी.एन.टी. विस्फोटक पदार्थ ।
5. बी.आर.पी.एल. का एक मानचित्र ।
6. पाच कम्बल, एक शाल, एक जेकिट इत्यादि ।

जांच-पड़ताल के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि उल्फा उग्रवादी, बोगईगांव रिफाईनरी और पेट्रो केमीकल्स लि0, धालीगांव, एक कई करोड़ों की परियोजना को उड़ाने और पुलिस और सुरक्षा बलों पर, उनके स्थापना दिवस 7 अप्रैल, 2003 को हमला करने के लिए सिल्खागुड़ी में रूके हुए थे ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री महेन्द्र राजखोवा, उप निरीक्षक और कंगकणज्योति सैकिया, ए.पी.एस., अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 अप्रैल, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 41 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री भूपेन चन्द्र दास,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुलिस स्टेशन गोलकगंज के अन्तर्गत गांव-तोली भाग-II में उल्फा के ठिकाने के बारे में 20.1.2002 को गुप्त सूचना, मिलने के बाद उप निरीक्षक भूपेन चन्द्र दास ने थाना-स्टाफ और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पार्टी के साथ इस गांव में अकबर अली अहमद के घर पर छापा मारा । उल्फा उग्रवादियों ने पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पार्टी पर अन्धाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी । उप-निरीक्षक भूपेन चन्द्र दास ने तेजी से कार्रवाई की, मोर्चा सम्भाला और अपनी पार्टी को तत्काल जवाबी कार्रवाई के लिए तैनात किया । इनकी कुशल कमान में पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिक तुरंत सक्रिय हो गए और भीषण मुठभेड़ हुई । गोलीबारी, लगभग आधे घंटे तक जारी रही और इसके परिणामस्वरूप 4 (चार) कट्टर उल्फा उग्रवादी नामत: रजनी दास, दिपेन डेका, जगत नाथ और प्रसेन नाथ मारे गए । मुठभेड़ स्थल से एक ए.के.-56 राइफल, एक एम.-20 चीन निर्मित पिस्तौल, एक वायरलैस सेट बरामद हुआ । मारे गए उल्फा उग्रवादी अनेक जघन्य अपराधों में वांछित थे और इनके मारे जाने पर क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली । श्री भूपेन चन्द्र दास ने सेवा की उच्चतम परम्परा को बनाए रखते हुए अपने जीवन को भारी जोखिम में डाल कर अदम्य साहस का परिचय दिया ।

इस मुठभेड़ में, श्री भूपेन चन्द्र दास, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 जनवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 42 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री अमरेन्द्र बोरगोहेन,
पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।</u>

8.5.2003 को यह सूचना मिलने पर कि उल्फा उग्रवादी फिरौती और राशन एकत्र करने के लिए भूटान कैम्प से नीचे पुलिस स्टेशन बिजनी के तहत बारपत्थर गांव को आ रहे हैं; श्री अमरेन्द्र बोरगोहेन ने आर.जी.एस.एच. सहोता, सी.ओ. 118 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ तत्काल एक आपरेशनल प्लान बनाया और आवश्यक बल के साथ मोटर साइकिलों पर बारपत्थर के लिए रवाना हुए । बारपत्थर पहुंचने पर पुलिस पार्टी को कोई उग्रवादी नहीं मिला और इन्होंने वापस आने का निर्णय लिया । वापसी में लगभग 1400 बजे ये लोग अम्भर नदी के समीप गांव- अम्भरगांव में 6/7 उग्रवादियों द्वारा लगाई गई घात में फंस गए, जहां, पर उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी के सदस्यों को मारने के लिए सुरक्षा बलों पर अधुनातम हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी । उग्रवादियों ने 2 (दो) हथगोले भी फेंके । पुलिस अधीक्षक जो एक मोटर साइकिल पर पीछे बैठे हुए थे, उग्रवादियों की गोलियों की पहली बौछार से बाल-बाल बच गए । टुकड़ियों को तत्काल आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करने के लिए मोर्चा सम्भालने, घेराबंदी करने और उग्रवादियों पर जवाबी हमला करने का आदेश दिया गया । पहले कुछ मिनटों में उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की, जिससे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कान्सटेबल जख्मी हो गए । श्री बोरगोहेन और श्री सहोता, शेष बल के साथ रेंगते हुए आगे बढ़े और इन्होंने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए लगभग 5 फुट गहरी नदी को तैर कर पार किया । बल को आगे बढ़ते देख, उग्रवादियों ने रुक-रुक कर गोलीबारी करते हुए पीछे हटना शुरू किया और जंगलों का फायदा उठाकर भाग गए । 30 मिनट तक चली भीषण गोलीबारी में श्री बोरगोहेन ने ए.के. श्रेणी की राइफल से 6 राउन्ड गोलियां चलाईं जो उग्रवादियों में से एक को लगी । गोलीबारी रुकने पर क्षेत्र की तलाशी ली गई और एक अज्ञात उग्रवादी का गोलियों से छलनी हुआ शव मिला । बाद में शव की पहचान सुबल महान्ता, पुत्र गोपा महत्ता, गांव-हेंगइरडारमन, पुलिस स्टेशन मुकलमुआ, जिला नलबाड़ी और प्रतिबन्धित उल्फा संगठन का स्वयंभू सैकिन्ड लेफ्टिनेन्ट के रूप में हुई । श्री अमरेन्द्र बोरगोहेन और श्री आर.जी.एस.एस. सहोता, सी.ओ. 118 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भारी खतरे की स्थिति में भी धैर्य बनाए रखा और असाधारण साहस और व्यावसायिकता का परिचय दिया । मृत उग्रवादी से एक 9 एम0एम0 फैक्टरी निर्मित स्वचालित पिस्तौल, इसका 20 राउन्ड गोलाबारूद, एक चीन निर्मित हथगोला, 7000 रु0 नगद, 11 निष्क्रिय कारतूस, कुछ अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री अमरेन्द्र बोरगोहेन, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मई, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 43 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मधुकर राजाराम शिन्दे (मरणोपरान्त)

सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11.03.2003 की सुबह, सूरत शहर के उमरा पुलिस स्टेशन के सतर्कता दस्ते के सहायक उप निरीक्षक मधुकर राजाराम (बकल सं0 1082), उधना भगदल्ला चौकी क्षेत्र में गश्त और निगरानी ड्यूटी पर थे। लगभग 12.45 बजे, देशी पिस्तौल (तमंचा) और चाकू से लैस तीन लुटेरे, श्री मणिलाल प्रभुदास पटेल द्वारा दुकान सं0 9, द्वितीय तल, वैभव परिसर उधना मगदल्ला रोड़ पर चलायी जा रही फाईनेन्स कम्पनी के कार्यालय में पहुंचे और श्री मणिलाल प्रभुदास पटेल और इनके पुत्र तेजस से नगद और कीमती वस्तुओं की मांग की। तेजस ने इनकी मांग का विरोध किया और एक लुटेरे को दबोचने की कोशिश की, उसने नज़दीक से अपने तमंचे से गोली चलाकर उसे मार दिया। शोर-शराबे के कारण जैसे ही लोग बाहर एकत्र होने लगे, लुटेरों ने भागना शुरु कर दिया। एक बदमाश नामतः अनिल विपिन मिश्रा ने तमंचे के साथ अम्बिका इन्डस्ट्रीयल सोसायटी की तरफ भागना शुरु किया जबकि दो शेष नामतः संजय गौड़ और चन्दन रामप्रवेश पासवान ने गोव[illegible] चार रास्ता की तरफ भागना शुरु कर दिया। भीड़ ने उन्हें दबोच लिया। इसी बीच, सहायक उप निरीक्षक मधुकर राजाराम शिन्दे ने, अनिल विपिन मिश्रा का पीछा किया, जो तमंचे सहित भाग रहा था और इस कारण लोग उसका पीछा करने से डर रहे थे। सहायक उप निरीक्षक ने निशस्त्र होने के बावजूद अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और इस लुटेरे का तब तक पीछा करते रहे जब तक कि वह एकदम अंतिम छोर पर नहीं पहुंच गया। सहायक उप निरीक्षक शिंदे को डराने के लिए लूटेरे, मिश्रा ने अपने तमंचे से गोली चलाने का नाटक किया लेकिन सहायक उप निरीक्षक शिंदे इससे विचलित नहीं हुए और उन्होंने लुटेरे को पकड़ने का पक्का इरादा किया हुआ था। इस लुटेरे को निशस्त्र करने के लिए सहायक उप निरीक्षक शिंदे ने उसके हाथ पर निशाना साधकर एक पत्थर फैंका, लेकिन यह सही निशाने पर नहीं लगा। इस आपा-धापी में लुटेरे मिश्रा ने अपने तमंचे से सहायक उप निरीक्षक शिंदे पर गोली चलाई जो उनके सीने में बांयी ओर लगी। सहायक उप निरीक्षक, गोली लगने से गंभीर रुप से जख्मी हो गए और उन्होंने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस बल की कुमुक तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और इस लुटेरे को उस समय पकड़ लिया जब उसने स्वयं को नजदीकी स्थान पर एक स्नानघर में बंद कर रखा था। इस प्रकार से, सहायक उप निरीक्षक मधुकर राजाराम शिंदे ने, निशस्त्र होने के बावजूद, पुलिस आफिसर के नाते अदम्य साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और इसके निर्वहन में अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। सहायक उप निरीक्षक ने पुलिस बल के बहादुर सिपाही की तरह अपना [illegible]न्योछावर करके सर्वोच्च बलिदान दिया।

[illegible] सहायक उप निरीक्षक ने [illegible] साहस एवं उच्चकोटि [illegible]

[illegible] नियमावली के नियम 4[illegible] के अंतर्गत [illegible] दिया जा रहा है तथा फल[illegible]स्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 मार्च, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)

निदेशक

सं0 44 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. गुमाना राम, सहायक उप निरीक्षक (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2. युद्धवीर सिंह, हैड कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

राजबीर राठी, निवासी लखनमाजरा, जिला रोहतक (अब बहादुरगढ़, जिला झज्जर में रह रहा है) जो इलेनाबाद (जिला सिरसा) के एक डकैती मामले में संलिप्त था, को वर्ष 2001 में केन्द्रीय जेल, हिसार में रखा गया था । श्री विजय गुलाटी, जेल वार्डन उस समय उससे और उसके सहयोगी ईश्वर सिंह ब्राह्मन, निवासी धामाना, जिला सोनीपत से सख्ती से निपटे थे । राजबीर राठी को बाद में केन्द्रीय जेल हिसार से केन्द्रीय जेल रोहतक स्थानान्तरित कर दिया गया था जहां से उसने अपनी रिहाई करा ली थी । राजबीर राठी को श्री विजय गुलाटी, जेल वार्डन से रंजिश हो गई थी और इसलिए वह बदला लेना चाहता था । इसलिए उसने इस उद्देश्य के लिए अपने सहयोगी ईश्वर सिंह, निवासी धामाना, उपेश कुमार, निवासी चूलाना (रोहतक), विक्रम, निवासी भैंसवाल (सोनीपत), मनोज, निवासी मोर खेरी (रोहतक) और सतबीर सिंह उर्फ धिल्लू, निवासी गोच्ची, जिला झज्जर को इस काम पर लगाया । 7.4.2003 को उपर्युक्त व्यक्ति मारूती कार में हिसार आए । सतबीर और ईश्वर सिंह कार में ही रहे, जबकि अभियुक्त विक्रम, उपेश और मनोज जेल के नजदीक गए । उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे श्री विजय गुलाटी का इन्तजार किया, जिन्हें अपने सरकारी आवास से केन्द्रीय जेल हिसार में ड्यूटी के लिए आना था । जब श्री विजय गुलाटी "पीपल" के पेड़ के नजदीक पहुंचे तो सभी अभियुक्तों ने उन पर गोली चलायी और उन्हें घटनास्थल पर ही मार डाला । ई.एच.सी. गुमाना राम सं0 1413/सी.आई.ए. स्टाफ हिसार निगरानी ड्यूटी के लिए उपस्थित थे । घटना देखने पर, इन्होंने अपने जीवन के प्रति आसन्न खतरे की परवाह न करते हुए तुरन्त कार्रवाई की और एक शस्त्र अभियुक्त अर्थात उपेश कुमार को दबोच लिया । वे दोनों एक दूसरे से लगभग 4.5 मिनट तक भिड़ते रहे । तथापि, ई.एच.सी. गुमाना राम ने अभियुक्त को नहीं छोड़ा । अभियुक्त उपेश कुमार ने भी ई.एच.सी., गुमानाराम पर गोली चलाई जो उन्हें लगी और उनके शरीर के आर-पार हो गई । यह देखते हुए कि उनकी पकड़ ढीली हो रही है, अभियुक्त उपेश कुमार ने भागने की कोशिश की । कान्सटेबल युद्धवीर सिंह सं0 1206/एच.एस.आर., जिन्हें केन्द्रीय जेल हिसार से विचारणाधीन कैदियों को विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत करने के लिए रक्षक गार्द के रूप में तैनात किया गया था, केन्द्रीय जेल हिसार के मुख्य दरवाजे पर खड़े थे भी इस बीच मदद करने हेतु और ई.एच.सी. गुमाना राम को बचाने के लिए तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे । अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और समय की नाजुकता को भांपते हुए इन्होंने अपने शस्त्र से उपेश कुमार पर दो राउन्ड गोलियां चलाई । एक गोली अभियुक्त को लगी जो घटनास्थल से लगभग 125 गज दूरी पर गिर पड़ा । कान्सटेबल युद्धवीर सिंह ने दूसरे अभियुक्त का भी पीछा किया लेकिन नजदीक ही राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 10 से गुजर रहे लोगों की भारी भीड़ के कारण वे अधिक गोलियां नहीं चला पाए । परिणामस्वरूप, दूसरा अभियुक्त भागने में कामयाब हो गया । सशस्त्र अपराधियों पर काबू पाने में इस बहादुरीपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक अभियुक्त घटनास्थल पर ही पकड़ा गया और उससे दो सक्रिय और दो खाली कारतूसों के साथ, एक .38 बोर रिवाल्वर, बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री गुमाना राम, सहायक उप निरीक्षक और बुद्धबीर सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 अप्रैल, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 45 - प्रेस/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20 अक्तूबर, 2002 को निरीक्षक राजेन्द्र कुमार शर्मा को विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि उग्रवादी पूंछ जिले के डुंडक तथा सनाई क्षेत्र से गुजरने वाले हैं । इन्होंने तत्काल ही स्थानीय सुरक्षा बलों से संपर्क साधा तथा अपने कार्मिकों को इस प्रकार से तैनात किया कि उग्रवादियों के लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा । निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने कार्मिकों की कमान स्वयं संभाली तथा ज्योंही उग्रवादी नाका दल की रैंज में आए उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया । उग्रवादियों ने इस की परवाह न करते हुए भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी तथा कार्मिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की । दोनों तरफ से गोलीबारी के दौरान गोलियों की एक बौछार अधिकारी से कुछ ही इंच की दूरी से निकल गई तथा वे चमत्कारिक रुप से बाल-बाल बच गए । तथापि, अपनी जान की परवाह न करते हुए श्री शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया की और ठीक निशाने पर सटीक गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप एक उग्रवादी मारा गया तथा एक बुरी तरह घायल हो गया । घायल उग्रवादी को भी श्री शर्मा ने मार गिराया । इस कार्रवाई में तीन विदेशी उग्रवादी मारे गए जिनकी पहचान बाद में लश्कर-ए-तैयबा के अबू बिलाल, अबू अबरान तथा अबू सरन के रूप में की गई । मुठभेड़ स्थल से 2 एके-56 राइफलें, 5 ए.के. मैगजीनों सहित एक ए.के. 47 राइफल, 8 हथगोले बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 अक्तूबर, 2002 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 46 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अमित भसीन,
परिवीक्षाधीन पुलिस उप अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

ग्राम दोगिया गंजोड़े (रियासी) में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर 30.6.2003 को पुलिस थाना महोरे के स्टेशन हाउस आफीसर, पुलिस उप अधीक्षक (प्रोब0) श्री अमित भसीन के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी को घेराबंदी तथा तलाशी अभियान के लिए तैनात किया गया । जब पुलिस पार्टी उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ रही थी, तो छिपे हुए उग्रवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी की । श्री भसीन ने तत्काल अपनी टीम को पुनर्गठित किया तथा मकान को चारों ओर से घेर लिया । घिरे हुए उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने को कहा गया परन्तु उन्होंने गोलीबारी जारी रखी । आतंकवादियों ने एक लड़के, जिसका उन्होंने कुछ समय पहले अपहरण किया था, आड़ के रूप में प्रयोग किया । तथापि तुरन्त निर्णय तथा उपयुक्त कमान और नियंत्रण से एस एच ओ ने इस लड़के की जान बचा ली । एक हथगोला फेंकने के बाद आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी प्रारंभ कर दी तथा वे एक रोड की ओर भागे । पुलिस पार्टी ने प्रभावशाली ढंग से गोलीबारी का उत्तर दिया तथा उन्होंने एक घंटे की गोलीबारी के बाद जैश-ए-मोहम्मद संगठन से संबंधित पाकिस्तान के निवासी दो खतरनाक आतंकवादियों अबू फरमान तथा उमर फारूक का सफाया कर दिया । दो ए.के.-47 राइफलें तथा मैगजीनें, 145 राउन्ड, 2 हथगोले एच ई तथा एक वायर लैस सैट बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री अमित भसीन, परिवीक्षाधीन पुलिस उप अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 जून, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 47 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री दलीप कुमार,
पुलिस उप अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

21 सितम्बर 2002 को छाजला गांव के एक घर में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर मेन्दर के एस डी पी ओ श्री दलीप कुमार ने सेना के साथ अपने विशेष आपरेशन ग्रुप कार्मिकों को तत्काल संगठित किया तथा मकान को घेर लिया। श्री दलीप कुमार ने तलाशी अभियान की योजना भली भांति बनाई । जिससे उग्रवादियों को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला तथा उन्होंने समीप आती पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी । छापामार पार्टी ने गोलीबारी का जवाब दिया तथा वह प्रारंभ में ही एक उग्रवादी को मार गिराने में सफल हो गए जबकि अन्य अपराधियों ने भागने का प्रयास किया और मक्की की फसल में छिप गए । दोनों तरफ से देर तक गोलियां चलती रही । जिससे छापामार पार्टी के अधिकांश जवानों के पास गोला बारूद की कमी हो गई । यह देखकर कि सुरक्षा बल समीप आ रहे हैं तथा अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, मक्का के खेतों में छिपे आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी करके अपने छुपने का स्थान बता दिया । पुलिस उप अधीक्षक दलीप कुमार, अनुकरणीय साहस, दृढ़ निश्चय, तथा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मक्की की फसल में घुस गए और मक्की की फसल के बीच उग्रवादी का पीछा किया तथा गोली चलाई परिणामस्वरूप उग्रवादी मारा गया । पुलिस उप अधीक्षक दलीप कुमार द्वारा प्रदर्शित सूझ-बूझ तथा साहस अनुकरणीय था जिससे इस क्षेत्र में दो आतंकवादी मारे गए । मुठभेड़ स्थल से 2 ए.के. 56 राइफलें, 4 मैगजीन, 121 कारतूस, एक वायर लैस सैट तथा 2 पाउच बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, श्री दलीप कुमार, पुलिस उप अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 सितंबर, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 48 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. डा0 अजीत सिंह सलारिया, पुलिस उप अधीक्षक,
2. भारत भूषण, निरीक्षक,
3. प्रभुदयाल, पी एस आई

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

19.5.2003 को प्रातः 6 बजे ग्राम गजोट, माहोरे, ऊधमपुर के जंगल में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर एस डी पी ओ माहोरे, डा0 अजीत सिंह सलारिया की कमान में एक पुलिस पार्टी ने संदिग्ध क्षेत्र को घेर लिया । हमला करने वाली पार्टी ने जंगल की खोज-बीन प्रारंभ कर दी, आतंकवादियों के छिपने के स्थान के समीप पहुंचने पर उन पर भारी गोलीबारी की गई । उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए पुलिस पार्टी ने बिना किसी जवाबी कार्रवाई के उस क्षेत्र को घेर लिया । एस डी पी ओ ने घिरे हुए उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा परन्तु उन्होंने इसका उत्तर हथगोले फेंककर दिया । माहोरे के एस एच ओ ने चतुराई से उग्रवादियों को दूसरी ओर उलझाकर, उनका ध्यान बंटाए रखा । इसी बीच, अपनी तलाशी पार्टी के साथ एस डी पी ओ रेंग कर दूसरी ओर पहुंचे तथा बिल्कुल पास से गोली चलाकर आतंकवादियों को भौंचक्का कर दिया तथा दोनों आतंकवादियों को समाप्त कर दिया । बाद में, आतंकवादियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा संगठन के मोहम्मद साजिद उर्फ अबू हमजा, पुत्र मास्टर बशीर अहमद, निवासी ओकाड़ा, पाकिस्तान तथा अबू अब्दुल बशीर, निवासी गुजरांवाला (पंजाब), पाकिस्तान के रूप में हुई । मृतक उग्रवादियों के पास से 2 ए.के. राइफलें, 09 ए.के. मैगजीनें, 266 ए.के. गोली-बारूद, 3 हथगोले, एक वायरलैस सैट, 1000 रू0 की भारतीय मुद्रा तथा 10/- रू0 की पाकिस्तानी मुद्रा बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री डा0 अजीत सिंह सलारिया, पुलिस उप अधीक्षक, भारत भूषण, निरीक्षक और प्रभुदयाल, पी एस आई ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19.5.2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरुण मित्रा)

निदेशक

सं0 49 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और काश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राजेश्वर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक
2. मंजूर अहमद, एस जी सी टी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

चुन्टवलीवार, लार गन्दरबल क्षेत्र में लश्कर-ए-तैय्यबा संगठन के आतंकवादियों के ग्रुप की उपस्थिति और समीप के सुरक्षा बलों/एस ओ जी शिविर पर फिदायीन हमले की योजना बनाए जाने के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर पुलिस उप अधीक्षक (ऑप्स) गन्दर बल श्री राजेश्वर सिंह ने 10.9.2002 को आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए उस क्षेत्र को घेर लिया । मुगल मौहल्ला, चुन्टवलीवार में छिपे आतंकवादियों ने समीपवर्ती मक्का के खेत में पोजीशन ले ली तथा एस ओ जी पार्टी पर हथगोले फैंकना और गोलीबारी प्रारंभ कर दी । श्री राजेश्वर सिंह पुलिस उप अधीक्षक तथा एस जी कांस्टेबल मन्जूर अहमद सं0 840/14वीं बटालियन जे के ए पी, अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़े तथा भारी गोलीबारी के बावजूद आतंकवादियों के निकट पहुंच गए । इसी बीच, 5-आर आर, सीमा सुरक्षा बल तथा सी आर पी एफ की टुकड़ियां भी आपरेशन में शामिल हो गई । गोलीबारी दो घंटे तक चली । इस आपरेशन में दो विदेशी आतंकवादी मारे गए । मारे गए आतंकवादियों की पहचान तिलवत खान उर्फ कासिम, निवासी पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा का फिदायीन कमांडर तथा उसमान अफगानी, निवासी पाकिस्तान, फिदायीन के रूप में हुई । मुठभेड़ स्थल से 2 ए.के.-47, एक यू बी जी एल, 5 ए के मैगजीनें, 96- ए के सक्रिय राउन्ड, 1 राइफल ग्रेनेड, 2 हथगोले, एक मोराइफल, एन्टिना सहित एक वायरलेस सेट (क्षतिग्रस्त) बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री राजेश्वर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक और मंजूर अहमद, एस जी सी टी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 सितम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 50 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. गरीब दास, भा0पु0से0 पुलिस अधीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक का बार)
2. फारूक अहमद, कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

5.2.2003 को आतंकवादियों ने गुलाम मोहियुद्दीन शेख, निवासी खनबल, हन्डवाड़ा की हत्या के इरादे से उनके मकान पर हमला किया था । उन्होंने इनके नौकर मोहम्मद अकबर पर गोली चलाई जिसकी बाद में घावों के कारण मृत्यु हो गई । यह सूचना प्राप्त होने पर श्री गरीब दास, पुलिस अधीक्षक हन्डवाडा के नेतृत्व में पुलिस तथा 21 आर आर के कार्मिकों द्वारा एक संयुक्त आपरेशन चलाया गया तथा गुलाम मोहियुद्दीन शेख के मकान के चारों ओर घेरा डाला गया जहां उग्रवादी छिपे हुए थे । श्री गरीब दास, पुलिस अधीक्षक हन्डवाड़ा के नेतृत्व में एक तलाशी पार्टी तथा कांस्टेबल फारूख अहमद ने मकान के पिछवाड़े से भवन की सबसे ऊपरी मंजिल में प्रवेश किया तथा वहां से गुलाम मोहियुद्दीन सहित उनके परिवार के सदस्यों को बचा लिया गया । भवन की ऊपरी मंजिल को खाली करने के बाद तलाशी पार्टी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भूतल पर धावा बोला जहां उग्रवादियों ने उन पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाईं । श्री गरीब दास और उनकी पार्टी ने तुरंत पोजीशन ले ली उतनी ही भीषण तथा जवाबी गोलीबारी की और लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया जिसकी पहचान बाद में अब्दुल बहीद अफरीदी उर्फ अब्बू उम्मार, निवासी कोहाट पाकिस्तान के रूप में की गई। मृतक उग्रवादी के पास से एक ए.के. राइफल, 2 ए.के. मैगजीनें, 20 ए.के. राउन्द, एक पिस्तौल मैगजीन, 2 हथगोले 1 पाउच आदि बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री गरीब दास, भा0पु0से0 पुलिस अधीक्षक और फारूक अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 फरवरी, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 51 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मुकेश कुमार,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19.3.2003 को पुलिस थाना श्री गुफवाड (अनन्तनाग) के ग्राम लिवर में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस और प्रथम सैक्टर आर.आर. ने जिला विशेष शाखा अनन्तनाग के निरीक्षक मुकेश कुमार सं0 4091/एन जी ओ की कमान में एक संयुक्त अभियान चलाया । जब संयुक्त पार्टी ने लक्षित क्षेत्र को घेरना प्रारंभ किया तो उग्रवादियों ने उन पर अन्धाधुन्ध गोलीबारी प्रारंभ कर दी जिसका कारगरता से जवाब दिया गया । निरीक्षक मुकेश कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक भागते हुए उग्रवादी का पीछा किया तथा उसे मार गिराया । उक्त उग्रवादी 1999 के संसदीय चुनावों में भाजपा उम्मीदवार हैदर नूरानी तथा एस ओ जी शिविर श्री गुफवाडा के निरीक्षक वशीर अहमद की हत्या सहित हत्या के अनेक मामलों में संलिप्त बताया जाता था । उसकी मृत्यु से हिजबुल मुजाहिदीन संगठन को बड़ा आघात पहुंचा । मारे गए उग्रवादी की पहचान मोहम्मद उमीन सिंह उर्फ अमीन सिंह उर्फ फैजल उर्फ सुहैल, हिजबुल मुजाहिद्दीन संगठन के बटालियन कमांडर के रूप में की गई । मारे गए उग्रवादी से 2 ए.के. मैगजीन सहित एक ए.के. राइफल बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में, श्री मुकेश कुमार, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 मार्च, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 52 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री चंचल सिंह
पी.एस.आई.

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.4.2003 को डोडा की तहसील गंदोह के लगोटे वन क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर प्रभारी एस.टी.एफ. गंदोह पी.एस.आई. चंचल सिंह सं0 7222/एन.जी.ओ. के नेतृत्व में एक तलाशी अभियान चलाया गया ताकि इस क्षेत्र से आतंकवादियों को बाहर खदेड़ा जा सके। इस कार्रवाई के दौरान, 28.4.2003 के तड़के आतंकवादियों के साथ संपर्क साधा गया। उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया परन्तु इसके उत्तर में उन्होंने आपरेशन पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। गोलीबारी का जवाब दिया गया और आतंकवादी छिपने के गुफानुमा ठिकाने में घिरे हुए थे। प्रातः लगभग 9 बजे आतंकवादी छिपने के स्थान से बाहर आए और गोलीबारी तथा हथगोले फेंके जाने की आड़ में भागने का प्रयत्न किया परन्तु प्रभावी जबावी गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया जबकि दो आतंकवादियों ने भागने का प्रयास किया। पी.एस.आई. चंचल सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनका पीछा किया और गोली चलाई और दूसरे आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। इसी बीच, तीसरे आतंकवादी ने पोजीशन सम्भाली तथा पी.एस.आई. पर एक हथगोला फेंका लेकिन वह निशाना चूक गया और पी.एस.आई. बाल-बाल बच गए। पुलिस पार्टी जिसने दूसरे तरफ को कवर कर रखा था, ने आतंकवादी की ओर गोलियां चलाई। आतंकवादी, जिसका पी.एस.आई. तथा अन्य जवानों द्वारा पीछा किया जा रहा था, ने पीछे मुड़कर गोलियां चलाई तथा इसका पी.एस.आई. से आमना-सामना हो गया। पी.एस.आई. चंचल सिंह ने आतंकवादी का मुकाबला किया तथा उस पर गोलियों की बौछार करके उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया। इस प्रकार इस आपरेशन में तीनों आतंकवादी मारे गए। एफ.आई.आर. के अनुसार मारे गए आतंकवादियों की पहचान (1) जाकिर हुसैन कोड बसर हुसैन पुत्र अली हुसैन, जाति गुज्जर निवासी कोटा (2) मोहम्मद अय्यूब कोड सफीउल्लाह पुत्र कासीम दीन, निवासी डाडकैयी तहसील गंदोह (3) मुदस्सर अहमद पुत्र नजीर अहमद निवासी डालियां गंदोह के रुप में की गई। मारे गए उग्रवादियों से 2 ए.के. 56 राइफलें, ए.के. 56 के 50 सक्रिय राउन्द तथा तीन एच.ई-36 हथगोले बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री चंचल सिंह, पी.एस.आई. ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक निगमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्थोपकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.4.2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 53 - प्रेजं/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. गुलाम मोहम्मद डार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुपवाड़ा ।
2. रवि जी, उप निरीक्षक
3. शकिल अहमद, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

खोदी, लोलाब, कुपवाड़ा में उग्रवादियों की गतिविधि के बारे में एक विशिष्ट सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुपवाड़ा श्री जी.एम. डार ने एस ओ जी के कर्मियों और 32 आर.आर. के सैनिकों के साथ 5/6-2-2002 के बीच की रात के दौरान एक घात अभियान चलाया। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी कमान और नियत्रण में विभिन्न स्थानों पर घात लगाने वाली अलग-अलग पार्टियां तैनात की । लगभग 0100 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व वाली पार्टी ने संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियां देखी । अधिकारी ने सहायक उप निरीक्षक रवि जी सं0 6997/एन जी ओ और कांस्टेबल शकिल अहमद सं0 1055/के पी की सहायता से उग्रवादियों का पीछा किया । जब यह पार्टी आतंकवादियों के नजदीक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी उग्रवादियों ने इन पर भारी गोलीबारी की । उग्रवादियों ने इस पार्टी पर लगातार बहुत से ग्रेनेड फेंके । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनके सहयोगी रेंगकर उग्रवादियों की तरफ आगे बढ़े और उच्च कोटि की बहादुरी और व्यावसायिकता के साथ आतंकवादियों के हमले का प्रभावी रूप से सामना किया । मुठभेड़ लगभग दो घंटे तक चली । उग्रवादियों ने एक भारी चट्टान के नीचे आड़ ले ली । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनके सहयोगी और आगे बढ़े और अपनी जान की परवाह न करते हुए मात्र बीस मीटर की दूरी से उग्रवादियों पर ग्रेनेड फेंके, जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादियों को अपनी आड़ छोड़नी पड़ी और इस अभियान में पांच जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी मारे गए ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री गुलाम मोहम्मद डार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रवि जी, उप निरीक्षक और शकिल अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 फरवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 54 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री अशोक कुमार शर्मा,
पुलिस उप अधीक्षक(ओप्स), पूंछ

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10.8.2002 को श्री अशोक शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक (ओप्स), पूंछ को पूंछ जिले के खानेतर क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति सुझाने वाली एक सूचना प्राप्त हुई। पुलिस उप अधीक्षक, एस.ओ.जी. पूंछ/पुलिस स्टेशन पूंछ की नफरी के साथ हरकत में आ गए और इस क्षेत्र में तलाशी अभियान प्रारम्भ कर दिया। बल को अलाभकारी स्थिति में होते हुए खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी चूंकि दुश्मन के ऊंचाई पर, लाभकारी स्थिति में होने की संभावना थी। पुलिस उप अधीक्षक शर्मा ने अपने कर्मियों को सुनियोजित तरीके से तैनात किया और आतंकवादियों के भागने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। भारी गोलीबारी के बावजूद, पुलिस उप अधीक्षक, अपनी जान जोखिम में डाल कर अपनी टुकड़ी का मनोबल बढ़ाते रहे। एक बार तो गोलियों की बौछार उनसे कुछ ही इंचों की दूरी से होकर गुजर गई। यह खतरनाक घटना, इस अधिकारी को अपने कर्मियों का मार्गदर्शन करने से नहीं रोक सकी। इस मुठभेड़ में, विदेशी मूल का एक उग्रवादी मारा गया जबकि एस.पी.ओ. लियाकत अली सं0 861/एस.पी.ओ. गंभीर रुप से घायल हो गये। मुठभेड़ के पश्चात् एक ए.के. राइफल, 3 ए.के. मैगजीन और 40 ए.के. गोलाबारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री अशोक कुमार शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक (ओप्स) ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10.08.2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 55 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुरजीत सिंह
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

26.9.2002 को, जिला पूंछ के ट्रेंगर क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में विशिष्ट सूचना पर, उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, एस.एच.ओ. पुलिस स्टेशन लोरन ने 1830 बजे बाराछार पुल के समीप एक नाकेबंदी की। लगभग 2310 बजे नाका पार्टी ने उग्रवादियों के एक ग्रुप को देखा। चुनौती देने पर, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। नाका पार्टी ने इसका प्रभावी रुप से जवाब दिया। यह युद्ध जैसी परिस्थिति थी। भारी गोलीबारी के बावजूद उप निरीक्षक सुरजीत सिंह ने अपने कर्मियों का मार्गदर्शन किया और उनका मनोबल बढ़ाया। अगली सुबह 0530 बजे तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। मुठभेड़ समाप्त होने के पश्चात् एक तलाशी अभियान चलाया गया और लश्कर तैयबा उग्रवादियों के चार शव पाए गए। मारे गए उग्रवादियों में से एक की पहचान तकबर अली उर्फ नोमन उर्फ फौजी, ग्रुप कमांडर के रुप में हुई। 3 ए.के. 56 राइफलें, 9 ए.के. 56 मैगजीन, 93 राउंद, 2 टूटे हुए रेडियो सेट, 7 हथगोले और 8 इलैक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री सुरजीत सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 सितम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 56 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. मंजीत सिंह, पुलिस उप अधीक्षक (मरणोपरान्त)
2. मनोहर लाल, हैड कांस्टेबल (मरणोपरान्त)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

बस स्टैण्ड पूंछ के नजदीक होटल आनन्द में एक उग्रवादी की उपस्थिति के बारे में सूचना मिलने पर 14.3.2003 को लगभग 1425 बजे, श्री मंजीत सिंह, पुलिस उप अधीक्षक अपने बल के साथ स्थिति से निपटने के लिए स्थल की ओर रवाना हुए और तथा कथित उग्रवादी से आत्मसमर्पण करने को कहा जिसने आत्मसमर्पण करने की बजाय अंधाधुंध गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। वहां मुहर्रम-उल-हरम का एक जुलूस निकल रहा था और उग्रवादी आतंक और भय के हालात पैदा करके स्थिति को भुनाना चाहता था और गोलीबारी जारी रखे हुए था। श्री मंजीत सिंह को इस उद्देश्य से कि नागरिकों की जानमाल को कम से कम नुकसान हो, सुरक्षित कार्रवाई करने के लिए अपने कर्मियों को तैनात कर स्थिति से निपटना था। इस घटना में श्री मंजीत सिंह और हैड कांस्टेबल मनोहर लाल सं0 57/पी उग्रवादी की गोलीबारी के कारण गंभीर रुप से घायल हो गए और उन्होंने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही घावों के कारण दम तोड़ दिया। तथापि, उस उग्रवादी, जिसके बारे में लश्कर-ए-तैयबा के आत्मघाती दस्ते का सदस्य होने का पता चला था, को श्री इन बहादुर पुलिसकर्मियों ने मार गिराया।

श्री मंजीत सिंह को मुहर्रम जुलूस में शामिल नागरिकों को हताहत होने से बचाने और होटल में नागरिकों की रक्षा करने के साथ-साथ जिम्मेदारी, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना के साथ आतंकवादी से मुकाबला करने का दोहरा कार्य निभाना था। अत: उन्होंने इस कार्रवाई में अपने और अपने कनिष्ठ साथी हैड कांस्टेबल मनोहर लाल के जीवन का बलिदान दिया। मुठभेड़ के पश्चात् एक ए.के. राइफल और 3 ए.के. मैगजीन (खाली) बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत सर्व/श्री मंजीत सिंह, पुलिस उप अधीक्षक और मनोहर लाल, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 मार्च, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 57 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री गोपाल बी. होसूर,
पुलिस उपायुक्त (केन्द्रीय)
बंगलौर शहर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

इस विश्वसनीय सूचना के आधार पर कि आई.एस.आई. प्रशिक्षित तमिल मुस्लिम कट्टरपंथियों ने बंगलौर शहर में शरण ले रखी है, उप महानिरीक्षक कोयम्बत्तूर श्री आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस उपायुक्त मदुरई श्री शाकिल अख्तर के साथ एक टीम बंगलौर आई और बंगलौर शहर पुलिस के साथ आसूचना का आदान-प्रदान किया। मेलूर, जिला मदुरई का रहने वाला इमाम अली पुत्र हालिथ एक मुस्लिम कट्टरवादी है जो 8.8.1993 को चैन्ने में आर.एस.एस. कार्यालय इमारत में बम विस्फोट, जिसमें 11 व्यक्ति मारे गए और 7 घायल हुए, सहित बहुत से बम हमलों में अभियुक्त था। इस विस्फोट से इमारत को भारी क्षति पहुंची थी और सम्पूर्ण राज्य में साम्प्रदायिक हिंसा हुई थी। इमाम अली को देशी रिवाल्वरों और पिस्तोलों सहित बम्बों के निर्माण में विशेषज्ञता हासिल थी। माना जाता था कि उसने बांग्लादेश और जम्मू और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिद्दीन से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बाद में उसने रामगोपालन हिन्दु मुन्नानी के नेता को मारने की कोशिश की थी, जिसके लिए उसने 12 कि.ग्रा. जिलेटीन छड़ें और 25 हथगोले खरीदे थे। इस कार्य के लिए उसने एक अन्य आतंकवादी गुट, अल उम्मा के जहीर हुसैन और सुबैर जो बम बनाने के विशेषज्ञ थे, की सहायता ली थी। बाद में उसने 3 सितम्बर को चैन्ने में विनायक चर्तुथी जुलूस पर हमला करने की योजना बनाई जिसके लिए उसने जिलेटीन छड़ें खरीदीं। तथापि उसे 19.08.1995 को गिरफ्तार कर लिया गया। जब चेटपेट में आर.एस.एस. कार्यालय में विस्फोट का विचारण चल रहा था, इमाम अली और उसका सहयोगी, थिरुमंगलम में पुलिस हिरासत से 7.3.2002 को उस समय बचकर भाग निकले जब उन्हें कोयलपट्टी न्यायालय ले जाया जा रहा था। इमाम अली के साथियों ने देशी बमों और देशी हथियारों से आरक्षी पार्टी पर हमला किया। इमाम अली ने आरक्षी कांस्टेबल से एक ए.के. 47 छीन ली और गोलीबारी कर आतंक फैला दिया और कुछ कांस्टेबलों को गंभीर रुप से घायल कर दिया। बचकर भागने के पश्चात् इमाम अली ने अपने ग्रुप का "अल मुजाहिद्दीन" के रुप में पुनःनामकरण किया जिसका काम अपने आस-पास के गरीब मुस्लिम युवकों को अपने साथ मिलाना था। इमाम अली और उसके सहयोगियों ने अति विशिष्ट व्यक्तियों, पुलिस अधिकारियों को मारने तथा हिन्दूओं के मंदिरों और महत्वपूर्ण संस्थापनाओं में विस्फोट करने की अपनी योजना को कार्य रुप देने के लिए और अधिक हथियार, गोलाबारुद और विस्फोटक प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा, जिससे विभिन्न धार्मिक ग्रुपों के बीच दुश्मनी बढ़े। तमिलनाडु पुलिस ने उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए बंगलौर शहर पुलिस से सहायता मांगी। श्री गोपाल बी. होसूर पुलिस उपायुक्त, केन्द्रीय के अधीन एक विशेष टीम का गठन किया गया। वह उस स्थान विशेष का सही-सही पता लगाने में सफल हो गए जहां आतंकवादी छुपे हुए थे। इस प्रक्रिया के दौरान, उन्हें और उनकी टीम को आतंकवादियों ने उस समय देख लिया जब वह बिना हथियार के वेश बदल कर स्थल की टोपोग्राफी का अध्ययन करने के लिए परिसर में गए थे। अपनी जान जोखिम में डालकर बड़े परिश्रम से प्राप्त की गई इस विशेष आसूचना के आधार पर, श्री गोपाल होसूर और इनकी टीम ने तमिलनाडु पुलिस टीम के साथ मिलकर 29.09.2002 की मध्य रात्रि को उग्रवादियों को पकड़ने के लिए घर पर छापा मारने की योजना बनाई चूंकि यह निर्मित क्षेत्र में था। कर्नाटक और तमिलनाडु की टीमों

को श्री गोपाल होसूर और तमिलनाडु के अधिकारियों श्री आशुतोष शुक्ला, उप महानिरीक्षक और शकिल अख्तर, पुलिस उपायुक्त ने ब्रीफ किया। दुर्दान्त सशस्त्र इमाम अली और उसके सहयोगियों को पकड़ने के लिए 29.9.2002 को 0100 बजे कार्रवाई प्रारम्भ की गई। श्री गोपल होसूर ने पुलिस पार्टियों को सावधान रहने के संबंध में ब्रीफ किया चूंकि यह जगह सिविलियन घरों से घिरी हुई थी और उनसे तभी आत्मरक्षा में गोली चलाने को कहा जब छिपे हुए उग्रवादी पहले गोली चलाते हैं। पुलिस टीम को बाहरी और आंतरिक घेराबंदी के लिए ड्यूटी पर लगाया गया। श्री गोपाल होसूर और इसकी टीम तमिलनाडु अधिकारियों के साथ 0230 बजे उस घर पर पहुंची। अधिकारी और टीम ने घर के आसपास पोजीशन ले ली और क्षेत्र में रोशनी करने के लिए शक्तिशाली टार्चों का प्रयोग किया। उस घर का दरवाजा खटखटाया गया। घर के अंदर अचानक हरकत हुई और घर के अंदर से उग्रवादियों ने पहले एक राउण्ड गोलियां चलाई। गोलीबारी से खिड़की के कांच टूट गए और खिड़की के नजदीक तीन पुलिसकर्मी, जो लेटी हुई पोजीशन में नहीं थे, घायल हो गए। लकड़ी का प्लैंक, जो कि साथ लाया गया था, दोनों खिड़कियों पर लगाया गया और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए अश्रु गैस घर के अंदर छोड़ी गई। चूंकि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद उग्रवादियों ने दरवाजा नहीं खोला अत: उपमहानिरीक्षक श्री आशुतोष शुक्ला ने इसे तोड़ने का आदेश दिया। श्री गोपाल होसूर और तमिलनाडु के अधिकारियों ने गैस मास्क पहन लेटकर पोजीशन ले ली। घर के अंदर से अचानक गोलियों की बौछार हुई। चार पुलिसकर्मी, जो घुटने के बल पोजीशन लिए हुए थे, घायल हो गए और दर्द से कराहने लगे। तत्काल-अश्रु गैस के शैल कमरे के अंदर दागे गए। चूंकि उग्रवादियों के स्वचालित हथियारों और विस्फोटकों से लैस होने का पता चला था अत: पुलिस पार्टी को उग्रवादियों पर गोलीबारी प्रारम्भ करने के आदेश दिए गए। श्री गोपाल होसूर ने लेटी हुई पोजीशन में अपनी सर्विस रिवाल्वर का प्रयोग किया और अत्यधिक अश्रु गैस के बावजूद दरवाजे की तरफ से उग्रवादियों पर दो राउण्ड गोली चलाई। दोनों तरफ से लगभग 15 मिनट तक गोलीबारी हुई। खामोशी छा गई और घर के अंदर से घायल उग्रवादियों के चीखने-चिल्लाने की आवाजें आईं। श्री गोपाल होसूर, तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ रेंगकर घर के अन्दर घुसे और उग्रवादियों को गोलियों के कारण लहूलुहान पाया। इन्होंने अपने पी.एस.आई. श्री सी.टी. जयकुमार, श्री सुब्रामनया और सुश्री शशिकला तथा अपने चालक लक्ष्मण और गनमैन राजू को घर के अंदर प्रवेश करने और वहां खड़ी एम्बुलैंस में उन्हें एम.एस. रामैय्या अस्पताल ले जाने को कहा। तथापि, उग्रवादियों को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया। उग्रवादियों की लगातार गोलीबारी के बावजूद श्री गोपाल होसूर, पुलिस उपायुक्त ने आगे रहकर अनुकरणीय साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए पुलिस कर्मियों तथा भीड़-भाड़ इलाके में नागरिकों की जान को नुकसान पहुंचाए बगैर घर में छिपे सशस्त्र उग्रवादियों को निष्क्रिय करने में सफलतापूर्वक कार्रवाई की। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप पांच दुर्दान्त मुस्लिम कट्टरपंथियों को मार गिराया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री गोपाल बी. होसूर, पुलिस उपायुक्त ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29.9. 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 58 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री आर.के. चौधरी,
अपर पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री आर.के. चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक, रयोपुर कैंप विजयपुर को 10 मार्च, 2002 को लगभग 0100 बजे डकैत गिरोह टी-8 रामहेत कांची की गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त हुई । गिरोह दो भागों में बंटा था, जिसमें से एक गिरोह, स्वयं सरगना के नेतृत्व में दो अन्य डकैतों के साथ मरहा जंगल में और दूसरा गिरोह, उसके छोटे भाई गोपाल कांची के नेतृत्व में, इकदांता पहाड़ियों में, 12 कि0मी0 दूर तीन अपहृत व्यक्तियों के साथ छिपा हुआ था । पुलिस अधीक्षक को सूचित करने के पश्चात् श्री चौधरी बिना समय गवांए, एक छोटी सी पुलिस पार्टी के साथ मरहा जंगल की ओर रवाना हुए । इन्होंने 8 कर्मियों की पार्टी को दो ग्रुपों में विभाजित किया और एक पार्टी को उनके बचकर भाग निकलने के रास्ते पर रणनीतिक रूप से तैनात किया, जबकि वह स्वयं, एक हैड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबलों के साथ चुपके से गिरोह के छिपने के ठिकाने की ओर बढ़े, जो कि वहां से मात्र 15 से 20 गज की दूरी पर था । अपने कर्मियों को रणनीतिक रूप से तैनात करने के पश्चात् श्री चौधरी ने डकैतों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जिस पर उन्होंने भारी गोलीबारी प्रारम्भ कर दी जिससे श्री चौधरी दैवी कृपा से बच गए । श्री चौधरी भारी गोलीबारी के बीच अपने कर्मियों के साथ आगे बढ़े और अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए डकैतों पर गोलीबारी करते रहे । लगभग 10 मिनट के पश्चात् डकैतों की ओर से गोलीबारी बन्द हो गई । श्री चौधरी ने पुलिस पार्टी को गोलीबारी रोकने के आदेश दिए और वह रेंगकर उस तरफ आगे बढ़े जिस तरफ से डकैत गोलीबारी कर रहे थे । श्री चौधरी ने एक मृत डकैत को देखा जिसकी पहचान बाद में रामहेत कांची के रूप में हुई । अब 0230 बज चुके थे, श्री चौधरी ने एक पार्टी को जांच-पड़ताल के लिए मुठभेड़ के प्रथम स्थल पर ही छोड़ दिया और इकदांता पहाड़ियों की तरफ गए जहां गिरोह ने तीन अपहृत व्यक्तियों को रखा हुआ था । इन्होंने वाहन को गिरोह के ठिकाने से लगभग 5 कि0मी0 पहले ही छोड़ दिया और अपने कर्मियों को ब्रीफ किया क्योंकि किसी डकैत को मार गिराने के बजाए अपहृत व्यक्तियों को छुड़ाना अधिक महत्वपूर्ण था । लगभग 0630 बजे वह पहाड़ी पर पहुंचे । श्री चौधरी चिल्लाए और अपहृत व्यक्तियों को यह बताते हुए सजग किया कि यह पुलिस पार्टी है और इसलिए उन्हें किसी भी हालात में खड़े नहीं होना है और न ही भागना है । इस पर डकैतों ने गोलीबारी प्रारम्भ कर दी । श्री चौधरी की नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने तत्काल और साहस के साथ जवाबी कार्रवाई की । एक डकैत, जिसका नाम छिद्दी धोदवी था, घायल हो गया और भागने का प्रयास करते समय जिंदा पकड़ लिया गया और दूसरे को तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया । श्री चौधरी और उनकी टीम ने सभी तीनों अपहृत व्यक्तियों को बचा लिया । टी-8 के रूप में सूचीबद्ध गिरोह को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया । मुठभेड़ के पश्चात्, दो माउजर राइफलें, दो एम एल गन और 315 बोर के 9 खाली कारतूस और 12 बोर के 4 जिंदा कारतूस, गन पाउडर बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री आर.के. चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 मार्च, 2002 से दिया जाएगा ।

(अरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 59 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विरेन्द्र शर्मा
कांस्टेबल (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10/11.1.2002 के बीच की रात को पुलिस स्टेशन हजरत कोतवाली ग्वालियर से कांस्टेबल त्रिम्बक राव और कांस्टेबल विरेन्द्र शर्मा को 2400 बजे से 0900 बजे तक डेल्टा पॉइन्ट, गश्त का ताजिया चौराहे पर रात्रि गश्त पर तैनात किया गया था। सराफा बाजार से 3 सवारियों को ले कर आ रहा एक ऑटोरिक्शा निकल रहा था। पूछताछ करने पर वे अपना गंतव्य स्थान नहीं बता सके। उनमें से एक सवारी ने बताया कि वह ओरई (उत्तर प्रदेश) का निवासी है। अन्य दोनों सवारियों ने अपने चेहरे शाल और मफलर से ढके हुए थे। जब उनके शरीर की पूरी तलाशी ली जा रही थी तो एक की कमर से लिपटा हुआ एक स्थानीय निर्मित कट्टा (देश निर्मित गन) पाया गया। कांस्टेबल 315 विरेन्द्र शर्मा ने उसे कट्टे के साथ समर्पण करने के लिए कहा और उसे चुनौती दी। जब कांस्टेबल अपनी राइफल लोड कर रहे थे, तभी मजबूत काठी वाली एक सवारी श्री विरेन्द्र शर्मा पर कूद पड़ी और उन पर अपने कट्टे से गोलियां चला दीं। उस बदमाश द्वारा चलाई गई गोली श्री विरेन्द्र शर्मा के सिर में लगी और उससे बुरी तरह खून बहने लगा। गंभीर रुप से जख्मी होने के बावजूद, श्री विरेन्द्र शर्मा ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मी की सुरक्षा की चिंता करते हुए अत्यधिक साहस और धैर्य का परिचय दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने एक और वीरतापूर्ण प्रयास किया और उस बदमाश से कट्टा छीन लिया और इस प्रकार अपने सहयोगी कांस्टेबल की जान बचाई लेकिन इस कार्रवाई में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री विरेन्द्र शर्मा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 जनवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 60 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. इन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ, अपर पुलिस अधीक्षक
2. अनिल सिंह राठौर, निरीक्षक
3. आर.एन. बरारु, नगर निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11.3.2002 को पुलिस स्टेशन निशातपुरा में, भोपाल विदिशा रोड, जिसके आस-पास काफी संख्या में लोग रहते हैं, पर स्थित रेलवे स्टाफ रनिंग रुम की छत से अपनी 303 सर्विस राइफल से आर.पी.एफ. कांस्टेबल अरविंद श्रीवास्तव द्वारा की गई अत्यधिक गोलीबारी के संबंध में वायरलैस संदेश प्राप्त हुआ। इस गोलीबारी में 3 व्यक्ति मारे गए और 10 से ज्यादा घायल हो गए, जिनमें से एक ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह काम विशेष रुप से भोपाल के चोला पुलिस स्टेशन, निशातपुरा क्षेत्र में सांप्रदायिकता के माहौल को भड़काने के लिए पर्याप्त था। इस सूचना के प्राप्त होने पर, श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, अपर पुलिस अधीक्षक, भोपाल तेजी से घटनास्थल पर गए और अपने नेतृत्व में एक कार्रवाई योजना तैयार की। निम्नानुसार तीन टीमें बनाई गईं:-

1. श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, अपर पुलिस अधीक्षक और अनिल सिंह राठौर, थाना प्रभारी निशातपुरा, सी.डी. दूबे, सहायक उप निरीक्षक और अन्य ।
2. श्री अरविन्द सक्सेना, सी.एस.पी. हनुमानगंज, श्री मोहित कुमार, सूबेदार डी.आर.पी. लाइन्स और अन्य ।
3. श्री राजेश तिवारी, थाना प्रभारी शाहजहाँनाबाद, श्री विमल वसूकी उप निरीक्षक बजारिया और अन्य ।

पार्टी सं0 2 और 3 को विभिन्न दिशाओ से कार्रवाई करने के लिए लगाया गया और इन्होंने इमारत को घेर लिया। पार्टी सं0 1 में श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ और अनिल राठौर अपने स्टाफ के साथ बचाव अभियान में जुट गए, इसके बावजूद कि वे कांस्टेबल अरविन्द श्रीवास्तव की गोलीबारी की जद में थे जो निरंतर गोलीबारी कर रहा था। पहले वाली पार्टी, जिसका नेतृत्व आई.पी. कुलश्रेष्ठ कर थे, ने कांस्टेबल को पुकारा और उसे समर्पण करने के लिए कहा। कांस्टेबल छत पर था, जहाँ वह रणनीतिक रुप से लाभ की स्थिति में था जिसकी वजह से पहली टीम को कार्रवाई करना अत्यधिक जोखिमपूर्ण और कठिन था तथा इससे पूरी टीम की जान को अत्यधिक खतरा हो सकता था। कांस्टेबल ने पुलिस की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और पहली पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। लेकिन श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ ने अपने स्टाफ के साथ सुरक्षित इमारत के तीसरे तल की तरफ बढ़ना शुरु किया जहां से कांस्टेबल अपने होशोहवास खो कर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। श्री कुलश्रेष्ठ और इनका स्टाफ गोलीबारी की जद में खुले क्षेत्र में था और इन्होंने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बहादुरी से छत पर ले गए। इन्होंने नेतृत्व की उच्च कोटि को बनाए रखा और अपने स्टाफ में उत्साह का संचार किया और कांस्टेबल को अपनी सर्विस रिवाल्वर सौंपने के लिए कहा। इसके प्रत्युत्तर में कांस्टेबल ने गोलीबारी शुरु कर दी और एक गोली आकर सहायक उप निरीक्षक दूबे को लगी और वे गंभीर रुप से जख्मी हो गए। श्री कुलश्रेष्ठ इस गोलीबारी में बाल-बाल बच गए और इन्होंने अपने दल के साथ पोजीशन ले ली और जख्मी सहायक उप निरीक्षक दूबे की जान बचाई। श्री कुलश्रेष्ठ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस स्थान की ओर बढ़ना शुरु किया जहां कांस्टेबल श्रीवास्तव छिपा हुआ था। इन्होंने असाधारण साहस, बहादुरी भरी कार्रवाई, व्यावसायिक सुविज्ञता का प्रदर्शन करते हुए उसे अपनी सर्विस राइफल के साथ समर्पण करने के लिए विवश कर दिया। श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ की उपर्युक्त अनुकरणीय कार्रवाई, साहसपूर्ण, बहादुरी, व्यावसायिक सुविज्ञता और नेतृत्व

से न केवल पुलिस पार्टी को कांस्टेबल अरविन्द श्रीवास्तव, जिसने 4 निर्दोष कर्मियों को मार दिया था और 10 अन्य लोगों को जख्मी कर दिया था, का समर्पण करवाने में मदद मिली बल्कि सहायक उप निरीक्षक दूबे, जो गंभीर रुप से जख्मी हो गया था, के साथ-साथ घटनास्थल के चारों ओर उपस्थित अन्य निर्दोष लोगों की जान बचाने में भी मदद मिली।

11.3.2002 को, पुलिस स्टेशन निशातपुरा में, घनी आबादी से घिरे भोपाल विदिशा रोड पर स्थित इमारत के रेलवे स्टाफ रनिंग रुम की छत से आर.पी.एफ. कांस्टेबल अरविन्द श्रीवास्तव द्वारा अपनी 303 - सर्विस राइफल से अंधाधुंध गोलीबारी करने के संबंध में एक वायरलैस संदेश प्राप्त हुआ। इस सूचना के प्राप्त होने पर, श्री अनिल राठौर, नगर निरीक्षक, पुलिस स्टेशन निशातपुरा तत्काल तेजी से घटनास्थल की ओर गए और कांस्टेबल अरविन्द श्रीवास्तव, जो निरंतर गोलीबारी कर रहा था, की गोलीबारी की जद में होने के बावजूद अपने स्टाफ के साथ जख्मी कर्मियों को अस्पताल भेजने के साथ-साथ बचाव अभियान में लगे हुए थे। श्री राठौर ने सर्वप्रथम बातचीत करके आतंकित जनता को नियंत्रित किया और उक्त इमारत, जहाँ से कांस्टेबल श्रीवास्तव द्वारा निरंतर गोलीबारी की जा रही थी, की तीसरी मंजिल की तरफ अपने स्टाफ के साथ बढ़ना शुरु किया। वे और उनका स्टाफ गोलीबारी की जद में खुले क्षेत्र में थे, लेकिन अपनी जान को खतरे में डालकर और नेतृत्व की उच्च कोटि को बनाए रखते हुए, श्री राठौर ने कांस्टेबल अरविन्द श्रीवास्तव को समर्पण करने के लिए ललकारा, लेकिन इसके प्रत्युत्तर में कांस्टेबल श्रीवास्तव ने पुलिस पार्टी पर पुन: गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें सहायक उप निरीक्षक दूबे गोली लगने से गंभीर रुप से जख्मी हो गए। ऐसी घड़ी में श्री राठौर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए साहसिक और बहादुरीपूर्ण कार्रवाई की तथा जख्मी सहायक उप निरीक्षक दूबे को उठाया और अस्पताल पहुंचाया और असाधारण साहस, वीरतापूर्ण कार्रवाई और व्यावसायिक सुविज्ञता का प्रदर्शन करते हुए उसे सर्विस राइफल के साथ समर्पण करने के लिए कहा।

11.3.2002 को रात 21.40 बजे, पुलिस स्टेशन राजकीय रेलवे पुलिस, भोपाल को एक सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस वर्दी पहने एक व्यक्ति ने तीन चार लोगों पर गोली चला कर उन्हें गंभीर रुप से घायल कर दिया है। इस सूचना के प्राप्त होने पर, श्री आर.एन. बरारु, थाना प्रभारी, जी.आर.पी., भोपाल ने बल को इकठ्ठा किया और तत्काल तेजी से निशातपुरा रनिंग रुम, घटनास्थल, की ओर भागे। वहाँ पहुँचने पर इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भेजा। इन तीन व्यक्तियों में से, एक की जान बचा ली गई। यह सब केवल श्री आर.एन. बरारु द्वारा तुरंत और तेजी से किए गए प्रयासों ओर कार्रवाई के कारण हो पाया। पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि यह अमानवीय और दुखान्त घटना श्री अरविन्द श्रीवास्तव, आर.पी.एफ. कांस्टेबल द्वारा की गई, जो रनिंग रुम की छत पर कहीं छिपा हुआ था और जिसने चोला रोड की तरफ भी बहुत से लोगों को जख्मी कर दिया था। श्री आर.एन. बरारु, थाना प्रभारी जी.आर.पी. भोपाल तत्काल तुरंत हरकत में आए। इन्होंने बल को दो पार्टियों में विभाजित किया और उन्हें ब्रीफ किया। एक पार्टी, जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक एस.के. मार्टिन कर रहे थे, को दूसरी मंजिल पर नियुक्त किया जबकि आर.एन. बरारू ने फिर आर.पी.एफ. के कांस्टेबल को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। उसे समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन उसने गोलीबारी करनी जारी रखी। जोखिमपूर्ण स्थिति में श्री बरारु अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़े। वे उसे गिरफ्तार करने ही वाले थे कि तभी अपराधी द्वारा 303 से की गई गोलीबारी में एक गोली उनकी बायीं टांग में घुटने के नीचे लगी लेकिन ये इससे भयभीत नहीं हुए। अत्यधिक साहस दिखाते हुए, इन्होंने उससे समर्पण करवाने में सफलता पा ली। समर्पण के समय उसके पास केवल एक जिंदा कारतूस बचा था। अरविन्द श्रीवास्तव द्वारा की गई इस अंधाधुंध गोलीबारी से सर्वश्री एम.पी. सिंह, के.बी. सिंह, डालचंद और सत्यनारायण की मृत्यु हो गई और 10 अन्य गंभीर रुप से जख्मी हो गए। यह वास्तव में ऐसी मुठभेड़ थी, जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुई थी जो शस्त्र चलाने में प्रशिक्षित था। इन्होंने न केवल उच्च कोटि को नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया बल्कि साहस, धैर्य, और दूरदर्शिता के साथ योजना बनाने का भी प्रदर्शन किया। यह उपर्युक्त परिस्थितियों में वास्तव में बहादुरी की कार्रवाई थी। उनके द्वारा की गई इस तुरंत कार्रवाई से इस विशेष क्षेत्र में गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने से बच गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री इन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ, अपर पुलिस अधीक्षक, अनिल सिंह राठौर, निरीक्षक और आर.एन. बरारु, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 मार्च, 2002 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 61 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री धर्मेन्द्र चौधरी,

अपर पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

5 दिसम्बर, 2002 को श्री चौधरी को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक अंतर्राज्जीय कुख्यात डकैत लोभन के फूलमल चौकी क्षेत्र में आने की संभावना है। इसलिए इन्होंने अपने दल के सदस्यों को अनुदेश दिए कि वे नजर रखें और लोभन के आने के संबंध में उन्हें ब्रीफ करें। जैसे ही श्री चौधरी को संदेश मिला, वे अपराधी को पकड़ने के लिए पूर्ण रुप से दृढ़ संकल्प होकर तत्काल घटनास्थल की ओर चल दिए। इन्होंने लोभन को समर्पण करने के लिए कहा। समर्पण करने की बजाय लोभन ने श्री चौधरी पर गोलीबारी शुरु कर दी लेकिन ये इस भीषण हमले से बाल-बाल बच गए क्योंकि एक गोली उनके सिर के नजदीक से होती हुई निकल गई। ऐसा करते हुए श्री चौधरी ने, उस समय भी अपनी जान की परवाह नहीं की जब डकैत की तरफ से निरंतर गोलीबारी की जा रही थी, श्री धर्मेन्द्र चौधरी ने इस कार्रवाई के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना निडर होकर अभियान की कमान संभाली। अपनी आत्मरक्षा में श्री चौधरी ने सरगना लोभन को मारने के लिए गोलीबारी करने के आदेश दिए। यह एक कठिन निर्णय था क्योंकि इससे श्री चौधरी और उनके दल के सदस्यों की जान को खतरा था। लेकिन इनके दृढ़ संकल्प के कारण, इस अचानक मुठभेड़ में उस कुख्यात डकैत लोभन को मार गिराया। जैसे ही मुठभेड़ की खबर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली, वहाँ काफी राहत महसूस की गई। लोभन एक क्रूर, कुख्यात और दुर्दान्त डकैत था जो अपर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चौधरी और इसके दल द्वारा मारा गया। इस मुठभेड़ के बाद एक मोटर साईकिल, एक 12 बोर का कट्टा, जिलेटिन खोका, 4 कारतूस 12 बोर ब्लैंक, एक गोफन, एक चेन और एक चाकू बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री धर्मेन्द्र चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 दिसम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 62 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री दिनेश कुमार कौशल,
एस.डी.ओ.पी., दतिया

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

शताब्दियों से चंबल घाटी डकैतों के विभिन्न गिरोहों द्वारा आपराधिक शोषण और लूटमार का अड्डा रही है। इस परम्परा को बनाए रखते हुए, लाल बहादुर ने अनेकों हत्याएं, डकैतियां और अपहरण करके दतिया और शिवपुरी क्षेत्रों में आतंक और डर पैदा किया हुआ था। डकैत लाल बहादुर यादव पर 5000/- रू0 का इनाम था जिसे पुलिस अधीक्षक दतिया ने घोषित किया था और पुलिस अधीक्षक शिवपुरी ने भी इस पर 5000/- रू0 का इनाम घोषित किया हुआ था । 13-6-02 को श्री दिनेश कुमार कौशल, सब-डिविजनल अधिकारी (पुलिस) दतिया को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि डकैत लाल बहादुर का गिरोह अपने साथियों के साथ कुछेक सनसनीखेज अपराध और अपहरण करने के लिए गांव सिजोरा आएगा । श्री दिनेश कुमार कौशल, एस डी ओ पी, दतिया ने बगैर कोई समय गंवाए हरकत में आ गए । इन्होंने जिला मुख्यालय से पुलिस बल एकत्र किया और पुलिस स्टेशन बरौनी के लिए चल दिए और वहां से भी इन्होंने उपलब्ध बल एकत्र किया और सरकारी वाहनों से गांव सिजोरा गए । गांव सिजोरा में संपूर्ण बल को 3 पार्टियों में बांट दिया गया और इन्हें सामरिक स्थिति से लाभपूर्ण जगहों पर तैनात कर दिया गया । श्री कौशल ने स्वयं पार्टी सं0 1 का नेतृत्व किया । लगभग प्रात: 5.00 बजे दो सशस्त्र बदमाशों को जंगल की तरफ से आते देखा गया और जब वे पार्टी सं0 1, जिसका नेतृत्व श्री कौशल कर रहे थे, की जद में आ गए, तो उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया । डकैतों ने पुलिस की चेतावनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और श्री कौशल पर घातक गोलीबारी शुरू कर दी लेकिन वे दैवीय कृपा से बच गए। गोलियां कांस्टेबल कृपाल के दाएं कंधे पर लगीं । श्री कौशल ने अपने साथी कर्मियों की अत्यधिक चिंता करते हुए, कांस्टेबल की चिकित्सा के लिए कारगर उपाय किए । बाद में, ये डकैत हुकम प्रजापति के घर में घुस गए जहां उन्हें अच्छी आड़ मिल गई और वे वहां से निरंतर गोलीबारी करते रहे । श्री कौशल ने अपना धैर्य नहीं खोया और निर्भय तथा दृढ़संकल्प होकर पुलिस पार्टी सं0 2 और 3 के साथ कारगर रूप से समन्वय और सहयोग बनाए रखा । श्री कौशल ने, इस नाजुक समय पर, अपनी बहुमूल्य जान की भी परवाह नहीं की और डकैतों पर पर्याप्त रूप से दबाव बनाया और उन पर आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं । श्री कौशल की तरफ से हो रही कठोर कार्रवाई को देखकर, पार्टी सं0 2 और 3 के पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहन मिला और इन्होंने डकैतों का कड़ा प्रतिरोध किया । श्री कौशल ने बाद में हुकम प्रजापति के घर की छत पर एक हथगोला फेंका जिसके कारण डकैत, जगम्मा-की-गढ़ी की तरफ भाग निकले लेकिन उन पर पार्टी सं0 1 ने गोलीबारी की और उन्हें मार गिराया । कार्रवाई के पश्चात दो डबल बैरल 12 बोर अंग्रेजी गनें बरामद की गईं ।

इस मुठभेड़ में, श्री दिनेश कुमार कौशल, एस डी ओ पी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 जून, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 63 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सइर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अवध किशोर पांडे, नगर पुलिस अधीक्षक
2. सुख लाल सिंह सेंगर, निरीक्षक
3. मुरारी लाल शर्मा, निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

25.01.2002 को श्री अवध किशोर पांडे, नगर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को गोलनदाज मोहल्ला, ग्वालियर में भूतपूर्व-डकैत रवि पांडे के पुराने घर में फरार अपराधी वीरू और सोनू नामदेव की उपस्थिति के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई । श्री ए के पांडे ने तुरंत कार्रवाई हेतु पुलिस स्टेशन पादव और ग्वालियर कोतवाली के उपलब्ध बल को इकट्ठा किया । श्री पांडे ने बल को चार पार्टियों में विभाजित किया और इरेक पार्टी को उसकी भूमिका के संबंध में विशिष्ट रूप से ब्रीफ किया । मंदिर के नजदीक घात लगाने के लिए पार्टी सं0 1 का नेतृत्व सी एस पी पांडे और श्री एम एल शर्मा कर रहे थे । घासमंडी की तरफ से गोलनदाज मोहल्ला में घात लगाने के लिए पार्टी सं0 2 का नेतृत्व उप निरीक्षक सुश्री अर्चना जाट कर रही थीं । गोलनदाज मोहल्ला में किले के ऊपरी हिस्से से घात लगाने के लिए पार्टी सं0 3 का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक देवेश सिंह भदोरिया कर रहे थे । गोलनदाज मोहल्ला में रवि पांडे के पतोर (घर) में छिपे अपराधियों को तलाशने हेतु टी.आई. सेंगर, हैड कांस्टेबल 1294 महेश जादौन और अन्य कांस्टेबलों के साथ पार्टी सं0 4 का नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक श्री पांडे कर रहे थे । पुलिस पार्टी ने छिपने के स्थल को घेर लिया और डकैतों को ऊंची आवाज में समर्पण करने के लिए कहा । डकैत भूतपूर्व-अपराधी के पतोर में सुरक्षित और चुप-चाप बैठे रहे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । टी आई सेंगर और टी आई एम एल शर्मा ने सामरिक रूप से पोजीशन ले ली और सी एस पी श्री पांडे ने घर पर हमला जारी रखा । डकैतों ने दरवाजे के छेद से टी आई श्री सेंगर पर दो बार गोलियां चलाई और इनके दांए हाथ पर गोली लगी । सी एस पी श्री पांडे घर के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गए और घर की छत में एक छेद किया । डकैतों ने सी एस पी श्री पांडे पर गोलियां चला दीं । उस समय स्थानीय जनता भी चारों ओर इकट्ठा हो गई थी । चारों ओर इकट्ठा हो गए लोगों की सुरक्षा का एक और काम पुलिस के लिए बढ़ गया । इसलिए, टी आई सेंगर तेजी से छत पर बने छेद के नजदीक गए और अपराधी पर गोली चला दी और उसे वहीं मार गिराया । एक अन्य अपराधी, जो दरवाजे से भागने का प्रयास कर रहा था, पर सी एस पी श्री ए के पांडे और इनकी पार्टी द्वारा गोलीबारी की गई और उस अपराधी को भी वहीं पर मार गिराया गया । टी आई श्री एम एल शर्मा अपनी जान और सुरक्षा की परवाह किए बिना गोलीबारी करते हुए सी एस पी श्री ए.के. पांडे और टी आई श्री सेंगर को कवर प्रदान करते रहे । वे भी गोलीबारी में जख्मी हो गए । मध्य प्रदेश पुलिस के उपर्युक्त तीनों असाधारण बहादुर अधिकारी, दोनों ओर से हो रही गोलीबारी से डरे बिना और अपनी जान की परवाह किए बगैर, ने दोनों खतरनाक अपराधियों वीरू नामदेव और सोनू नामदेव को मार गिराया जिनके नाम से ग्वालियर के लोगों में डर और आतंक बैठा हुआ था, जबकि उनमें से दो अधिकारी जख्मी हो गए थे फिर भी वे कार्रवाई स्थल पर डटे रहे । कार्रवाई के पश्चात 315 बोर की देशी अथिया, 315 बोर का एक कट्टा, जिंदा और खाली कारतूसों के साथ .32 बोर की एक देशी रिवाल्वर बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री अवध किशोर पांडे, नगर पुलिस अधीक्षक, सुख लाल सिंह सेंगर, निरीक्षक और मुरारी लाल शर्मा, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 जनवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मिश्रा

(वरुण मिश्रा)
निदेशक

सं0 64 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री क्षितिन्द्र प्रकाश खरे,
भा0पु0सेवा, पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

30.11.02/1.12.02 के बीच की रात को श्री के.पी. खरे, पुलिस अधीक्षक (दतिया) को एक विश्वसनीय मुखबिर से विश्वसनीय सूचना मिली कि इम्मी मुसलमान का टी-5 गिरोह, जिसमें 5/6 सशस्त्र सहापराधी है, उसी रात को पुलिस स्टेशन जिगना क्षेत्र में मांकरे से निचरोली वन को जाएंगे । श्री खरे ने शीघ्रता से कार्रवाई की और उपलब्ध बल को एकत्र किया, जिसमें श्री पराग खरे, सूबेदार, डी.आर.पी. लाइन्स और एस0ए0एफ0 कार्मिकों की एक टीम थी, समय गंवाए बिना पुलिस स्टेशन जिगना पहुंचे । पुलिस स्टेशन जिगना पर, श्री खरे ने पुलिस स्टेशन में उपलब्ध बल और एस0ए0एफ0 को एकत्र किया और उन्हें दो पार्टियों में विभाजित किया । पार्टी सं0 1, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री के0पी0 खरे, उप निरीक्षक महेन्द्र शर्मा, थाना प्रभारी जिगना, डी.ई.एफ. दतिया के सूबेदार पराग खरे और दो सशस्त्र कान्सटेबल थे । सहायक उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह धाकरे के नेतृत्व में पार्टी नं0 2 में, हैड कान्सटेबल 396 सुकेश त्रिपाठी, हैड-कान्सटेबल 264 अवनीश सिंह और एस0ए0एफ0 कार्मिकों के साथ डी0ई0एफ0 के चार सशस्त्र कान्सटेबल थे । उसी रात को पूरा दल दो पार्टियों में, मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान, धोबी की पुखरिया पर पहुंचा । श्री खरे के नेतृत्व में पार्टी सं0 1 ने, रास्ते में घात लगाने के लिए धोबी की पुखरिया पर मोर्चा नं0 1 से लगभग 1/2 किलोमीटर दूर जिगना से निचरोलिक को जाने वाले जंगल के रास्ते पर घात लगाने के लिए तैनात किया गया । 1 दिसम्बर, 2002 को प्रातः लगभग 0400 बजे पार्टी नं0 1 ने नजदीक से गुजर रहे गिरोह को देखा । श्री के0पी0 खरे, पुलिस अधीक्षक ने इस चेतावनी के साथ डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा कि पुलिस ने उन्हें सभी दिशाओं से घात लगाकर घेर लिया है । लेकिन डकैतों ने श्री के0पी0 खरे की पार्टी को भद्दी-भद्दी गालियां देकर उस पर भारी गोलीबारी की । गोली, श्री खरे के दाहिने कान के पास से गुजर गई जिससे वे बाल-बाल बच गए । पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, तथापि श्री के0पी0 खरे, पुलिस अधीक्षक, दतिया से साहस और दृढ़निश्चय के साथ और अपने जीवन की परवाह न करते हुए, अत्यधिक खतरा मोल लेकर विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला किया । वे रेंगते हुए आगे बढ़े और नियंत्रित तरीके से गोलीबारी करते रहे । श्री पराग खरे और उप निरीक्षक श्री महेन्द्र शर्मा ने पार्टी सं0 1 के अन्य साथियों के साथ मिल कर डकैतों के साथ जबाबी गोलीबारी की, जो वन और नजदीक पड़ी बड़ी-बड़ी चट्टानों की आड़ में विभिन्न दिशाओं से पुलिस पार्टी पर लगातार गोलिया चला रहे थे । इस गोलीबारी में बदमाश निरन्तर श्री के0पी0 खरे को निशाना बनाकर गोलियां चलाते रहे, जो अपनी टीम के साथियों के साथ रेंगते हुए सबसे आगे जा रहे थे । एक गोली श्री एस0पी0 खरे के सिर पर लगती यदि वे जमीन पर नीचे नहीं झुक जाते, लेकिन गोलीबारी से अविचलित, वे डकैतों की तरफ आगे बढ़ते रहे जो भारी गोलीबारी और घने जंगल की आड़ में भागने की कोशिश कर रहे थे । गोलीबारी के दौरान, श्री खरे चिल्लाए और पार्टी सं0 2 से भाग रहे उग्रवादियों को, अपनी दिशा से घेरने के लिए कहा । श्री खरे, जो खुले मैदान में थे अत्यधिक नियंत्रित तरीके से आत्म रक्षा में गोलियां चलाते रहे और समय गंवाए बिना आगे बढ़ते रहे जिसके परिणामस्वरूप चम्बल घाटी के अत्यधिक कुख्यात गिरोह टी-5 के सरगना इम्मी उर्फ इनीफ पुत्र अब्दुल रहमान मुसलमान, निवासी खिरखा पुलिस स्टेशन गोराघाट, जिला दतिया को गोली मारने में कामयाबी मिली । मुठभेड़ स्थल से एक 315 बोर माऊजर राइफल (आर्डिनेन्स फैक्ट्री निर्मित) और 315 बोर के 16 सक्रिय 17 खाली कारतूसों के साथ एक 315 बोर वाली भरी देशी गन, और 12 बोर गन के 7 खाली कारतूस, दिन प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुएं बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में, श्री क्षितिन्द्र प्रकाश खरे, भा0पु0सेवा, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 दिसम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 65 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राजेश डडलवार,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18 जनवरी, 2000 को रात 22.00 बजे पी.एस.आई. राजेश डडलवार, जो कन्हन पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर थे, को सूचना मिली कि एक कट्टर आतंकवादी सुरेश मुदालियार उर्फ स्वामी, निवासी गोंदेगाँव, कन्हन नदी के नजदीक बने कोल रोप वे वाचमैन के केबिन के निकट ठहरा हुआ है, सुरेश को जल्दी से गिरफ्तार करने के लिए, पी.एस.आई. अपने स्टाफ के साथ रात 22.15 बजे के करीब केबिन पर पहुँचे। केबिन पर पहुँचने पर, पी.एस.आई. राजेश और पी.सी. हेमंत ने एक खिड़की से केबिन में प्रवेश किया और सुरेश को फर्श पर सोते हुए देखा। पी.सी. हेमंत ने सुरेश के चेहरे पर टार्च की रोशनी डाली क्योंकि उसने कंबल हटा लिया था। रोशनी डालते ही सुरेश ने उन पर तुरंत तलवार से हमला कर दिया। तथापि पी.सी. हेमंत ने उसके हमले को अपनी लाठी से निष्फल कर दिया लेकिन इस कार्रवाई के दौरान उन्हें जांघ पर चोट आ गई और वे फर्श पर गिर पड़े। पी.एस.आई. राजेश, जो हेमंत के साथ खड़े हुए थे, तत्काल हेमंत को बचाने के लिए आगे आए। सुरेश ने फिर पी.एस.आई. राजेश पर भी हमला कर दिया जिस पर पी.एस.आई. ने, पी.सी. हेमंत को बचाने के लिए, अपने बायें हाथ से तलवार को पकड़ लिया। उसके पश्चात भी, सुरेश ने अपनी तलवार से पी.एस.आई. राजेश की गर्दन को लक्ष्य करके इन पर भीषण हमला किया और स्वयं को बचाने के प्रयास में पी.एस.आई. राजेश के बायें कंधे के नीचे गंभीर चोट आई। तेजी से रक्त बहने के कारण पी.एस.आई. राजेश फर्श पर गिर पड़े। पी.एस.आई. को जख्मी करने के पश्चात, सुरेश ने पुन: हेमंत को लक्ष्य करके हमला किया, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हेमंत की जान खतरे में है, पी.एस.आई. राजेश ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक राउंड गोली चला दी जो अभियुक्त को लगी और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। सुरेश को कैम्पटी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका उपचार किया गया। लेकिन उसने अपने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया।

इस मुठभेड़ में, श्री राजेश डडलवार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 जनवरी,, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 66 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अजीत सिंह,
पुलिस उप महानिरीक्षक, जयपुर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

मंदिर में प्रवेश पर गांव घाट में नहाने और दलितों के विरूद्ध विभिन्न रूपों में, अन्य सामाजिक भेदभाव संबंधी मुद्दों को उठाने के लिए, प्रशासन से विधिवत रूप से अनुमति लेकर 20.9.2002 से 21.9.2002 तक दो दिन की 'सदभावना पदयात्रा' चाकसू से गांव चाकवारा तक निकाली जानी थी, जो पहले जातीय तनाव का कारण बनी थी । इस 'यात्रा' का विरोध करने के लिए उच्च जाति के लगभग 10,000 लोगों की सशस्त्र भीड़ 'यात्रा' को बलपूर्वक रोकने की मंशा से फागी में 'यात्रा' मार्ग पर एकत्र हुई । अनियंत्रित भीड़ और दलित 'यात्रा' के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, अजीत सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक ने उपलब्ध बल की तैनाती करके फागी में अनियंत्रित भीड़ की घेराबंदी करने का प्रयास किया । रैली की तरफ बढ़ने से रोकने के कारण, अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस बल पर हमला कर दिया । अत्यधिक हिंसक हमला होने के कारण पुलिस बल पीछे हट गया । तथापि, अजीत सिंह, उनको लक्ष्य करके भारी हिंसा के बावजूद, लगभग चार घंटे तक वहीं पर डटे रहे और फागी में दलितों और उनकी संपत्ति को बचाने के लिए रैली की तरफ बढ़ रही अनियंत्रित भीड़ को रोके रखा । अंत में, इन्होंने पुलिस कर्मियों को पुनः इकठ्ठा किया, नियंत्रित तरीके से बल इस्तेमाल करके भीड़ को तितर-बितर कर दिया । अजीत सिंह ने घायल होने के बावजूद अपने कर्तव्य पालन के लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया, यदि ये ऐसा नहीं करते तो दलितों का नरसंहार हो गया होता, जोकि राजस्थान के इतिहास में अभूतपूर्व होता और राज्य के सामाजिक ढांचे को बिगाड़ देता ।

इस मुठभेड़ में, श्री अजीत सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 सितंबर, 2002 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 67 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम राइफलस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रमाकान्त सिंह (मरणोपरान्त)
हवलदार/जी.डी.

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

रहिनो अभियान के दौरान, 13 अक्तूबर को लगभग 1000 बजे अंजामी केन्द्र चौकी से "एफ" कम्पनी 5 असम राइफल्स की एक टुकड़ी, जिसमें एक अधिकारी, एक जूनियर कमिशन अधिकारी और 18 अन्य रैंक थे, गांव तोराबारी सं0 1 के नजदीक उत्तर रंगापाड़ गांव के श्री प्रभात मारक, गाओन बुरा से मिलने के लिए तोराबारी (एम.वी. 1519) जनरल क्षेत्र में गश्त डयूटी पर थी। उनके साथ बैठक के दौरान पार्टी ने गाओन बुरा के मकान के पास 100 गज की दूरी पर धान के खेतों से भाग रहे दो व्यक्तियों को देखा। हवलदार रमाकान्त सिंह के नेतृत्व वाली स्काऊट पार्टी ने तत्काल उनका पीछा करना शुरु कर दिया, उग्रवादियों ने यह देखने पर कि उनका पीछा किया जा रहा है इस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। हवलदार रमाकान्त सिंह, ने धान के खेतों में पीछा करते हुए, भाग रहे उग्रवादियों पर गोलियां चलाई और उनमें से एक को घायल कर दिया। उग्रवादी पहाड़ी की तलहटी (एम.वी. 1619) पर पहुंचने में कामयाब हो गए और उपर चढ़ना शुरु कर दिया। हवलदार रमाकान्त सिंह और इनकी पार्टी ने उग्रवादियों का लगातार पीछा किया और तलाशी लेने के दौरान जख्मी उग्रवादी, जो झाड़ियों में छिपा हुआ था, द्वारा गोलियों की बौछार की गई। गोली लगने से जख्मी हो जाने के बाद भी हवलदार रमाकान्त सिंह अपने हथियार से गोलियां चलाते रहे और उस पर धावा बोल दिया तथा उग्रवादी को तत्काल मार गिराया। हवलदार रमाकान्त सिंह ने अत्यधिक साहस, धैर्य, दृढ़निश्चय, अत्यधिक संकल्पशक्ति, वफादारी और कामरेडशिप का परिचय दिया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए और घायल होने के बावजूद उन्होंने हमला किया और बिडेन बासुमतारी, एन.डी.एफ.बी. उग्रवादी को मार गिराया। उग्रवादी को मार गिराने के बाद उन्होंने जख्मों के कारण घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस कार्य में हवलदार रमाकान्त सिंह ने न केवल एक कुशल सिपाही के गुण प्रदर्शित किए बल्कि अपनी डयूटी करने में राष्ट्र के प्रति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी दिया। अभियान स्थल से एक ए.के. 56 राइफल, 2 ए.के. 56 मैगजीन, एक 9 एम.एम.सी.एम. मैगजीन, ए.के. 56 के 124 सक्रिय कारतूस, 9 एम.एम.सी.एम. के 32 सक्रिय कारतूस, 2600रु0 नगद, 1 पाऊच आर्मी कलर इत्यादि बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री रमाकान्त सिंह, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 68 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. मोहन राम, हवलदार/जी.डी.
2. पोनफेयामो लोथा, हवलदार/जी.डी.
3. सूरजपाल सिंह, राइफलमैन/जी.डी.

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

हवलदार मोहन राम और हवलदार पोनफेयामो लोथा को उनकी तीन टुकड़ियों के साथ हरिया प्वाइंट 1350 आर.एम. 5992 में निगरानी एवंम घात लगाने के लिए तैनात किया गया था। दूरबीन से निरीक्षण करते हुए श्री लोथा ने अत्यधिक सशस्त्रों से लेस 6 से 8 उग्रवादियों को काम्बेट पोशाक में सड़क पर माफाओं डैम आर.एम. 6189 की तरफ से घातक घात स्थल की ओर से आते देखा। इन्होंने, उनकी गतिविधियों के बारे में रेडियो पर कर्नल धर को तत्काल सूचित किया। दूरबीन से यह सुनिश्चित करने के बाद कि काम्बेट पोशाक में निसन्देह ही उग्रवादी हैं, 'कर्नल धर ने सभी टुकड़ियों को सभी उग्रवादियों के एक बार मारक क्षेत्र में प्रवेश करने पर घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। राइफलमैन/जी.डी. सूरजपाल सिंह घातक टीम बटालियन की दो नं0 टुकड़ी में थे। घातक टीम गुप्त रुप से प्रतीक्षा करती रही और जैसे ही सभी उग्रवादी मारक क्षेत्र में आए इन्होंने घात लगा कर धावा बोल दिया। उग्रवादी भौच्चके रह गए और उन्होंने घने जंगल, घुमावदार सड़क और घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर छोटे ग्रुपों में विभिन्न दिशाओं में भागने की कोशिश की। यह देखने पर कि उग्रवादी बच कर भाग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नल धर ने हवलदार/जी.डी. मोहन राम और हवलदार/जी.डी. फोनफेयामो लोथा को उनके दक्षिण की तरह भागने के रास्ते को बंद करने का आदेश दिया। दोनों, उबड़-खाबड़ भूमि का प्रयोग करते हुए लगभग 700 मीटर तक दौड़े और चुपके से पहाड़ की तलहटी क्षेत्र में पहुंच गए और उग्रवादियों का इंतजार करने लगे जो दौड़ कर उनकी तरफ आ रहे थे। हवलदार/जी.डी. लोथा ने नजदीक से एक उग्रवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान बाद में मणिपुर के बिशनपुर जिले के नामबोल कोंगखपन भायाई लेखई के स्वंयभू प्राईवेट अमकचम अहोगियो के रुप में हुई। हवलदार मोहन राम ने दूसरे उग्रवादी को लगभग दस गज की दूरी से मार गिराया बाद में उसकी पहचान इम्फाल (पश्चिम) के सलाम मामंग लेईकई के स्वंयभू लांस कोरपोरल लेसराम लोयानगाम्बा के रूप में हुई । राइफलमैन/जी.डी. सूरज पाल सिंह और उनके साथी राइफलमैन/जी.डी. दिलीप थापा ने पहल और अत्यधिक सूझ-बूझ का प्रदर्शन करते हुए उनका निरन्तर पीछा किया और धान के खेत में निशाना लगाकर एक उग्रवादी को मार गिराया जिसकी पहचान बाद में मणिपुर के प्रतिबन्धित उग्रवादी ग्रुप कांग्लई याओल कन्ना लुप (के.वाई.के.एल.) से संबंधित वाईखोंग यूयंग का 22 वर्षीय स्वयंभू प्राईवेट मोयरगथम एहौ उर्फ लहिगुरेम्बा के रूप में हुई। निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारूद बरामद किया गया ।

(i)	राइफल 7.62 एम.एम. एम.-21 (चीन निर्मित)	- 2
(ii)	मैगजीन 7.62 एम.एम. एम-21 (चीन निर्मित)	- 2
(iii)	बेयोनट एम.-21 राइफल	- 2
(iv)	सक्रिय गोला बारूद 7.62 एम.एम. एस.एल.आर.	- 34 राऊन्द
(v)	राइफल 7.62 एम.एम. एस.एल.आर.	- 1

अभिशंसी दस्तावेज और प्रचार सामग्री ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री मोहन राम, हवलदार/जी.डी., पोनफेयामो लोथा, हवलदार/जी.डी. और सूरजपाल सिंह, राइफलमैन/जी.डी. ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 मार्च, 2003 से दिया जाएगा ।

(अरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 69 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम राईफलस पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुकू रे देव बर्मन
राइफलमैन/जी.डी.

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दुस्की मालाकुटुई में ए.टी.टी.एफ. उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में 22 सितम्बर, 2003 को प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर कम्पनी कमांडर ने एक अधिकारी, एक जी.सी.ओ. और 20 अन्य रैंकों भूतपूर्व गंकी की एक पार्टी के साथ सावधानीपूर्वक अभियान की योजना बनाई। अभियान 22 सितम्बर, 2003 को 1925 बजे शुरु किया गया। मालाकुटुई गांव पहुंचने पर पार्टी को दो टुकड़ियों में विभाजित किया गया। गांव मालाकुटुई को 2350 बजे तक घेर लिया गया और अंधेरे में ही तलाशी शुरु कर दी गई। 23 सितम्बर, 2003 को लगभग 0115 बजे, पार्टी ने संदिग्ध घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही पहले आदमी ने अंदर प्रवेश किया एक व्यक्ति तत्काल बाहर जंगल की तरफ भाग। भागते हुए उग्रवादी ने गोलियां चलाई और हथगोला फेंका। हथगोले के विस्फोट और गोलीबारी से अविचलित और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए राइफलमैन सुकू रे देव बर्मन ने भाग रहे उग्रवादी का पीछा करना जारी रखा । इससे पहले कि उग्रवादी तलाशी पार्टी पर दूसरा हथगोला फैंकता, इन्होंने उस पर गोली चला दी और उसे मार गिराया। उग्रवादी की पहचान स्वपन देव वर्मा, ए.टी.टी.एफ. के कट्टर उग्रवादी, दुस्की के क्षेत्रीय कमांडर, कल्याणपुर क्षेत्र के रुप में हुई जिसके सिर पर एक लाख रु0 का पुरस्कार था, जो 8 मई, 2003 को अनेक हत्याओं के लिए जिम्मेवार था। अभियान स्थल से 4 सक्रिय कारतूसों के साथ 9 एम.एम. की एक पिस्तौल, 3 किलोग्राम आई.ई.डी., एक चीन निर्मित ग्रेनेड, कार्डटेक्स-2 फुट, 500 रु0 नगद और अभिशंसी दस्तावेजे बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, श्री सुकू रे देव बर्मन, राइफल मैन/जी.डी. ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 सितम्बर,, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 70 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री दिगम्बर दत्त (मरणोपरान्त)
राइफलमैन/जी.डी.

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6 असम राइफल्स, 11/12 अगस्त, 2003 को त्रिपुरा के अत्यधिक विक्षुब्ध और विद्रोह प्रभावित टेकरजाला क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के दौरान शांति और अमन चैन बनाए रखने के लिए गश्त लगा रही थी। गश्त लगाने वाला दल, जिसके सदस्य राइफलमैन दिगम्बर दत्त थे, को उग्रवादियों के विरुद्ध घात लगाने का काम दिया गया था। 11 अगस्त, 2003 को 2200 बजे तक, गोबिन्दबारी क्यू आर 8965 - गंगाहरीबारी क्यू.टी. 8963 - राधाकान्तबारी क्यू.टी. 9063 गावों को जोड़ने वाले रास्ते पर, एक अलग-थलग स्थान पर एक प्राथमिक पाठशाला भवन/मैदान के आस-पास घात लगा दी गई। कैप्टन सोनल जैन के नेतृत्व में घात लगाने वाली पार्टी में 30 कर्मी थे। हवलदार इन्द्रजीत पासी के नेतृत्व में 10 व्यक्तियों के एक ग्रुप को स्कूल के उत्तर में और कैप्टन सोनल जैन के नेतृत्व में 10 व्यक्तियों के दूसरे ग्रुप को स्कूल के दक्षिण में तैनात किया गया। शेष कर्मियों को रिजर्व के रुप में स्कूल के पश्चिम में तैनात किया गया। रात में कोई घटना नहीं हुई। हवलदार इन्द्रजीत पासी के ग्रुप को रास्ते के बहुत करीब तैनात किया गया था। 120400 बजे, हवलदार इन्द्रजीत पासी, अनुमति लेने के बाद अपनी पार्टी को नजदीक के जंगल के अंदर तक ले गए। तब अचानक उग्रवादियों ने जंगल की ओर से स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की। एल.एम.जी. का नं0 2, राइफलमैन/जी.डी. मोहम्मद नसीर और राइफलमैन/जी.डी. राम सिंह गोलीबारी की दिशा के बहुत नजदीक थे और उन्हें उग्रवादियों की गोलियां लगी। हवलदार पासी के ग्रुप ने गोलियों का जवाब दिया। राइफलमैन/जी.डी. दिगम्बर दत्त, जो ग्रुप से दूर थे, ने तत्काल खतरे को भांप लिया और सूझबूझ का परिचय देते हुए आड़ ले ली, दौड़ते और रेंगते हुए और साथ ही उग्रवादियों पर गोलीबारी करते हुए वे आगे बढ़े और उस स्थान पर पहुंचे जहां जख्मी जवान पड़े हुए थे। उन्होंने उग्रवादियों पर गोलियां चलाई और उनमें से दो को घायल कर दिया। वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि उग्रवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों से चलाई गई गोलियों की बौछार से जख्मी नहीं हो गए क्योंकि उग्रवादियों को वापस जाने और भागने पर मजबूर होना पड़ा था। दुर्भाग्यवश उन्होंने जख्मों के कारण घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दिवंगत राइफलमैन/जी.डी. दिगम्बर दत्त ने सूझबूझ, साहस, वीरता, व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया और उनकी प्रभावी गोलीबारी के कारण गश्त लगाने वाले दल के अन्य जवान हताहत होने से बच गए और उग्रवादियों को मारे गए जवानों के हथियार ले जाने में कामयाब नहीं होने दिया।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री दिगम्बर दत्त, राइफलमैन/जी.डी. ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 71 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रदीप कुमार मलिक
राइफलमैन/जी.डी.

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7.9.03 को अपने सूत्र से यह विशिष्ट सूचना मिली कि ए.टी.टी.एफ. के कुछ उग्रवादी, चाम्फाइर पुलिस स्टेशन के तहत गुमसुमबारी सामान्य क्षेत्र में खोवाई-आश्रमबाड़ी सीमा सड़क पर आई.ई.डी. लगाने की योजना बना रहे हैं। मेजर पुनी चांद कौशल द्वारा गंकी से 20 अन्य रैंको की टुकड़ी के साथ उसी दिन 2100 बजे एक अभियान चलाया गया। जब टुकड़ी गुमसुमबाड़ी पहुंच रही थी तो सड़क के नजदीक जंगल में कुछ हलचल दिखाई दी। राइफलमैन प्रदीप कुमार मलिक और इनका साथी मेजर पुनी चन्द कौशल अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए घटनास्थल की तरफ आगे बढ़े। इन्होंने देखा कि बिजली की केबल से जुड़ा एक आई.ई.डी. सड़क पर रखा हुआ है। टुकड़ी कमांडर और राइफलमैन प्रदीप कुमार मलिक उस केबल का पीछा करते हुए घनी झाड़ियों तक पहुंच गए। अचानक इस पार्टी पर नजदीक की छोटी पहाड़ियों से भारी गोलीबारी की की गई। राइफलमैन प्रदीप कुमार मलिक ने तत्काल आड़ ले ली और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए जबावी गोलीबारी की। ये अपने साथी के साथ तेजी से आगे बढ़े और गोली चला रहे उग्रवादियों की तरफ धावा बोल दिया। इन्होंने एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। राइफलमैन प्रदीप कुमार मलिक, हालांकि उन पर भारी गोलीबारी की की जा रही थी, ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रवादियों पर हमला जारी रखा। इस प्रकार से इन्होंने अनुकरणीय साहस और वीरता का परिचय दिया जिससे ए.टी.टी.एफ. का एक कट्टर उग्रवादी मारा गया जिसकी पहचान श्यामल तांती के रुप में की गई तथा हथियार और आई.ई.डी. बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री प्रदीप कुमार मलिक, राइफलमैन/जी.डी. ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 सितम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 72 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विरेन्द्र सिंह चौहान, नायब सूबेदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एन.एल.एफ.टी. (बी.एम.) उग्रवादियों के 11 सितम्बर, 2003 को चम्पाहोर पुलिस स्टेशन के तहत गांव लाथाबाड़ी सामान्य क्षेत्र में मौजूद होने और कर वसूलने के संबंध में एक विशिष्ट सूचना के आधार पर, उग्रवादियों को मारने के लिए एक अधिकारी, दो जूनियर कमीशन्ड अफसरों और चम्पाहोर स्थित एक्स-कम्पनी ऑपरेटिंग बेस तीन अन्य रेंकों के साथ मिलकर सावधानीपूर्वक एक योजना बनाई गई । लाथाबाड़ी गांव की तलाशी के दौरान, स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि 4 एल.एल.एफ.टी (बी.एम.) के चार उग्रवादी, 45 मिनट पहले गांव लाथाबाड़ी से गांव मधुराम जाने वाली सड़क से उत्तर की ओर गए हैं । कैप्टन एम.एम.सिंह ने तत्काल स्थिति को समझ कर उग्रवादियों को तीन दिशाओं से घेरने और मारने के लिए टुकड़ी को तीन पार्टियों में विभाजित किया गया । नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टुकड़ी चुपके से लाथाबाड़ी से मधुराम जाने वाले रास्ते पर उत्तर की ओर बढ़ी । 1600 बजे के लगभग, झागलुम्बाड़ी गांव को जाते हुए, नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व वाली टुकड़ी पर, रास्ते के लगभग 200 मीटर पूर्व से घने जंगल से जनदीक से स्वचालित इकियारो से प्रभावी गोलीबारी की बौछार की गई और टुकड़ी को लगभग पूरी तरह शांत कर दिया । तथापि अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, सूझबूझ का परिचय देते हुए और तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए, नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह चौहान और इनका अग्रणी स्काऊट तुरन्त कूदे, रेंगते हुए मोर्चा सम्भाला और साथ ही साथ जबाबी कार्रवाई की । नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह चौहान ने अपनी टुकड़ी को तत्काल तैनात किया और दृढ़ निश्चय और अनुकरणीय साहस के साथ, वे हमला करते हुए उस दिशा की तरफ बढ़े जहां से गोलीबारी की जा रही थी । हमले के दौरान नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह चौहान उग्रवादियों की गोली से बाल-बाल बचे । अत्यधिक बहादुरी और उड़ती हुई किरचों से अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह चौहान, स्काऊट नं0 1 और एल.एम.जी. नं0 1, उग्रवादियों द्वारा उन पर सीधे की जा रही गोलीबारी से बचते हुए पहाड़ी पर चढ़ते रहे । उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी से अविचलित, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह चौहान ने स्काऊट नं0 1 और एल.एम.जी. नं0 1 के साथ उग्रवादियों पर अचूक गोलीबारी की और दो उग्रवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया और 2-3 उग्रवादियों को जख्मी कर दिया । इस कार्रवाई में, नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह चौहान ने, अपनी जान को गम्भीर खतरे की स्थिति में अदम्य वीरता और उच्च कोटि की जूनियर लीडरशिप, व्यावसायिक कुशलता, पहलशक्ति, अनुकरणीय साहस और ड्यूटी के प्रति अत्यधिक कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। मुठभेड़ स्थल से आई.ई.डी. 01 किलोग्राम, 2 चीन निर्मित हथगोले, 30 राऊन्द गोलाबारूद और अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए गए

इस मुठभेड़ में, श्री विरेन्द्र सिंह चौहान, नायब सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 सितम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 73 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री के0के0 वामन राव (मरणोपरान्त)
कान्सटेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जबरियां सामान्य क्षेत्र, तहसील मोहर, जिला उद्यमपुर (जम्मू और कश्मीर) में पाकिस्तानी उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशिष्ट सूचना के आधार पर 17.12.2002 को सीमा सुरक्षा बल की 12वीं बटालियन की टुकड़ियों द्वारा एक अभियान की योजना बनाई गई और उसे शुरू किया गया । आपरेशनल पार्टी को तीन टुकड़ियों में विभाजित किया गया । दो टुकड़ियों ने, एक सूबेदार (जी) के0डी0 ठाकुर के नेतृत्व में और एक उप निरीक्षक अतुल सिंघडे के नेतृत्व में, उग्रवादियों के भागने के सभी सम्भावित रास्तो को कवर कर लिया । तीसरी टुकड़ी को उग्रवादियों पर हमला करना था । लगभग 1315 बजे उग्रवादियों के साथ सम्पर्क साधा गया । टुकड़ियों को देखने पर उग्रवादियों ने पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाया और एक पहाड़ी के पीछे शरण लेकर सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर भारी गोलीबारी की । इसी बीच, कान्सटेबल कुंगर किशोर वामन राव, अपने जीवन की परवाह न करते हुए, एक ऐसी पहाड़ी के नजदीक पहुंचे, जहां से उग्रवादी गोलीबारी कर रहे थे । अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए, कान्सटेबल वामन राव रेंगते हुए उग्रवादियों के मोर्चे के नजदीक गए । जब उग्रवादियों ने इस कान्सटेबल को बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने अपनी स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार की जो कान्सटेबल वामन राव की गर्दन और कंधे पर लगी । गहरे जख्मो के बावजूद, कान्सटेबल वामन राव ने अपनी एल0एम0जी0 से तत्काल जबावी कार्रवाई की और जख्मों के कारण दम तोडने से पहले एक उग्रवादी को मार गिराया । अनुवर्ती कार्रवाई में, एक उग्रवादी को एम0एम0जी0 डेट द्वारा मार गिराया गया । दूसरा बचा हुआ उग्रवादी, भागने के प्रयास में, 03 ग्रेनडियर (सेना) की कमान्डो पार्टी द्वारा दागे गए एक रॉकेट लाऊन्चर से जख्मी हो गया । मारे गए उग्रवादियों से बड़ी मात्रा में गोला बारूद, आई0ई0डी उपकरण, ग्रेनेड और अन्य विविध वस्तुएं बरामद की गई ।

इस मठभेड़ में, दिवंगत श्री के0के0 वामनराव, कान्सटेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 74 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. पी.बी. भाकर, निरीक्षक
2. रविन्द्र कुमार सिंह, हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जिला उधमपुर (जम्मू और कश्मीर) के डाचन सामान्य क्षेत्र में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर "समर स्टोर्म" कूटनाम से एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई और यह अभियान 26 मई, 2002 को सीमा सुरक्षा बल की 102 बटालियन की टुकड़ियों और पुलिस द्वारा चलाया गया। योजना के अनुसार, उस स्थान पर पहुंचने पर उग्रवादियों के भागने के सम्भावित रास्तों को बंद करने के लिए दो रोक (स्टाप) लगाई गई। शेष ग्रुप को दो पार्टियों में विभाजित किया गया। श्री सी.एल. राणा, कमांडेंट के नेतृत्व में एक पार्टी और निरीक्षक (जी) पी.बी. भाकर के नेतृत्व में दूसरी पार्टी ने पुलिस के साथ संदिग्ध मकानों/ढोकों की विभिन्न दिशाओं से तलाशी लेने शुरु कर दी। निरीक्षक (जी) पी.बी. भाकर की कमान में जब टुकडियां युक्तिपूर्ण तरीके से लक्षित मकान की तरफ बढ़ रही थी तो अंदर छिपे हुए उग्रवादियों ने, आगे बढ़ रही टुकड़ियों को देख लिया और उन्होंने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी कर दी। टुकड़ियों ने तत्काल मोर्चा सम्भाला और प्रभावी ढंग से जबावी गोलीबारी की। तथापि, उग्रवादियों, जो बेहतर ढंग से निर्मित मोर्चे पर थे, ने टुकड़ियो पर भारी गोलीबारी जारी रखी। खतरनाक स्थिति को भांपते हुए, निरीक्षक भाकर और हैड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए और अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए भारी गोलीबारी के बीच रेंगते हुए मकान की तरफ बढ़ना शुरु किया। जब वे लक्षित मकान के बहुत नजदीक थे तो उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की कवर में मकान से बाहर आने और भागने की कोशिश की। भाग रहे उग्रवादियों को देखकर निरीक्षक भाकर और हैड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह ने तेजी से मोर्चा बदला और भाग रहे उग्रवादियों पर गोलियां चलाई, जिससे एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया और दूसरा जख्मी हो गया। तथापि घायल उग्रवादी, भू-भाग और घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर, एक ए.के. श्रेणी की राइफल, एक हथगोला और गोलाबारुद के साथ उग्रवादी का शव बरामद हुआ। मारे गए उग्रवादी की पहचान असर शाहबाज उर्फ असर बगदादी निवासी एरिफवाला प्रान्त, जिला सूबा पंजाब, पाकिस्तान निवासी के रुप मे हुई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री पी.बी. भाकर, निरीक्षक और रविन्द्र कुमार सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 मई, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 75 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. वी.पी. शुक्ला, सहायक कमांडेंट
2. शंकर लाल, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जम्मू और कश्मीर के ऊधमपुर जिले के खलीफनार सामान्य क्षेत्र में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर सीमा सुरक्षा बल की 102वीं बटालियन की टुकड़ियों द्वारा योजना बनाई गई तथा 19.8.2001 को एक अभियान चलाया गया। श्री वी.पी. शुक्ला, सहायक कमांडेंट प्रातः 5.30 बजे इस अभियान के लिए रवाना हुए तथा 3176 मीटर की ऊंचाई पर खलीफनार में मोर्चा संभाल लिया। खलीफनार नाले के नीचे की ओर उग्रवादियों की हलचल देखकर श्री शुक्ला, सहायक कमांडेंट ने पार्टी को दो ग्रुपों में बांटा तथा उग्रवादियों का युक्तिपूर्ण तरीके से पीछा किया। तथापि, उग्रवादियों ने इनकी आवा-जाही देख ली और जवानों पर भारी गोलीबारी की जिसका प्रत्युत्तर दिया गया परन्तु यह कारगर सिद्ध नहीं हुई। क्षेत्र की घेराबंदी की गई तथा उग्रवादियों के निकल भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। तत्पश्चात श्री शुक्ला, छः अन्य रैंकों के साथ उग्रवादियों की ओर आगे बढ़े। श्री शुक्ला ने एक उग्रवादी को एक शिला खंड के पीछे छिपते देखा। उग्रवादी ने टुकड़ियों को आगे बढ़ता देखकर गोली चलाना प्रारंभ कर दिया जिससे श्री शुक्ला बाल-बाल बच गए। विचलित हुए बगैर तथा अपने प्राणों की परवाह किए बिना, श्री शुक्ला गोलीबारी के बीच उग्रवादियों के मोर्चे की ओर चतुराई के साथ रेंगते हुए आगे बढ़ गए। उग्रवादी के मोर्चे के समीप पहुंचने के बाद इन्होंने सटीक गोलीबारी की और उसे वहीं पर ही मार गिराया। इस बीच, दूसरे उग्रवादी ने एक मजबूत मोर्चा जमा लिया तथा श्री शुक्ला और इनकी पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। प्रत्युत्तर में की गई गोलीबारी कारगर नहीं थी क्योंकि उग्रवादी भलीभांति मजबूत मोर्चे पर थे। इसी समय, सं. 94106361 कांस्टेबल शंकर लाल ने पहल की। इन्होंने अपने प्राणों की तनिक भी परवाह न करते हुए तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए रेंगकर उग्रवादियों के मोर्चे की ओर बढ़े। इनकी हलचल देखकर एक उग्रवादी ने कांस्टेबल शंकर लाल पर एक हथगोला फेंका परन्तु यह फटा नहीं। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कांस्टेबल शंकर लाल उग्रवादियों के मोर्चे की ओर बढ़ते हुए और उनके बीच जा कूदे तथा एक उग्रवादी को स्थल पर ही मार गिराया। तीसरा उग्रवादी जिसने भागने की कोशिश की, जवानों द्वारा मार गिराया गया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर तीनों उग्रवादियों के शव, दो ए.के. श्रेणी की राइफलें, सात हथगोले, गोलां बारूद सहित प्राप्त हुए। मारे उग्रवादियों की पहचान निम्नानुसार की गई

(क) मुमताज अहमद उर्फ लियाकत, निवासी सुम्बर, तहसील रामबन, जिला डोडा, जम्मू और कश्मीर

(ख) गुलजार अहमद उर्फ शहनाज पुत्र गतेह अहमद चौधरी, निवासी माला जमलान, तहसील महोरे, जिला ऊधमपुर, जम्मू और कश्मीर

(ग) हनीफ मोहम्मद उर्फ अब्दुल मजीद, पुत्र मोहम्मद हुसैन, निवासी बुधन, मूल, जिला ऊधमपुर, (जम्मू और कश्मीर)

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री वी.पी. शुक्ला, सहायक कमांडेंट तथा शंकर लाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 अगस्त, 2001 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 76 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री संजय पाटिल,
कांस्टेबल, 102वीं बटालियन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

4 जुलाई, 2002 को लांचा नाला सामान्य क्षेत्र, गुल, जिला ऊधमपुर, जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर, सीमा सुरक्षा बल की 102वीं बटालियन के जवानों ने एक अभियान की योजना बनाई तथा इसका संचालन किया। सहायक कमांडेंट श्री अरुण कुमार वर्मा के नेतृत्व में अभियान पार्टी लक्षित क्षेत्र में पहुंची और उग्रवादियों के भागने के सभी मार्गों को बंद करने के लिए रोक (स्टॉप) पार्टियां तैनात कर दीं। तत्पश्चात, इसपार्टी ने सभी दिशाओं से रेंगते हुए लक्षित मकान की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। जवानों की हलचल देखकर दो उग्रवादी मकान से बाहर निकले तथा उन्होंने भागने के इरादे से समीप के मक्का के खेत कीओर बढ़ते हुए, जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया। यह अनुमान लगाते हुए कि उग्रवादी भागने के प्रयास कर रहे हैं, कांस्टेबल संजय पाटिल, भागते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़े उन पर दो हथगोले फेंके। परिणामस्वरुप एक उग्रवादी के गंभीर चोटें आईं तथा वह भूमि पर गिर पड़ा। दूसरा उग्रवादी अपनी जान बचाने के लिए अपने घायल साथी को पीछे छोड़ते हुए नाले के रास्ते भागा। भागते हुए उग्रवादी को देखकर कांस्टेबल संजय पाटिल ने अपने प्राणों की तनिक भी परवाह न करते हुए तथा अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए भागते हुए उग्रवादी का पीछा किया। भागते-भागते उग्रवादी कांस्टेबल संजय पाटिल पर गोलियां चलाता रहा, जिनसे ये बाल-बाल बचे। कांस्टेबल संजय पाटिल ने उग्रवादी का पीछा जारी रखा तथा अन्ततः उसे मारने में सफल रहे। पहले घायल हुआ उग्रवादी भी घावों के कारण दम तोड़ चुका था। मारे गए दोनों आतंकवादियों के शव, दो ए.के. श्रेणी की राइफलें तथा गोली बारुद सहित बरामद किए गए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान हसन जांजवी तथा अबू जबराम, दोनों ही पाकिस्तानी राष्ट्रिक के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री संजय पाटिल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 जुलाई, 2002 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 77 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. सुरेश चंद, कांस्टेबल (मरणोपरांत)
2. कौशिक चंद्र राउत, कांस्टेबल (मरणोपरांत)
3. सुनील कुमार शॉ, कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

सीमा सुरक्षा बल की 200वीं बटालियन की टुकड़ियों द्वारा जिला राजौरी (जम्मू और कश्मीर) के बिन्दी सामान्य क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर "बिन्दी" कूट नाम से एक विशेष आपरेशन चलाने की योजना बनाई गई तथा इसे 21.3.2003 को प्रारंभ किया गया। आपरेशन पार्टी को योजनानुसार दो टुकड़ियों में विभाजित किया गया। एक टुकड़ी बिन्दी वन पहाड़ियों के शिखर की और से लक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ी तथा दूसरी टुकड़ी तलहटी की ओर से आगे बढ़ी। घेराबंदी करने के बाद उप निरीक्षक आर.एन. बोदरा के नेतृत्व में एक तलाशी पार्टी ने घने जंगल में उनके छिपने के संदिग्ध क्षेत्र की खोजबीन प्रारंभ की। इस पार्टी ने दो उग्रवादियों की संदेहास्पद आवाजाही देखी तथा उन्हें घेरने का प्रयास किया, परन्तु उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की जिसके जवाब में इस पार्टी ने तत्काल गोलीबारी की। इसी बीच, कांस्टेबल कौशिक चंद्र राउत तथा कांस्टेबल सुरेश चंद ने उग्रवादियों को एक चट्टान के पीछे छिपे देखा। उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए वे चुपके से घटनास्थल की ओर बढ़े तथा उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी की। गोलियों के आदान-प्रदान में कांस्टेबल कौशिक चन्द्र राउत और सुरेश चंद्र गोलियों से घायल हो गए। गोलियों के घातक घावों के बावजूद दोनों कांस्टेबलों ने उग्रवादियों को उलझाए रखा तथा उन्हें गंभीर रुप से घायल कर दिया। इस मौके पर, दूसरी टुकड़ी के कांस्टेबल सुनील कुमार शॉ तथा अन्य तीन कांस्टेबल घटनास्थल पर पहुंच गए तथा घायल उग्रवादियों को गोलीबारी में उलझाए रखा। घायल होने के बावजूद, कांस्टेबल सुनील कुमार शॉ तथा उनकी पार्टी ने गोलियों का उत्तर दिया तथा उग्रवादियों पर आधे घंटे तक गोलियां बरसाते रहे। इसी बीच, कांस्टेबल सुनील कुमार शॉ ने देखा कि अत्यधिक खून बह जाने के कारण कांस्टेबल सुरेश चंद की स्थिति बिगड़ रही है। अपने प्राणों की परवाह किए बगैर कांस्टेबल सुनील कुमार शॉ रेंगकर घायल कांस्टेबल सुरेश चंद के पास पहुंचे ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके। हलचल देखकर उग्रवादियों ने उन पर हथगोले फेंके। कांस्टेबल सुनील कुमार शॉ, गोलियों के घाव के बावजूद, उग्रवादियों के करीब गए तथा उनमें से एक को घटनलास्थल पर ही मार डाला। गोलीबारी के दौरान अन्य उग्रवादी भी इस पार्टी द्वारा मार गिराया गया। इससे पूर्व कि कांस्टेबल सुरेश चंद तथा कांस्टेबल कौशिक चन्द्र राउत को वहां से निकाल लिया जाता, घावों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर दो ए.के. श्रेणी की राइफलों, तीन हथगोलों तथा बड़ी मात्रा में गोली बारुद सहित उग्रवादियों के दो शव बरामद हुए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान, बाद में प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैय्यबा संगठन के पाकिस्तान प्रशिक्षित उग्रवादियों के रुप में हुई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री दिवंगत सुरेश चन्द्र कांस्टेबल, दिवंगत कौशिक चन्द्र राउत, कांस्टेबल तथा सुनील कुमार शॉ, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 मार्च, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 78 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	केशव देव, कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	राम बकील, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.	देवेन्द्र प्रसाद, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

25.9.2002 को जिला राजौरी (जम्मू और कश्मीर) के केशरगाला और डूंगी के बीच के क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की 163वीं बटालियन के एक हैड कांस्टेबल तथा सात कांस्टेबलों को लेकर गठित एक पार्टी ने विशेष घात लगाई। आधी रात के लगभग कांस्टेबल देवेन्द्र प्रसाद तथा कांस्टेबल राम बकील, जो घात पार्टी के सदस्य थे, ने देखा कि तीन उग्रवादी भारत की तरफ से नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। इन्होंने तत्काल घात पार्टी को सतर्क किया तथा अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए चुपचाप अपने मोर्चे पर डटे रहे ताकि उग्रवादी समीप आ जाएं। जब दोनों कांस्टेबलों ने देखा कि उग्रवादी उन की रैंज में हैं, तो इन्होंने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने को कहा। हालांकि, उग्रवादियों ने तत्काल मोर्चा सम्भाला तथा कांस्टेबलों पर गोलियां चलाईं। घात पार्टी ने गोलियों का उत्तर गोली की बौछार करके दिया तथा उग्रवादियों को उलझाए रखा। दोनों ओर से गोलीबारी में कांस्टेबल केशव देव की बाजू पर गोली लगी। इसी बीच, कांस्टेबल राम बकील ने एक उग्रवादी को घात पार्टी पर हथगोला फेंकने की तैयारी करते देख लिया। इन्होंने पार्टी को खतरा भांप कर, कांस्टेबल राम बकील, अपनी जान की परवाह न करते हुए मोर्चे से बाहर कूदे तथा सटीक गोलीबारी करते हुए उग्रवादी को मार डाला। इसी दौरान, कांस्टेबल देवेन्द्र प्रसाद तथा अन्य उग्रवादी, जिसने लाभप्रद स्थिति में मोर्चा लगा रखा था, के बीच भीषण गोलीबारी चल रही थी। यह मानते हुए कि इनकी गोलीबारी प्रभावी नहीं है, कांस्टेबल देवेन्द्र प्रसाद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए, तेजी से कार्रवाई करते हुए अपना मोर्चा बदल लिया तथा गोली चला कर उग्रवादी को घायल कर दिया। घायल उग्रवादी ने रिज पर मोर्चा संभाल लिया तथा घात पार्टी पर गोलीबारी की। इसी बीच, पहले से ही घायल कांस्टेबल केशव देव अपने घावों और घावों से बहते खून की परवाह न करते हुए भारी गोलीबारी के बीच रेंगकर उग्रवादी के समीप पहुंचे तथा उसे मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर 2 ए.के. श्रेणी की राइफलों, गोला बारूद तथा अन्य मदों सहित मारे गए उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। बाद में मृत उग्रवादियों की पहचान शानौला तथा अबू साद, दोनों पाकिस्तान निवासी, के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री केशव देव, कांस्टेबल, राम बकील, कांस्टेबल तथा देवेन्द्र प्रसाद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25.9.2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरुण मित्रा)

निदेशक

सं0 79 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	रिसाल सिंह, निरीक्षक	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	सुनील कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19 अक्तूबर, 2002 को जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के धनवान गांव के समीप नाला क्षेत्र में तीन उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर चार कांस्टेबलों के साथ सीमा सुरक्षा बल की 92वीं बटालियन के निरीक्षक रिसाल सिंह क्षेत्र की ओर रवाना हुए और तलाशी अभियान प्रारंभ किया । रात्रि लगभग 1-1.10 बजे कांस्टेबल सुनील कुमार, जो तलाशी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, ने घनी वनस्पति से ढके नाले में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं । ललकारने पर उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की तथा पार्टी पर हथगोले दागे । निरीक्षक रिसालसिंह तथा कांस्टेबल सुनील कुमार ने गोलीबारी का जवाब दिया। उग्रवादियों को समीप से उलझाए रखने के लिए निरीक्षक रिसालसिंह तथा कांस्टेबल सुनील कुमार अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए उग्रवादियों के मोर्चे की ओर बढ़ते चले गए तथा एक उग्रवादी को मार गिराया परन्तु इस कार्रवाई के दौरान निरीक्षक रिसालसिंह तथा कांस्टेबल सुनील कुमार क्रमशः किरचों और गोली से घायल हो गए । कांस्टेबल सुनील कुमार के प्राणों को खतरा देख कर, निरीक्षक रिसालसिंह ने अपने किरचों से हुए घाव के बावजूद, उस कांस्टेबल को उठाया तथा भारी गोलीबारी के बावजूद उसे सड़क तक ले आए ताकि उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके । निरीक्षक रिसालसिंह अपने घावों तथा प्राणों की परवाह किए बिना पुनः घटनास्थल की ओर दौड़े तथा अपनी पार्टी को इलाके की घेराबन्दी करने को कहा । इसी बीच वहां कुमुक पहुंच गई तथा तथा अतिरिक्त बलों की सहायता से निरीक्षक रिसालसिंह उग्रवादियों को अलग-थलग करने तथा नाले तक ही सीमित रखने में समर्थ रहे । गोलीबारी जारी रही जिसमें एक और उग्रवादी मारा गया । चूंकि उग्रवादियों की गोलीबारी थम गई थी अतः पार्टी ने इलाके की खोज बीन प्रारंभ की । तलाशी के दौरान नाले में छिपे एक उग्रवादी ने पार्टी पर गोली चलाई परन्तु निरीक्षक रिसालसिंह ने उच्च कोटि के साहस का प्रदर्शन करते हुए उसे गोली से मार गिराया । क्षेत्र की ओर तलाशी लेने पर, तीन ए.के. श्रेणी की राइफलों एक पिस्तौल, एक चीन निर्मित हथगोले, तीन यू.बी.जी.एल. हथगोलों, दो रेडियो सेट तथा 35000/- रू0 की भारतीय मुद्रा सहित तीन उग्रवादियों के शव बरामद हुए । जबकि मृत दो उग्रवादियों की पहचान मोहम्मद असग्रिम, निवासी सेफ हाउस, कोटली, पाक अधिकृत कश्मीर तथा ओसामा, निवासी सेफ हाउस, कोटली, पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में की गई तथा तीसरे उग्रवादी की पहचान नहीं की जा सकी ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री रिसालसिंह, निरीक्षक तथा सुनील कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 अक्तूबर, 2002 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 80 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सचिन्द्रनाथ दास, हैड कांस्टेबल (मरणोपरांत)
2. मो0 एम.एच. लस्कर, हैड कांस्टेबल (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27 अक्तूबर, 2002 को फारवर्ड डिफेन्डेड लोकेलिटी (एफ.जी.एल.) 705 के उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र तथा मावरा, जिला जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में सीमा सुरक्षा बल की 162वीं बटालियन के हैड कांस्टेबल मो.एम.एच. लस्कर तथा कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह, द्वारा रात्रि में घात लगायी गयी । आधी रात के करीब, घात लगाने वाली पार्टी ने देखा कि दो उग्रवादी पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ से हमारे क्षेत्र की ओर बढ़े आ रहे हैं । जब घात लगाने वाली पार्टी ने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी, तो उन्होंने आड़ लेकर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी । इस पार्टी पर हथगोले फेंकने प्रारंभ कर दिए । गोलीबारी का जवाब दिया गया परन्तु यह प्रभावी नहीं थी क्योंकि उग्रवादी आड़ में थे । उग्रवादियों को ढूंढने के लिए हैड कांस्टेबल मो0 एम.एच. लस्कर अपना मोर्चा छोड़कर बाहर आ गए तथा रेंगकर उग्रवादियों के मोर्चे की ओर आगे बढ़ने लगे जहां से उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी की जा रही थी । वे एक उग्रवादी का मोर्चा तलाशने में सफल रहे । तथापि उग्रवादी ने उनकी हरकत को देख लिया और उन पर गोलीबारी की । इस समय, हैड कांस्टेबल लस्कर, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, एकदम सामने आ गए तथा सटीक गोलीबारी करके एक उग्रवादी को मार गिराया । इसी बीच, कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह भी हैड कांस्टेबल लस्कर के साथ आ गए । दोनों ने दूसरे उग्रवादी के समीप पहुंचने की कोशिश की जो जंगली घास के बीच रिज लाइन के नीचे छिपा हुआ था तथा घात लगाने वाली पार्टी पर गोलियां चल रहा था । दोनों ने उग्रवादी को गोलीबारी में उलझाए रखा परन्तु इसी बीच हैड कांस्टेबल लस्कर के माथे पर गोली लग गई और उन्होंने प्राणोत्सर्ग करके सर्वोच्च बलिदान दिया । तथापि, कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह विचलित नहीं हुए तथा वहां कुमुक के पहुंचने तक उग्रवादी को उलझाए रखा । कुमुक ग्रुप के सदस्य सचिन्द्रनाथ दूसरे उग्रवादी को उलझाए रखने के लिए देवेन्द्र सिंह के साथ हो लिए । परन्तु गोलीबारी कामयाब नहीं थी क्योंकि उग्रवादी पूर तरह से आड़ में था । चूंकि उग्रवादी को समाप्त करने के प्रयास सफल नहीं हो रहे थे, हैड कांस्टेबल सचिन्द्रनाथ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए रेंगते हुए उग्रवादी की पोजीशन की ओर आगे बढ़ने लगे । इसी बीच, उग्रवादी ने उनकी हरकत को देख लिया तथा गोलीबारी का रुख हैड कांस्टेबल सचिन्द्रनाथ की ओर कर दिया । गोलियों की बौछार की परवाह न करते हुए हैड कांस्टेबल सचिन्द्रनाथ आगे बढ़ते रहे तथा गोलीबारी में उन्होंने दूसरे उग्रवादी को मार गिराया । तथापि, इस दौरान वे गोलियों से घायल हो गए तथा अस्पताल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई । क्षेत्र की तलाशी लेते समय दो उग्रवादियों के शव बरामद हुए जिनकी पहचान नहीं की जा सकी । उनके पास से निम्नलिखित गोली बारूद बरामद हुआ:- (क) ए.के. श्रेणी की राइफलें (दो) (ख) हथगोले 4 (चार) (ग) ए.के. श्रेणी का गोला बारूद - 101 राउन्द । उपर्युक्त के अलावा, घटनास्थल से एक लाख रूपये की भारतीय मुद्रा भी बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) सर्व/श्री सचिन्द्रनाथ दास, हैड कांस्टेबल तथा मो0 एम.एच. लस्कर, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 अक्तूबर, 2002 से दिया जाएगा ।

(अरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 81 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आर.के. मांझी
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20/21 सितम्बर, 2002 की रात्रि को जम्मू और कश्मीर के जिला मेन्धर के डब्बी क्षेत्र में उप निरीक्षक श्री आर.के. मांझी के नेतृत्व में एक विशेष घात लगाई गई। घात तीन भागों में आयोजित की गई तथा उप निरीक्षक मांझी ने कांस्टेबल करमबीर सिंह और कांस्टेबल सुरजीत सिंह के साथ स्वयं को बीच के ग्रुप में रखा। आधी रात के लगभग उप निरीक्षक आर.के. मांझी ने कुछ उग्रवादियों को पाक अधिकृत कश्मीर की ओर जाते देखा। इन्होंने टुकड़ी को सतर्क कर दिया तथा उन्हें निदेश दिया कि वे उग्रवादियों पर तब तक नजर रखें जब तक कि वे पास न आ जाएं। जब उग्रवादी समीप आ गए तो उन्हें ललकारा गया। तत्काल ही उग्रवादियों ने घात लगाने वाली पार्टी पर भारी गोलीबारी तथा हथगोले फेंकने प्रारंभ कर दिए। गोलीबारी का जवाब दिया गया। गोलीबारी के दौरान उप निरीक्षक आर.के. मांझी चुप-चाप बढ़े और दोनों कांस्टेबलों को एक शिलाखंड के पीछे सुरक्षित स्थान पर तैनात कर दिया। तत्पश्चात इन्होंने एक शिला के पीछे मोचा लगाया तथा उग्रवादियों पर हथगोले फेंकर उन्हें घायल कर दिया। घायल उग्रवादियों ने अंधेरे का लाभ उठाते हुए एक छोटे से गड्ढे में मोर्चा लगा दिया। इस पर उप निरीक्षक मांझी अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए रेंगकर उग्रवादियों के मोर्चे के समीप जा पहुंचे। इस हरकत को देखकर एक उग्रवादी ने अपना मोर्चा बदल लिया तथा उप निरीक्षक मांझी पर हथगोला फेंका परन्तु वे बाल-बाल बच गए। विचलित हुए बिना उप निरीक्षक मांझी, अपने जीवन की परवाह न करते हुए एक शिलाखंड के पीछे कूद पड़े और एक उग्रवादी को गोली मार दी। अन्य उग्रवादी, जो पहले घायल हो गयाथा, ने घावों के कारण दम तोड़ दिया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर दो ए.के. श्रेणी के राइफलों, चार चीन निर्मित हथगोलों तथा गोली बारुद सहित उग्रवादियों के दो शव बरामद किए गए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान मो.फजल पुत्र मो. सादिक, निवासी डब्बी, जिला मेंधर (जम्मू और कश्मीर) तथा मो.जमील निवासी पाकिस्तान, तहरीक उल मुजाहिद्दीन संगठन के सदस्य के रुप में हुई।

इस मुठभेड़ में, श्री आर.के. मांझी, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 सितम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 82 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	जे.के.एस. रावत, कमांडेंट	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	देविन्दर सिंह अरनेजा, सूबेदार	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

1/2 दिसम्बर, 2002 के बीच की रात जम्मू और कश्मीर के बड़गाम जिले के ग्राम हाजन में एक ढोक के पीछे कुछ उग्रवादियों के ठहरे होने की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर सीमा सुरक्षा बल की 171वीं बटालियन के कमांडेंट जे.के.एस. रावत ने योजना बनाई तथा अभियान चलाया। संदिग्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक आन्तरिक घेराबंदी की गई तथा उग्रवादियों के भागने के सभी मार्ग बंद कर दिए गए। तत्पश्चात पार्टी ने तीन विभिन्न दिशाओं से ढोकों की तलाशी लेना प्रारंभ किया। जब कमांडेंट जे.के.एस. रावत के नेतृत्व में पार्टी, एक ढोक में प्रवेश करने ही वाली थी कि ढोक में छिपे उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार कर दी तथा हथगोले फेंकने प्रारंभ कर दिए। इसके परिणामस्वरूप कमांडेंट श्री जे.के.एस. रावत, दाहिनी टांग पर किरचें लगने से घायल हो गए। उग्रवादी और अधिक हथगोले फेंकने के बाद भागने के प्रयास में नाले/घने पेड़ों की ओर जाने लगे। कमांडेंट श्री रावत ने अपने घावों तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए निरीक्षक देविन्द्र सिंह को साथ लेकर भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया। बाहरी घेराबंदी को देखते हुए उग्रवादियों ने पत्थरों और बहकर आई लकड़ियों के बीच मोर्चा जमा लिया तथा कमांडेंट रावत तथा निरीक्षक देविन्द्र सिंह पर गोलियां बरसाना शुरु कर दिया। कवरिंग गोलीबारी की आड़ लेकर श्री रावत रेंगते हुए उग्रवादियों के मोर्चे की ओर गए तथा उग्रवादियों के मोर्चे पर हथगोले फेकें। विस्फोटकों के प्रभाव का आकलन करने के बाद श्री रावत ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उग्रवादियों पर धावा बोल दिया तथा उनमे से दो को मार गिराया। तीसरा उग्रवादी, जो बहकर आई लकड़ियों के पीछे छिपा था, श्री जे.के.एस. रावत पर गोली चलाने हेतु ऊपर कूदा परन्तु निरीक्षक देविन्द्र सिंह ने उसे देख लिया। कमांडेंट को खतरे में देखकर निरीक्षक देविन्द्र सिंह ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह नहीं की और उग्रवादी को गोली से उड़ा दिया। हालांकि इस कार्रवाई में उन्हें खुले में आने का खतरा मोल लेना पड़ा। क्षेत्र की तलाशी लेने पर तीन ए.के. श्रेणी की राइफलों, दो हथगोलों, एक अन्डर बैरल ग्रेनेड लांचर, दो गोलों तथा दो वायरलैस सेटों सहित उग्रवादियों के तीन शव बरामद हुए। मृत उग्रवादियों की पहचान बाद में निम्नानुसार हुई :-

(क) बशीर अहमद अहंगार उर्फ गजली उर्फ इफान पुत्र गुलाम मोहम्मद अहंगर, निवासी अहमदपोर, मगाम जम्मू और कश्मीर ।

(ख) मो. अकबर भट उर्फ ग्रीन जीरो उर्फ फरहाद, निवासी हांजी मेरा,पट्टा बारामूला जम्मू और कश्मीर ।

(ग) शिराज खान उर्फ सज्जाद उर्फ सराम पुत्र मज. अली असगर, निवासी गुजरांवाला, पाकिस्तान ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री जे.के.एस. रावत, कमांडेंट तथा देविन्द्रर सिंह अरनेजा, सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 दिसम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 83 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	मुकेश बिष्ट, सहायक कमांडेंट	(मरणोपरान्त)	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	पी.एम. नाथ, हैड कांस्टेबल		(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उग्रवादियों की गतिविधि के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर श्री मुकेश बिष्ट, सहायक कमांडेंट की कमान में 193 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 01 फरवरी, 2003 को अंजुमन मस्जिद बेमिना, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) के समीप एक घात लगाई। घात पार्टी ने एक साइकिल सवार को अपनी ओर आते देखा। श्री मुकेश बिष्ट ने साइकिल सवार को रुकने को कहा, परन्तु वह नहीं रुका और बगल की सड़क में तेजी से बचकर भागने का प्रयास किया। श्री बिष्ट, अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए तथा निर्भीकता और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए साइकिल सवार के ऊपर कूद पड़े, जिससे वह नीचे गिर गया। एक-दूसरे को काबू करने की दृष्टि से दोनों आपस में गुत्थम-गुत्था हो गए। इस भिड़न्त में साइकिल सवार अपनी पिस्तौल निकालने में सफल रहा और एक राउंद गोली चलाकर श्री बिष्ट को गम्भीर रुप से घायल कर दिया। गंभीर घावों के बावजूद, श्री मुकेश बिष्ट, उस उग्रवादी से भिड़ते रहे और उन्होंने अपनी राइफल से गोली चलाई जिससे उग्रवादी घायल हो गया। उग्रवादी अपने को मुक्त कराने में सफल रहा और उसने अंधाधुंध गोलीबारी करके बचकर भागने का प्रयास किया। श्री मुकेश बिष्ट ने गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद, उसका पीछा किया परन्तु गंभीर घावों के कारण बेहोश होकर गिर पड़े और अपने जीवन का बलिदान दिया। सं0 87108375 हैड कांस्टेबल पी.एम. नाथ ने अपने अधिकारी की हालत देखकर अपनी सुरक्षित फायरिंग पोजीशन छोड़ दी और भागते हुए उग्रवादी का पीछा किया। उग्रवादी जो भारी गोलीबारी कर रहा था, और हथगोले फेंक रहा था, के साथ चली लड़ाई में हैड कांस्टेबल पी.एम. नाथ ने साहस और आत्म बलिदान के लिए तत्परता का परिचय दिया और उग्रवादी के समीप आकर उसे मार गिराया। मारे गए उग्रवादी की पहचान मोहम्मद जाकारिया उर्फ अबू हजीफा/वकुस अफगानी पुत्र मोहम्मद नजीर खान, निवासी रावलकोट पाकिस्तान के रुप में हुई। मारे गए उग्रवादी से एक जर्मनी निर्मित पिस्तौल, पांच हथगोले और गोला बारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री दिवंगत मुकेश बिष्ट, सहायक कमांडेंट और पी.एम. नाथ, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 फरवरी, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 84 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. निरंजन राम, उप निरीक्षक (मरणोपरान्त)
2. दिलबाग सिंह कांस्टेबल (मरणोपरान्त)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उग्रवादियों की गतिविधि के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर उप निरीक्षक निरंजन राम ने 23 अन्य रैंको के साथ सामान्य क्षेत्र हाजीबर्त, गांव बिरजम्बारी, जिला ऊधमपुर, जम्मू और कश्मीर में 3 जनवरी, 2003 को घात लगाई । घात पार्टी ने 0700 बजे कुछ संदेहास्पद गतिविधि देखी और संदिग्धों को चुनौती दी । अचानक एक आई ई डी विस्फोट हुआ और उग्रवादियों के शवों के टुकड़े समीप के गहरे नाले में गिरे । क्षेत्र की तलाशी लेने पर मानव शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े और उग्रवादियों द्वारा पहने कपड़े बरामद किए गए। उसके बाद अभियान समाप्त कर दिया गया और पार्टी तीन ग्रुपों में अपनी चौकी को वापस हुई। उप निरीक्षक निरंजन राम के नेतृत्व वाली पार्टी जब गांव बिरजम्बारी से गुजर रही थी तो उसने 500-600 गज की दूरी पर दो उग्रवादियों को देखा । उप निरीक्षक निरंजन राम ने तत्काल अपनी पार्टी को बाईं और दाईं ओर से उग्रवादियों को घेरने के अनुदेश दिए । तब वह अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए, भारी गोलीबारी के बीच उग्रवादियों की पोजीशन की ओर आगे बढ़े । इस बीच उग्रवादियों में से एक ने, कांस्टेबल दिलबाग सिंह पर, जो उप निरीक्षक निरंजन राम को कवरिंग फायर उपलब्ध कर रहे थे, हथगोले फेंकते हुए और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए पहाड़ी पर ऊपर चढ़ना प्रारम्भ किया । विचलित हुए बिना, कांस्टेबल दिलबाग सिंह ने जवाबी गोलीबारी की और उग्रवादी को मार गिराया। चट्टान के पीछे छिपे एक अन्य उग्रवादी ने उप निरीक्षक निरंजन राम की तरफ एक हथगोला फेंका, जिससे वह बाल-बाल बचे । असाधारण साहस दिखाते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए, वह अपनी पोजीशन से तत्काल बाहर कूदे और उग्रवादी को मार गिराया, जो एक और ग्रेनेड फेंकने वाला था । जब पार्टी शवों को कब्जे में ले रही थी, तभी अचानक विभिन्न दिशाओं से 15 से 20 उग्रवादी प्रकट हुए और भारी गोलीबारी प्रारम्भ कर दी जिसके परिणामस्वरूप उप निरीक्षक निरंजन राम गोलियों से गम्भीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए । कांस्टेबल दिलबाग सिंह, जिन्होंने कारगरता के साथ उग्रवादी को उलझाए हुआ था, भी गोलियाँ लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गए । घायल होने के बावजूद, उन्होंने मरते दम तक अपनी एल एम जी से उग्रवादियों को उलझाए रखा । क्षेत्र की तलाशी लेने पर उग्रवादियों के दो शवों के साथ ए.के. श्रेणी की राइफल और गोलाबारूद बरामद किया गया । मारे गए उग्रवादियों की पहचान जुल्फिकर बेग, पुत्र गुलाम रसूल बेग, निवासी गुल, जम्मू और कश्मीर एच एम गुट का एक डिवीजनल कमाण्डर और मोहम्मद शरीफ, पुत्र अब्दुल्ला गजर, निवासी लानी, गुल, जम्मू और कश्मीर के रूप में हुई ।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत सर्व/श्री निरंजन राम, उप निरीक्षक, और दिलबाग सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 जनवरी, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 85 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रोशन लाल, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गुई और हमसा, जिला उधमपुर, जम्मू और कश्मीर के बीच पड़ने वाले सामान्य क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर सीमा सुरक्षा बल की 102 बटालियन और 172 बटालियन ने 29 नवम्बर, 2002 को एक अभियान की योजना बनाई और अभियान प्रारम्भ किया । योजना के अनुसार पार्टी ने लक्ष्य क्षेत्र में पहुंच कर संदिग्ध रास्तों पर घात लगाई और क्षेत्र की तलाशी प्रारम्भ की । जब तलाशी अभियान चल रहा था तब उप निरीक्षक के.के. दास के नेतृत्व वाली घात पार्टी ने उग्रवादी की गतिविधियां देखी । तत्काल सभी पार्टियों को सूचित कर सजग कर दिया गया । इस बीच श्री संकटा प्रसाद, उप कमांडेंट के नेतृत्व वाली पार्टी पर एक उग्रवादी ने हमसा और गुई नाले के बीच पर्वत श्रेणी से गोलीबारी की । पार्टी ने प्रभावी गोलीबारी करके उस उग्रवादी को मार गिराया। स्थल से हथियार और गोलाबारुद के साथ उग्रवादी का शव बरामद किया गया। पार्टी तब समान्य क्षेत्र गुई की तरफ रवाना हुई, जहां उन्हें और उग्रवादी मिले और भीषण गोलीबारी प्रारम्भ हो गई। उग्रवादी एक ऊंचे स्थान पर लाभकारी पोजीशन पर थे जिसके कारण जवानों की गोलीबारी प्रभावी सिद्ध नहीं हो रही थी। कांस्टेबल रोशन लाल ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए और अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए, उग्रवादियों को नजदीक से उलझाए रखने के लिए उनकी पोजीशन की तरफ रेंगना प्रारम्भ किया । इससे उग्रवादियों को सामने आने के लिए बाध्य होना पड़ा । इस अवसर को समझ और व्यावसायिक कुशलता का प्रदर्शन करते हुए कांस्टेबल रोशन लाल ने त्वरित कार्रवाई में सटीक गोलीबारी की और एक उग्रवादी को स्थल पर ही मार गिराया । अन्य उग्रवादियों ने कांस्टेबल रोशन लाल और पार्टी पर भारी गोलीबारी प्रारम्भ कर दी परन्तु कांस्टेबल रोशन लाल निर्भीकता से उग्रवादियों की तरफ आगे बढ़े, जो उन और उनकी पार्टी पर अपनी पोजीशन से गोलीबारी कर रहे थे, तथा उन्हें प्रभावी रूप से उलझाए रखा । तत्पश्चात् उग्रवादियों ने कांस्टेबल रोशन लाल पर एक हथगोला फेंका और उसकी किरचों से उनकी छाती और पेट पर घाव हो गए जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई । दोनों ओर से गोलीबारी में एक और उग्रवादी जवानों के हाथों मारा गया । हालांकि रात भर दोनों ओर से रूक-रूक कर गोलीबारी होती रही, शेष उग्रवादी अंधेरे और उबड़-खाबड़ भू-भाग का लाभ उठाकर बचकर भाग निकलने में सफल हो गए । इस मुठभेड़ में, कुल तीन उग्रवादी मारे गए और दो ए.के. 47 राइफलों, दो हथगोलों और गोलाबारूद के साथ इन सभी के शव बरामद किए गए । मारे गए उग्रवादियों की पहचान इस प्रकार से हुई:-

(क) अबू उस्मान, निवासी पाकिस्तान ।

(ख) गुलाम मोहम्मद, पुत्र हबीब, निवासी बिरजम्बरी, पुलिस स्टेशन गुल, जिला उधमपुर, जम्मू और कश्मीर ।

(ग) अब्दुल गनी, पुत्र मोहम्मद अकबर, निवासी बिरजम्बरी, पुलिस स्टेशन गुल, जिला उधमपुर ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री रोशन लाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 नवम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 86 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राकेश चन्द, हैड कांस्टेबल
2. जगदीश सिंह, कांस्टेबल
3. हरेन्द्र यादव, कांस्टेबल (मरणोपरान्त)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

इस आसूचना जानकारी के आधार पर कि प्रतिबंधित यूनाईटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लगभग तीस से चालीस कार्यकर्ता सीमा सुरक्षा बल की विद्रोह विरोधी चौकी सुगनू और संगाईकोट पर हमला करने की योजना के साथ गांव साजिक तंपक, जिला चंदेल, मणिपुर में एकत्रित हुए हैं, "ज्वाला" कूटनाम से एक अभियान की योजना बनाई गई और द्वितीय बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा 8.1.2003 को अभियान चलाया गया। श्री विवेक सक्सेना के नेतृत्व में द्वितीय बटालियन सीमा सुरक्षा बल की एक कम्पनी गांव साजिक तंपक पहुंची। जब जवान समीप की छोटी पहाड़ी की ढाल पर पोजीशन ले रहे थे, तभी उग्रवादियों, जिन्होंने पहाड़ी की चोटी पर पोजीशन ले रखी थी, ने उन पर भारी मात्रा में गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। यद्यपि, भारी गोलीबारी के कारण जवान शान्त हो गए परन्तु उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। चूंकि यह क्षेत्र भारत-म्यांमार सीमा के बिलकुल समीप है अत: उग्रवादियों को म्यांमार सीमा पार से मणिपुर अतिवादियों के सभी ग्रुपों से निर्बाध कुमक प्राप्त होती रही। इस प्रकार उग्रवादियों की संख्या बढ़कर 350-400 तक हो गई। लगभग 1830 बजे उग्रवादियों ने यू.एम.जी. छोटे हथियारों और एच.ई. बम्बों के साथ जबरदस्त हमला किया। उग्रवादियों की एक गोली कांस्टेबल हरेन्द्र यादव को लगी जो एल.एम.जी. चला रहे थे। निडर हो कर और गोली के गम्भीर घाव के बावजूद उन्होंने एल.एम.जी. से गोलीबारी जारी रखी और अपने घावों के कारण प्राण त्यागने से पूर्व उन्होंने एक उग्रवादी को मार गिराया। श्री विवेक सक्सेना, सहायक कमांडेंट ने तत्काल एल.एम.जी. को सम्भाला और गोलीबारी जारी रखी। बदलते घटनाक्रम को देखकर हैड कांस्टेबल राकेश चन्द और कांस्टेबल जगदीश सिंह ने भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए, असाधारण साहस का परिचय दिया और एल.एम.जी. को अधिकारी से ले लेने के लिए उनकी तरफ लपके। इस प्रकार, अधिकारी को लड़ाई के दौरान नेतृत्व पर ध्यान देने के लिए मुक्त कर दिया। एल.एम.जी. थाम लेने के पश्चात् इन्होंने एल.एम.जी. से सटीक और प्रभावी गोलीबारी प्रारम्भ कर दी, जिससे उग्रवादियों का हमला असफल हो गया और उन्हें वहां से भाग जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। गोलियों की बौछारों के बावजूद, एल.एम.जी. प्राप्त करने में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरुप बहुत से कर्मियों को बचाया जा सका जो उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के कारण चुपचाप थे। हैड कांस्टेबल राकेश चन्द और कांस्टेबल जगदीश सिंह द्वारा प्रदर्शित अदम्य वीरतापूर्ण कार्रवाई और साहस के कारण न केवल मुठभेड़ का रुख बदल गया बल्कि उग्रवादियों को भारी नुकसान पहुंचाकर समुचित जवाब दिया और उन्हें वापस लौटने के लिए बाध्य करके, अन्य जवानों को प्रेरणा भी मिली। इस मुठभेड़ में चार उग्रवादी मारे गए, इनके शवों को वापस जाते हुए उग्रवादियों द्वारा ले जाते हुए देखा गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री राकेश चन्द, हैड कांस्टेबल, जगदीश सिंह, कांस्टेबल और (दिवंगत) हरेन्द्र यादव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 जनवरी, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 87 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	सोहन खुले, कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	सुरजीत कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19.2.2003 को लगभग 2030 बजे यह विश्वसनीय आसूचना मिलने पर कि आधुनिक हथियारों से लैस 8 से 10 के.एल.ओ. उग्रवादियों का एक दल, आतंकवादी गतिविधियां चलाने और सरकार के विरुद्ध षडयंत्र रचने के लिए पुलिस स्टेशन कुमारग्राम, जिला जलपाईगुड़ी के अन्तर्गत जयदेवपुर टापू सामाजिक जंगल में आ रहा है, 138 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित जवानों ने श्री ए. जयचन्द्रन ए/सी (डी/सी ओप्स) के पूर्ण पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक, जिला जलपाईगुड़ी, अपर पुलिस अधीक्षक, अलीपुरद्वार, आई.ओ.सी. पुलिस स्टेशन कुमारग्राम और राज्य पुलिस के साथ मिलकर 1920 बजे जयदेवपुर टापू और नदी के पार धूमपारा जंगल में घात लगाई :-

श्री हरकेश सिंह, ए/सी के नेतृत्व में ए/138 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 सेक्शन
निरीक्षक टी.के. हाजरा के नेतृत्व में डी/138 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1 प्लाटून
निरीक्षक गिरधारी लाल के नेतृत्व में ई/138 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 प्लाटून
उप निरीक्षक राव सूबे सिंह के नेतृत्व में 1 प्लाटून
उप निरीक्षक जगदीश सिंह के नेतृत्व में एफ/139 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1 प्लाटून

बूंदाबांदी हो रही थी और बादलों के छाने के कारण कम दिखाई दे रहा था। लगभग 2200 बजे डी/138 बटालियन के कर्मियों ने धूमपारा जंगल नदी के तट पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां देखी। चुनौती देने पर, उपद्रवियों ने तत्काल ट्रेसर गोलियों का प्रयोग करते हुए ए.के. 47 राइफल से घात पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। केन्द्रीय रिवर्ज पुलिस बल के जवानों ने जवाबी गोलीबारी की और लगभग एक घण्टे तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। चूंकि उपद्रवी समीप के जंगल में छिपे हुए थे, अत: जवानों ने श्री सिद्धनाथ गुप्ता, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक, के आदेश से उग्रवादियों को उनके छिपने के स्थान से बाहर खदेड़ने के लिए एच.ई. और पैरा बम्ब चलाए। उप निरीक्षक जगदीश सिंह के नेतृत्व में एफ/138 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक प्लाटून को भी न्यू लैण्डस टी गार्डन में हमला करने के लिए रिजर्व के रुप में रखा गया था। मुठभेड़ के बारे में सूचना मिलने पर प्लाटून भारत-भूटान सीमा के समीप रेडक नदी को पार करने के स्थान पर, धूमपारा जंगल में उग्रवादियों के बचकर भागने के मार्ग पर घात लगाने हेतु 2300 बजे रवाना हुई। सं0 001387374 कांस्टेबल/जी.डी. सोहन खुले और सं0 001380885 कांस्टेबल/जी.डी. सुरजीत कुमार को क्रमश: एल.एम.जी-I और एल.एम.जी.-II के रुप में नदी के किनारे उत्तर पूर्व के तरफ तैनात किया गया। इन्होंने दो व्यक्तियों को लगभग 2045 बजे भूटान की तरफ धीरे-धीरे जाते देखा। कांस्टेबल सोहन खुले ने उन्हें चुनौती दी और उत्तर देने की बजाए उग्रवादियों ने पेड़ की आड़ लेकर ए.के. 47 से उपर्युक्त एल.एम.जी. पार्टी पर गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। कांस्टेबल सोहन खुले के बायें हाथ की कलाई पर एक गोली और दूसरी छाती के दायीं तरफ लगी।

अत्यधिक खून बहने के बावजूद कांस्टेबल सोहन खुले रेंगकर छिपे हुए उग्रवादियों की तरफ गए आर नजदीक के पेड़ के पीछे पोजीशन ली और अपनी एल.एम.जी. से गोलियों की बौछार करके उग्रवादी को स्थल पर ही मार गिराया। कांस्टेबल सोहन खुले ने एक हाथ से ही गोलीबारी करके एक अन्य उग्रवादी को उलझाए रखा क्योंकि उनका बायां हाथ घायल हो गया था। इस बीच, कांस्टेबल सुरजीत कुमार एल.एम.जी.-II ने सूझ-बूझ का परिचय देते हुए कांस्टेबल सोहन खुले को स्थल से हटाया और स्वयं पोजीशन ले ली। कांस्टेबल सुरजीत कुमार ने भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए गोलीबारी प्रारम्भ कर दी और उग्रवादियों पर दो हथगोले फेंके। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व से 2 से 3 उग्रवादियों ने ए.के. 47 राइफल का प्रयोग करते हुए भारी गोलीबारी कर दी। दोनों ओर से 2 घंटे तक गोलीबारी होती रही। स्थिति का जायजा लेने पर उप निरीक्षक जगदीश सिंह ने उग्रवादियों पर एच.ई. बम फेंके परन्तु उग्रवादी घने जंगल का लाभ उठाकर भूटान सीमा की तरफ भाग गए। घायल कांस्टेबल सोहन खुले को धूमपारा बस्ती लाया गया। श्री ए. जयचन्द्रन, सहायक कमांडेंट (डी.सी/ओप्स), एस.डी.पी.ओ. और ओ.आई.सी., पुलिस स्टेशन कुमारग्राम जयदेवपुर टापू से प्लाटून की सहायता के लिए रवाना हुए। कांस्टेबल सोहन खुले को कुमारग्राम अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार किया गया और बाद में बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए सिलीगुड़ी में पैरामाउण्ट नर्सिंग होम ले जाया गया। अगले दिन कमुक पार्टी स्थल की ओर रवाना हुई और घटना स्थल की तलाशी लेने पर 2 चीन निर्मित हथगोले और ए.के. 47 के 12 खाली कारतूसों के साथ एक उग्रवादी का शव, जिसकी पहचान मालदा कस्बा, पश्चिम बंगाल के अमल सरकार उर्फ महेन्द्र नारायण चतुर्थ बैच प्रशिक्षित के.एल.ओ. उग्रवादी के रुप में हुई, पाया गया। दूसरा आतंकवादी जिसके घायल होने की सूचना थी, बच गया और अंधेरे तथा घने जंगल का लाभ उठा कर भूटान भाग गया। शव के साथ चीन निर्मित 2 हथगोले और ए.के. 47 के 12 खाली कारतूस ओ.आई.सी. पुलिस स्टेशन कुमारग्राम के सुपुर्द किए गए। अभियान 20.02.2003 को 1400 बजे समाप्त हुआ। यद्यपि 138 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 5 कम्पनियां इस घटना के समय तैनात की गई थीं, प्रशासनिक कारणों से कोई वरिष्ठ अधिकारी तैनात नहीं किया गया था। इस पूरे अभियान की श्री ए. जयचन्द्रन, सहायक कमांडेंट, ने सावधानीपूर्वक योजना बनाई और निष्पादन किया, जो डेट-138 बटालियन जलपाईगुड़ी में यूनिट के डी.सी.(ओप्स) की ड्यूटी कर रहे थे। संख्या 001387374 कांस्टेबल/जी.डी. सोहन खुले; एफ/138 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बहादुरी और अत्यधिक साहस, सूझ-बूझ, शूटिंग कौशल, धैर्य, व्यावसायिकता और कर्तव्यपरायणता का परिचय एक कट्टर उग्रवादी को मारने में दिया, जो आधुनिक हथियारों, विस्फोटों से लैस था और अपनी ए.के. 47 राइफल से अंधाधुंध गोलाबारी कर रहा था। एक गोली छाती के दांई तरफ और दूसरी बाएं हाथ में लगने के बावजूद संख्या 001387374 कांस्टेबल/जी.डी. सोहन खुले ने अदम्य, असाधारण और उच्चकोटि के साहस का परिचय दिया। कांस्टेबल संख्या 001380885 कांस्टेबल/जी.डी. सुरजीत कुमार जो एल.एम.जी-II की ड्यूटी निभा रहे थे, ने, घायल कांस्टेबल सोहन खुले को बदलीकर और उनकी पोजीशन स्वयं सम्भालकर, उग्रवादियों को तब तक उलझाए रखा जब तक उग्रवादी अंधेरे और घने जंगलों की आड़ में भूटान की ओर बचकर नहीं भाग गए, अनुकरणीय बहादुरी, उच्च साहस, सूझ-बूझ का परिचय दिया। कांस्टेबल सुरजीत कुमार, जो नौसिखिया थे और जिनकी मात्र दो वर्ष की सेवा हुई थी, ने परिपक्वता और उच्च व्यावसायिक कौशलता का प्रदर्शन किया, जिससे इन्होंने अपने बल को अधिक नुकसान होने से बचा लिया और एक के.एल.ओ. उग्रवादी को घायल किया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री सोहन खुले, कांस्टेबल और सुरजीत कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 फरवरी, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 88 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	तालिब हुसैन, हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)	(मरणोपरान्त)
2.	पी.सी. साहू, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)	
3.	जी.कृष्णा राव, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)	
4.	आर.के. गंतायत, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)	

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

9.10.2002 को लगभग 1045 बजे इस संबंध में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि दो से तीन प्रशिक्षित सशस्त्र के एल.ओ. आतंकवादी फुलेश्वर दास उर्फ अतोई दास गांव फुकरीग्राम, जिला जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) के घर में छिपे हुए हैं। श्री एस.के. यादव, सहायक कमांडेंट ओ.सी. ए/43 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कमान में पुलिस स्टेशन कुमारग्राम में एकत्रित ए/43 बटालियन के 5 सेक्शनों और बी/43 बटालियन के दो सेक्शनों और बी/43 बटालियन के दो सेक्शनों को तत्काल सतर्क किया गया। सिविल पुलिस के साथ तुरन्त एक संयुक्त अभियान बनाया गया और अपर पुलिस अधीक्षक, अलीपुरद्वार और ओ.सी. ए/43 बटालियन द्वारा एक विस्तृत ब्रीफिंग की गई। सिविल पुलिस और सिविल पुलिस के 35/40 लड़ाकू कमाण्डो सहित सभी जवान अभियान प्रारम्भ करने के लिए 1300 बजे चतुराई के साथ गतंव्य स्थान की ओर रवाना हुए। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 1400 बजे संदिग्ध घर के आस पास के क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई। जैसे ही घेराबंदी पूरी हुई, एक तलाशी पार्टी फुलेश्वर दास उर्फ अतोईदास के घर की तरफ गई जहां हथियारों के साथ के.एल.ओ. उग्रवादियों के शरण लेने का संदेह था। आगे बढ़ रहे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सिविल पुलिस पार्टी को देख कर, घर के अंदर छिपे उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और पश्चिम की ओर भागने का प्रयास किया जहां तीन घरों का झुंड था, इस बीच, हैड कांस्टेबल तालिब हुसैन का सेक्शन जो संदिग्ध मकान की ओर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ रहा था, ने धान के खेत के कोने पर पोजीशन ले ली। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पार्टी को देखने पर के.एल.ओ. उग्रवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सिविल पुलिस पार्टी पर गोलीबारी प्रारम्भ कर दी और धान के खेत की दूसरी दिशा में भागे। हैड कांस्टेबल तालिब हुसैन के सेक्शन पर गोलीबारी होने पर, पार्टी ने बचकर भाग रहे उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी की। जवानों की कार्रवाई इतनी त्वरित थी कि उग्रवादियों को धान के खेत में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। उनको पोजीशन से हटाने के लिए, उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध स्थल पर एक एच.ई. बम, और 4 राइफल ग्रेनेड दागे गए। इसके पश्चात् हैड कांस्टेबल तालिब हुसैन अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने सेक्शन को लेकर उग्रवादियों को तलाशने के लिए धान के खेत में गए। वहां उन्होंने लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर एक छिपे हुए उग्रवादी को देखा। हैड कांस्टेबल को देखने पर, उग्रवादी ने हैड कांस्टेबल तालिब हुसैन पर गोलीबारी की जिसके जवाब में हैड कांस्टेबल ने भी तत्काल अपने हथियार से गोलियों की 2-3 बौछारें की और उग्रवादी को स्थल पर ही मार गिराया। दूसरा उग्रवादी, जो बगल के धान के खेत में छिपा हुआ था, ने अपनी ए.के. 47 से बल पर गोलीबारी की और इस कार्रवाई में उग्रवादी द्वारा चलाई गोली हैड कांस्टेबल तालिब हुसैन को बाएं कंधे और गले के बीच कोलर बोन के बाईं तरफ लगी जो उनकी दिल को चीरती हुई पीछे बांयी ओर से बाहर निकल गई। गोली के गंभीर घाव की परवाह न करते हुए वे बहादुरी से

लड़े और तत्काल दूसरे उग्रवादी की ओर मुड़े तथा शीघ्रता से गोलियों की 1 से 2 बौछारें की जिसके पश्चात् वह धान के खेत में गिर पड़े। हैड कांस्टेबल तालिब हुसैन को गिरता देख दूसरे उग्रवादी ने उनके सेक्शन के अन्य कर्मियों की ओर गोलीबारी प्रारम्भ कर दी जो उसकी ओर आगे बढ़ रहे थे। इस सेक्शन को कोई संरक्षा/आड़ उपलब्ध नहीं थी और वे खुले धान के खेत में पोजीशन लिए हुए थे। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न कर और शरण की आड़ लेकर सेक्शन के वीर कर्मी अर्थात सं0 913241492 कांस्टेबल जी.कृष्णा राव, सं0 931260084 कांस्टेबल पी.सी. साहू और सं0 015040056 कांस्टेबल आर.के. गंतायत उसी मोर्चे पर डटे रहे और दृढ़ संकल्प, आपरेशनल कौशल और बहादुरी के साथ तब तक दूसरे उग्रवादी के हमले का जवाब देते रहे जब तक कि दूसरा उग्रवादी भी मौके पर ही मारा नहीं गया। दिवंगत हैड कांस्टेबल तालिब हुसैन को तत्काल सदर अस्पताल, अलीपुरद्वार ले जाया गया जहां उन्हें "मृत घोषित" कर दिया गया। घटना स्थल की तलाशी के दौरान उग्रवादियों के शवों से 2 ए.के. 47 हथियार, 4 मैगजीनें, 76 जिंदा कारतूस, ए.के. 47 के 4 खाली कारतूसों के अलावा ए.के. 47 के 2 खाली कारतूस, दो सेल वाली टार्च लाईट एक, एक परिवर्तित संगीन, 2120 रुपए के साथ एक पर्स, कुछ दस्तावेज, अतिरिक्त मैगजीनें रखने के लिए एक पाउच भी शवों के आसपास से बरामद किए गए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाद में कमलेश, 23 वर्ष, पुत्र चन्द्र कुमार दास और भारत दास, 35 वर्ष उर्फ राम सिंह, पुत्र संजीत दास, गांव मध्य हालीबारी, पुलिस स्टेशन कुमारग्राम, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल के क्रमशः चौथे बैच के कट्टर के.एल.ओ. उग्रवादी और दूसरे बैच के कट्टर के0एल0ओ0 उग्रवादी के रुप में की गई। यह पूरा विशेष अभियान गांव फुकरीग्राम, पुलिस स्टेशन कुमारग्राम में 3 घंटे से अधिक समय तक चला।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री दिवंगत तालिब हुसैन, हैड कांस्टेबल, पी.सी. साहू, कांस्टेबल, जी.कृष्णा राव, कांस्टेबल और आर.के. गंतायत, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 अक्तूबर, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 89 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बिश्म्बर सिंह,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15.04.2002 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीमा चौकी सेरी के चौकी कमाण्डर को सेना के विश्वस्त सूत्र से यह पता चला कि सीमा चौकी से लगभग 2 किमी0 दूर गांव भारवा में श्री गुलाम मुस्तफा पुत्र श्री दीन मोहम्मद के घर में तीन से चार दुर्दान्त (एच एम) उग्रवादी शरण लिए हुए हैं । यह सूचना कमान अधिकारी डी/8 बटालियन को भेजी गई । यह सूचना प्राप्त होने पर, श्री एस एम खान, सहायक कमांडेंट, कमान अधिकारी डी/8 बटालियन, कम्पनी द्वितीय कमान अधिकारी निरीक्षक जगन सिंह को साथ लेकर 2 सेक्शनों के साथ उस गांव की ओर रवाना हुए । 4 आर आर, एस.टी एफ और स्थानीय पुलिस के जवानों के साथ एस एच ओ भद्रवाह गांव की ओर रवाना हुए । 4 आर आर और एस टी एफ के साथ एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई । ब्रीफिंग के पश्चात् 4 आर आर, एस टी एफ और डी/8 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवान युक्तिपूर्ण रूप से क्षेत्र की घेराबन्दी करने के लिए गांव भारवा की ओर रवाना हुए। जब जवान लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे तभी उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी प्रारम्भ कर दी, जिसका जवानों ने जवाब दिया। एक सिविलियन की सहायता से चतुराई से आगे बढ़ कर छुपने के ठिकाने की भी सही-सही पहचान कर ली गई । कुछ समय पश्चात गोलीबारी रोक दी गई और उग्रवादियों को बार-बार आत्म सर्मपण करने के लिए कहा गया लेकिन यह सब निष्फल रहा । चूंकि उग्रवादी जवाब नहीं दे रहे थे, यह मान लिया गया कि या तो उग्रवादी भाग गए हैं अथवा मुठभेड़ में मारे गए हैं । ऐसी दुविधापूर्ण और संशयात्मक परिस्थिति में कमाण्डरों ने अन्ततः छिपने के ठिकाने पर धावा बोलने का निर्णय लिया । इस कार्य के लिए 4 आर आर, एस टी एफ और 8 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ चयनित कर्मियों को चुना गया । कांस्टेबल बिश्म्बर सिंह को भी एक अच्छा निशानेबाज (शार्प शूटर) होने के कारण धावा/तलाशी पार्टी में तैनात किया गया । साहस और पूर्ण विश्वास के साथ वह भूतल से तीन मंजिली इमारत में प्रवेश कर गए । इस विशेष धावा दल पर इमारत के उपरी भाग में झिपे उग्रवादियों द्वारा अचानक भारी गोलीबारी की गई । कांस्टेबल बिश्म्बर सिंह ने भी तल पर दृढ़ता के साथ डटे रहकर गोलीबारी का जवाब दिया । दोनों ओर से हो रही गोलीबारी के दौरान, एक गोली इनके कंधे में लगी । पार्टी के अन्य चार कर्मियों को भी चोटें आई । घायल होने के बावजूद, कांस्टेबल बिश्म्बर सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए और अदम्य साहस का परिचय देते हुए उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी जारी रखी । धावा पार्टी के प्रतिरोध के कारण उग्रवादी भूतल पर आने में असफल रहे और घर के ऊपरी भाग से सीधे कूद गए। चूंकि घर में राकेट लगने से आग लग गई थी, उग्रवादियों ने बचकर भागने के उद्देश्य से घेराबन्दी तोड़ने का प्रयास किया परन्तु इस पार्टी ने उन्हें मार गिराया । गम्भीर रूप से घायल कांस्टेबल बिश्म्बर सिंह को सेना कमान अस्पताल, उधमपुर ले जाया गया।

क्षेत्र की तलाशी लेने पर तीन उग्रवादियों के शवों के साथ निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया:-

राइफल ए.के. 47	-	2
मेगजीन ए.के. 47	-	11
चीन निर्मित पिस्तौल	-	01
मैगजीन पिस्तौल	-	01
ग्रेनेड	-	02
वायरलैस सेट	-	01
पेंसिल बैट्रीज	-	27
ए.के. 47 के सक्रिय राउन्द	-	180
नकद राशि	-	25,000/- रूपए

मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाद में बरकत अली, पुत्र मोहम्मद हुसैन, निवासी गांव खलकलकू (एरिया कमाण्डर), मोहम्मद हफीज, पुत्र मोहम्मद हनीफ, निवासी गांव सुवा और इकबाल खलील, पुत्र फीरोजुद्दीन, निवासी गजर के रूप में हुई ।

इस मुठभेड़ में, श्री बिश्म्बर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 अप्रैल, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 90 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	सोलई अलागुमलई, हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)	(मरणोपरांत)
2.	नरेन राजबंशी, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)	(मरणोपरांत)
3.	अक्षय कुमार दास, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)	

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20.6.2003 को लगभग 2150 बजे, ओ.आई.एल. के कर्मचारियों को ले जा रही एक बस नागाजन ओ.सी.एस./जी.सी.एस. (ऑयल क्लैक्टिंग स्टेशन/गैस कम्प्रेसर स्टेशन) चौकी के मुख्य गेट पर पहुंची। लगभग 14-15 उल्फा आतंकवादी, जो सेना की वर्दी में थे और जिनके पास ए.के. श्रेणी के हथियार थे, नागाजन ओ.सी.एस./जी.सी.एस. चौकी से एक किलोमीटर पहले ही बस में सवार हो गए थे। उन्होंने ओ.आई.एल. दुलियांजन के सात कर्मचारियों को बस की सीट के नीचे लेटने के लिए मजबूर किया और बस के चालक को बंदूक की नोक पर नागाजन चौकी की ओर चलने को कहा। जब बस नागाजन ओ.सी.एस./जी.सी.एस. चौकी द्वार पर पहुँची तब हैड कांस्टेबल सोलई अलागुमलई, जो गेट पर ड्यूटी पर थे, कर्मचारियों की जांच करने हेतु बाहर आए। तब बस के अंदर पहले ही बैठे हुए उल्फा आतंकवादी ने उपर्युक्त हैड कांस्टेबल सोलई अलागुमलई पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। जवाबी कारवाई में हैड कांस्टेबल सोलई अलागुमलई ने तत्काल अपनी एस.एम.जी./कारबाईन से आतंकवादियों पर गोलीबारी की और एक उल्फा आतंकवादी को मार गिराया जिसकी बाद में, घटनास्थल पर, उमेन मोरन के रुप में पहचान की गई। तथापि, हैड कांस्टेबल सोलई अलागुमलई ने, जो आतंकवादियों के विरुद्ध बहादुरी से लड़े, मुठभेड़ के दौरान गोलियों से लगे जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। कांस्टेबल अक्षय कुमार दास, जो गेट के नजदीक स्थित मोर्चे पर ड्यूटी पर तैनात थे, ने अपनी एस.एल.आर. से आतंकवादियों पर गोलीबारी शुरु कर दी। आतंकवादियों ने मोर्चे की ओर अंधाधुंध गोलीबारी की। कांस्टेबल अक्षय कुमार ने कारगर रुप से हमले का प्रतिकार किया और आतंकवादियों को आगे बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका। दुर्भाग्यवश आतंकवादियों द्वारा दागी गई गोलियों में से एक कांस्टेबल अक्षय कुमार की तर्जनी अंगुली में लगी और साथ ही उनकी राइफल को भी क्षति पहुंची। इसके पश्चात, आतंकवादियों ने दो आर.पी.जी. दागे, एक क्रूड ऑयल टैंक पर और दूसरा चौकी कमांडर के कक्ष पर तथा ओ.आई.एल. प्रतिष्ठान को उड़ाने और शस्त्र और गोलाबारुद को ले जाने की मंशा से विभिन्न दिशाओं में अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। चौकी कमांडर, जो चौकी में उपस्थित थे, बैरक की ओर भागे और वहाँ उपस्थित जवानों को सतर्क कर दिया। कांस्टेबल नरेन राजबंशी भी बैरक में मौजूद थे और वे बिना समय गंवाए, अपनी एस.एल.आर. के साथ गेट की तरफ दौड़े लेकिन गोलियों की बौछार में आ जाने के कारण, उन्होंने गोलियों से लगे जख्मों के कारण तत्काल दम तोड़ दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवादी नामत: उमेन मोरन की मृत्यु, हैड कांस्टेबल सोलई अलागुमलई द्वारा की गई जवाबी गोलीबारी के परिणामस्वरुप हुई और इस से निश्चित रुप से अन्य आतंकवादियों का आत्मविश्वास डगमगा गया। इसके अतिरिक्त, कांस्टेबल अक्षय कुमार दास और कांस्टेबल नरेन राजबंशी जिन्होंने अनुकरणीय साहस और वीरता का परिचय दिया, के प्रतिरोध की वजह से आतंकवादी अव्यवस्थित हो गए। सी.आई.एस.एफ. कुमुक के आने से पहले, आतंकवादी घटनास्थल से एक एस.एम.जी./कारबाईन और हैड

कांस्टेबल सोलई अलागुमलई को जारी 30 राउंड और कांस्टेबल नरेन राजबंशी, जो दोनों मुठभेड़ में मारे गए, को जारी 40 राउंड तथा एक एस.एल.आर. के साथ 2 राउंड लेकर भाग गए। घटना के पश्चात तत्काल नजदीक के क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस/सेना और सी.आई.एस.एफ. द्वारा संयुक्त रुप से काम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया जिसके दौरान पुलिस द्वारा ए.के. - 47 राइफल के 17 खाली कारतूस, एक कमांडो डेगर, एक लिक्विड कम्पास, सौ रुपये के नोटों का दस हजार रुपये का एक बंडल, एक ग्रेनेड लॉक, आर.पी.जी. की एक प्लास्टिक ट्यूब और कारबाइन के 9 एम.एम. गोलाबारुद के दो खाली केस बरामद/जब्त किए गए। आसपास के क्षेत्र की आगे और तलाशी लेने पर, दिवंगत कांस्टेबल नरेन राजबंशी को जारी 7.62 एस.एल.आर. के 20 सक्रिय राउंड वाली एक एस.एल.आर. मैगजीन भी सी.आई.एस.एफ. द्वारा 21.6.2003 को बरामद की गई, हैड कांस्टेबल सोलई अलागुमलई और कांस्टेबल नरेन राजबंशी, जो कार्रवाई में मारे गए थे, ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की उच्च परम्पराओं को बनाए रखते हुए ड्यूटी के समय आतंकवादियों के विरुद्ध वीरता के साथ लड़ते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री (दिवंगत) सोलई अलागुमलई, हैड कांस्टेबल, (दिवंगत) नरेन राजबंशी, कांस्टेबल और अक्षय कुमार दास, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 जून, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 91 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

1. डा. साजी मोहन, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक,
2. श्री मोहम्मद अरशद, पुलिस उपाधीक्षक,
3. श्री मोहम्मद युसुफ, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

1 दिसंबर, 2002 को 0645 बजे, दो उग्रवादियों ने, मस्जिद हुडा बिलालाबाद, डोडा शहर के नजदीक देस्सा रोड में 10 आर आर की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला कर दिया । उन्होंने ग्रेनेड फेंके और रोड ओपनिंग पार्टी और सिविलियनों, जो मस्जिद में नमाज अदा करने के पश्चात आ रहे थे, पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप सेना के एक जवान और एक सिविलियन की तुरंत मौत हो गई और सेना के दो जवान, भूतपूर्व-सैनिक और चार अन्य सिविलियन जख्मी हो गए । घटना के पश्चात डोडा पुलिस तुरंत हरकत में आई । डा0 साजी मोहन, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक डोडा ने अपर पुलिस अधीक्षक डोडा और पुलिस उपाधीक्षक (ऑपरेशन्स), डोडा के साथ ऑपरेशन का नेतृत्व किया । घटनास्थल के चारों ओर के संपूर्ण क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई और उग्रवादियों और पुलिस पार्टी के बीच भारी गोलीबारी हुई । चूंकि, उस क्षेत्र में सिविलियन मौजूद थे इसलिए सिविलियनों के जान-माल को क्षति पहुँचाए बगैर उग्रवादियों को निष्क्रिय करना पुलिस के लिए चुनौती और परीक्षा की घड़ी थी । ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उग्रवादियों को उलझाए रखा और उस जगह से हटने पर मजबूर कर दिया जहाँ उन्होंने पोजीशन ले रखी थी । उग्रवादी पास ही में, एक रोमेश कुमार के घर में घुस गए जहाँ उन्होंनें रोमेश कुमार के परिवार के सदस्यों को बंधक बना कर रखा हुआ था । ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों ने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । तथापि, उग्रवादियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और पुलिस पार्टी पर निरंतर गोलीबारी करते रहे। पुलिस पार्टी, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक डोडा कर रहे थे, ने चतुराई के साथ गोलीबारी करते हुए उस घर पर धावा बोल दिया और उग्रवादियों को घर के एक कमरे में पनाह लेने के लिए मजबूर कर दिया । पुलिस पार्टी ने फिर चतुरता से रोमेश कुमार, उनकी पत्नी, दो अन्य महिलाओं और एक बच्चे को छुड़ा लिया । घिरे हुए उग्रवादी निरंतर गोलीबारी करते रहे और उन्होंने ग्रेनेड भी फेंके । पुलिस पार्टी बाल-बाल बच गई क्योंकि कुछ गोलियों और ग्रेनेड की किरचें उनके बहुत ही नजदीक से निकल गईं । पुलिस उपाधीक्षक (ऑपरेशन्स) मोहम्मद अरशद और एस जी सी टी. मोहम्मद युसुफ कमरे की उस दिवार के पीछे कूद गए जिसके दूसरी ओर दो उग्रवादी पोजीशन लिए हुए थे तथा बहुत निकट से तेजी से गोलीबारी करके उनको उलझा दिया । इसी बीच, डा0 साजी मोहन, भा0पु0से0 पुलिस अधीक्षक दायीं ओर से घर की छत पर चढ़ गए और कमरे में दो ग्रेनेड फेंके जिसके परिणामस्वरूप कमरे में एक उग्रवादी मारा गया । अन्य उगग्रादी ने और कोई भी रास्ता न देखकर कमरे से बाहर आने का प्रयास किया । जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, पुलिस उपाधीक्षक (ऑपरेशन्स) और एस जी सी टी. मोहम्मद युसुफ ने निकट से गोलीबारी करके उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । मारे गए उग्रवादियों से 2 ए.के. मैगजीन (एक टूटी हुई सहित) और 29 ए.के. राउंद बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री साजी मोहन, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, मोहम्मद अरशद, पुलिस उपाधीक्षक और मोहम्मद युसुफ, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 दिसंबर, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मिश्रा
(वरुण मिश्रा)
निदेशक

सं0 92 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री वी वी राबारी,
विशेष पुलिस महानिरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

24 सितम्बर, 2002 को उग्रवादियों ने गांधी नगर में अक्षरधाम स्वामिनारायण मंदिर पर हमला किया। पुलिस महानिदेशक, श्री मणिराम, अपर पुलिस महानिदेशक, श्री वी.वी. राबारी, विशेष पुलिस महानिरीक्षक के साथ घटना स्थल पर गए। पुलिस महानिदेशक ने वहां पर उपस्थित अधिकारियों से घटना की जानकारी लेने के पश्चात तत्काल स्थिति का चार्ज लिया। मंदिर परिसर के अन्दर 400 से अधिक भक्त/दर्शनार्थी फंसे पड़े थे और उग्रवादी अंधाधुंध गोलीबारी तथा ग्रेनेड से हमला कर रहे थे जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए और घायल हो गए थे। श्री वी.वी. राबारी, विशेष पुलिस महानिरीक्षक और श्री आर.बी. ब्रह्मभट्ट, पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी.(अपराध) ने चुनिन्दा अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से बचाव कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा लगभग 400 बहुमूल्य प्राणों को बचा लिया। श्री ब्रह्मभट्ट ने परिसर के भीतर फंसे दर्शनार्थियों को सुरक्षा कवर उपलब्ध करायी और बिना कोई जान गंवाए अथवा क्षति पहुंचे उनका स्वयं नेतृत्व करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे उग्रवादी उग्र हो गए और उन्होंने उन लोगों पर, मंदिर परिसर में सच्चिदानंद हाल की छत के ऊपर गुम्बद के पीछे आड़ लेकर अंधाधुंध गोलीबारी प्रारम्भ कर दी, जिन्हें बचाया जा रहा था। इससे उग्रवादियों के छिपने के स्थान को तलाशने में मदद मिली। पुलिस महानिदेशक ने तब आतंकवादियों पर प्रति आक्रमण करने के लिए भेजे जाने वाले राज्य पुलिस के 7 कमाण्डो को लेकर एक धावा दल का गठन किया। श्री वी.वी. राबारी फिर से श्री ब्रह्मभट्ट के साथ धावा पार्टी का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। वे धावा दल को उस स्थान की ओर ले गए जहां से उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी की जा रही थी। ये पुलिस कार्मिक सीढ़ियों के जरिए खुली छत पर चढ़ गए और इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने भारी जोखिम उठाया। एक उग्रवादी बाहर आया और अपनी ए.के.-56 से धावा पार्टी पर गोलीबारी प्रारम्भ कर दी परन्तु श्री राबारी और उनकी पार्टी की उग्रवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई। कुछ मिनटों के पश्चात दोनों उग्रवादी बाहर आए और धावा पार्टी पर गोलीबारी की, जिसका जवाब धावा पार्टी ने दिया। इसके पश्चात, एक उग्रवादी बाहर निकला और श्री राबारी को निशाना बनाते हुए 2 गोलियां चलाईं। तथापि, राबारी और उनके दल ने काफी समय तक हमला जारी रखा, जिससे उग्रवादियों को अपने आश्रय के स्थान पर छुपे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें बचकर निकल भागने से भी रोके रखा। सर्व/श्री एस.आर. यादव, सशस्त्र पुलिस निरीक्षक, जयन्तीभाई के. जादव, सशस्त्र सहायक उप निरीक्षक, एस.एम. यादव सशस्त्र हैड कांस्टेबल, एच.सी. अहीर, सशस्त्र हैड कांस्टेबल, आर.बी. पटेल, सशस्त्र कांस्टेबल, जी.बी. राथवा, कांस्टेबल और डी.डी. बलात् सशस्त्र कांस्टेबल भी सर्व/श्री राबारी और ब्रह्मभट्ट के नेतृत्व वाले धावा दल के सदस्य थे। सभी धावा टीम सदस्य मंदिर परिसर की छत पर चढ़ गए और उग्रवादियों को उलझाए रखा जो उस समय छत पर थे। थोड़ी देर हुई गोलीबारी के पश्चात दो उग्रवादी नीचे उतर गए और सच्चिदानंद हाल के क्षेत्र में छिप गए। उग्रवादी जब नीचे उतरे तो उन्होंने कमाण्डो टीम, जो सच्चिदानंद हाल के बिल्कुल नजदीक आड़ लिए हुए थी, पर गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। यह आशंका थी कि उग्रवादी मंदिर के पिछवाड़े से बचकर भाग सकते हैं। श्री प्रमोद कुमार,

विशेष पुलिस महानिरीक्षक, गांधी नगर रेंज ने पुलिस निरीक्षक एल.वी. तोलिया, गांधीनगर के नेतृत्व में एस.आर.पी.एफ. के जवानों की एक टीम मंदिर परिसर के पिछले भाग, जहां घुप अंधेरा था, को कवर करने के लिए भेजी। जब यह टीम पिछले हिस्से की तरफ जा रही थी तो उग्रवादियों, जो इमारत के एक कोने में शौचघर में छुपे हुए थे, ने पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंका। श्री अल्लारखा एच उनादजम ने असाधारण साहस का परिचय देते हुए और अपनी जान को जोखिम में डाल कर उनकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया। उग्रवादियों द्वारा की गई गोलियों की बौछार उन्हें लगी और इसके परिणामस्वरूप जख्मों के कारण उनके प्राण चले गए। जबकि एक टीम छत के ऊपर चली गई, श्री ए.एल. गमेटी सहित कमाण्डो की दूसरी टीम सचिच्चदानंद हाल से लगे खुले पार्क में झाड़ियों के पीछे रेंगते हुए गए। उग्रवादियों, जिन्हें नीचे उतरने के लिए मजबूर किया गया था, ने कमाण्डो टीम को अपने बिल्कुल करीब देखा। उग्रवादियों ने तत्काल कमाण्डो टीम पर गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। श्री गमेटी ने गोलीबारी का जवाब दिया परन्तु उग्रवादियों द्वारा चलाई गई गोली आकर उन्हें लगी। श्री गमेटी घटनास्थल पर ही मारे गए। सर्व/श्री डी.डी. बलात, एस.आर. यादव, जे.के. जादव, एस.एम. यादव और एच.सी. यादव और श्री आर.बी. पटेल भी टीम के सदस्यों के साथ खुली छत पर चढ़ गए और साइड की दीवार, जिसके पीछे उग्रवादी छुपे हुए थे, के साथ आड़ ले ली। हालांकि, जोखिम के बारे में जानते हुए भी वे उग्रवादियों की तरफ बढ़ते रहे। उग्रवादियों ने गोलीबारी प्रारम्भ कर दी परन्तु टीम ने साहस नहीं खोया और निडरता से उग्रवादियों की तरफ गोलीबारी जारी रखी जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। गोलीबारी के दौरान श्री आर.बी. पटेल की बायीं आंख गोली लगने से जख्मी हो गई। गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद, वह साहसपूर्वक उग्रवादियों की तरफ गोली चलाते रहे। उग्रवादियों और पुलिस के बीच गोलीबारी/हमला जारी रहा और लगभग 22.30 बजे श्री मणिराम, अपर पुलिस महानिदेशक और श्री आर.बी. ब्रह्मभट्ट और डी.पी. चुडासमा, पी.एस.आई. तथा पुलिस और एस.आर.पी. स्टाफ मंदिर के गेट सं. 3 से पश्चिम की तरफ घायल पुलिस कार्मिकों को बचाने के लिए गए। उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी की तरफ गोलीबारी प्रारम्भ कर दी, जिससे श्री ब्रह्मभट्ट के बाएं हाथ पर गोली से चोट लगी तथा उनके साथ पुलिस स्टाफ और पी.एस.आई. को भी चोटें आई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और कुमुक की सहायता से मंदिर का सभी तरफ से घेरा और मजबूत किया गया। उग्रवादियों को बार-बार समर्पण करने के लिए कहा गया परन्तु वे पुलिस पर लगातार गोलीबारी करते रहे। गुजरात पुलिस कार्मिकों ने उग्रवादियों की तरफ लगातार गोलीबारी जारी रखी जिसके परिणामस्वरूप वे परिसर से बचकर नहीं भाग सके। लगभग 23.15 बजे, एन.एस.जी. टीम गुजरात पुलिस की सहायता के लिए पहुंची। पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एन.एस.जी. टीम को ब्रीफ किया, जिन्होंने कमान सम्भाल ली और आपरेशन चलाया।

इस मुठभेड़ में, श्री ए.के. शर्मा, विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 सितम्बर, 2002 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 93 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एम.एम. शर्मा, उप महानिरीक्षक,
2. पूर्ण सिंह, अपर उप महानिरीक्षक,
3. प्रताप सिंह, हैड कांस्टेबल,
4. धर्मबीर सिंह, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर, गांधीनगर से साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादियों के हमले के संबंध में 24.09.02 को लगभग 1705 बजे श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक, सी आर पी एफ, गांधीनगर को एक सिविलियन से टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई । श्री एम एम शर्मा पुलिस उप महानिरीक्षक, सी आर पी एफ ने श्री पूर्ण सिंह, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक जी सी, सी आर पी एफ, गांधीनगर, त्वरित कार्रवाई दल, जिसमें सी आर पी एफ का एक सेक्शन था, को साथ लेकर तेजी से अक्षरधाम मंदिर के गेट सं0 3 की ओर बढ़े जहाँ दो आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड से विस्फोट कर रहे थे । श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में सी आर पी एफ की टीम परिसर के अन्दर कूद गई और बच्चों के पार्क/खेलने के क्षेत्र में फैले हुए रक्त को देखकर, उन निर्मित ढांचों की घेराबंदी कर दी गई, जहाँ आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना थी । श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक और श्री पूर्ण सिंह, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ने अपनी जान को जोखिम में डालकर घर की तलाशी ली गई । ग्रुप सेंटर, सी आर पी एफ, गांधीनगर के हैड कांस्टेबल प्रताप सिंह और कांस्टेबल धर्मबीर शर्मा भी घर की तलाशी लेने के लिए उनके साथ गए । जब तक सी आर पी एफ टीम, स्वागत केन्द्र के नजदीक गेट सं0 2 पर पहुँची, तो इन्होंने देखा कि पुलिस महानिरीक्षक गुजरात पुलिस, अन्य वरिष्ठ राज्य पुलिस अधिकारी और गुजरात पुलिस कमांडो भी वहाँ पहुँच गए हैं । परिसर के अंदर आतंकवादियों के छिपने के संभावित स्थान और सम्पूर्ण मन्दिर की भौतिक स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए गुजरात पुलिस के पुलिस महा निदेशक के साथ परामर्श करके आतंकवादियों को बाहर निकालने और दर्शनार्थियों को सुरक्षित निकालने हेतु खोज-बीन, तलाशी और आतंकवादी विरोधी अभियान चलाने के लिए एक तत्काल रणनीति बनाई गई । स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, छिपे हुए आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए श्री एम एम शर्मा, पुलिस महानिदेशक ने श्री पूर्ण सिंह, अपर पुलिस उप महानिदेशक के साथ स्वेच्छा से आगे आए । आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान शुरू करने और परिसर में निर्मित ढांचे के अंदर फंसे दर्शनार्थियों को मुक्त कराने के लिए लगभग 1730 बजे श्री एम एम शर्मा और श्री पूर्ण सिंह ने अपने त्वरित कार्रवाई दल, जो सभी सेल्फ लोडिंग राइफलों और स्टेन मशीन कारबाईनों से लैस थे, तथा कुछ गुजरात पुलिस कमांडो के साथ परिसर के आंतरिक घेरे में प्रवेश किया । श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक और श्री पूर्ण सिंह अपर पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में टीम रिसर्च सेंटर कोरिडोर से होती हुई मंदिर परिसर के बायीं ओर से चतुराईपूर्ण ढंग से आगे बढ़ी और सहजानाबाद हाल के बिल्कुल बायें किनारे पर पहुँची । उस समय वहाँ 8 से लेकर 10 शव और 9 से लेकर 10 लोग जख्मी होकर लहू-लुहान पड़े थे । श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक और उनकी पार्टी ने जख्मी कर्मियों को वहाँ से हटाया तथा घेराबंदी के बाहर इकठ्ठे हुए स्वयंसेवकों

की सहायता से शवों को हटाया । वहाँ के लहू-लुहान दृश्य को देखकर श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक अपने मिशन से विचलित नहीं हुए और वे श्री पूर्ण सिंह, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक और उनकी पार्टी के साथ आगे बढ़े तथा तीनों हॉलों को कवर करते हुए परिसर के शेष हिस्से में तलाशी और खोज-बीन अभियान जारी रखा । दो प्रदर्शनी हॉलों के अन्दर फंसे हुए 250 से अधिक दर्शनार्थी बुरी तरह से आतंकित और दहशत में थे । इन सभी फंसे हुए दर्शनार्थियों, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे, को बहुत ही चतुराई और सावधानीपूर्वक सुरक्षित ढंग से हटा दिया गया । श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक और श्री पूर्ण सिंह, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ने, अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रदर्शनी हॉलो और गैलरी, जिनके रास्ते टेढ़े-मेढ़े थे, की भी तलाशी ली वहाँ पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की प्रबल संभावना थी, क्योंकि कुछेक फंसे हुए दर्शनार्थियों ने आतंकवादियों को अपने हाथों में बंदूकें लिए हुए हाल में घूमते देखा था । इन अधिकारियों के साथ हैड कांस्टेबल प्रताप सिंह तथा कांस्टेबल धर्मबीर सिंह और त्वरित कार्रवाई दल के सदस्य भी गए और इनकी सहायता की । सभी फंसे हुए दर्शनार्थियों का बचाव बगैर किसी अनिष्ट के कर लिया गया । तलाशी और बचाव अभियान पूरा होने पर, श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक की कमान में पार्टी, उस स्वागत केन्द्र पर वापिस लौटी जहाँ पुलिस महानिदेशक, गुजरात पुलिस और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे । जब पुलिस महानिदेशक, गुजरात पुलिस और राज्य के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ परामर्श करके आगे की रणनीति की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तभी यह संदेह हुआ कि आतंकवादी मंदिर के परिसर की मुख्य वेदी के अंदर छिपे हुए देखे गए थे । श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक, श्री पूर्ण सिंह के साथ तत्काल चतुरता के साथ मुख्य इमारत की ओर आगे बढ़े । परमपावन मंदिर-गर्भ में प्रवेश करने पर यह देखा गया कि महिलाओं और बच्चों सहित 50 से 60 लोग, जमीन पर एक दूसरे से सटकर लेटे हुए हैं और बुरी तरह डरे हुए हैं । इन सभी फंसे हुए दर्शनार्थियों को सुरक्षित ढंग से मुख्य गेट की ओर हटाया गया और मुख्य मंदिर की इमारत की पूरी तरह से तलाशी ली गई । जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसका नेतृत्व श्री पूर्ण सिंह के साथ श्री एम एम शर्मा कर रहे थे, मुख्य मंदिर की इमारत की तलाशी ले रहा था, तभी एक ग्रेनेड के विस्फोट के अतिरिक्त, प्रदर्शनी हॉल की तरफ आतंकवादियों और राज्य पुलिस कमांडो के बीच आपसी गोलीबारी शुरू हो गई जिससे टेढ़ी-मेढ़ी प्रदर्शनी गैलरी की छत पर कहीं आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि हो गई । इस स्थिति में, मंदिर की मुख्य इमारत की छत पर पोजीशन लेना अनिवार्य था जो इस परिसर की सबसे ऊंची जगह थी और उसके ऊपर से नजर रखी जा सकती थी । पूरे परिसर में गोलियां चल रही थीं और उस जगह पर पोजीशन लेने के लिए मंदिर की छत पर पहुँचने हेतु कोई आड़ वाला रास्ता नहीं था । श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक और श्री पूर्ण सिंह, अपर उप महानिरीक्षक मंदिर की मुख्य इमारत की छत पर पहुँचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर, दूसरी मंजिल पर 40 फुट खुली सीढ़ी से चढ़ गए । यहाँ से श्री एम एम शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक और श्री पूर्ण सिंह, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक देख सकते थे और निगाह रख सकते थे तथा गोलीबारी करके आतंकवादियों के बच कर भाग निकलने के रास्तों को बंद कर सकते थे । इस कार्रवाई से, आतंकवादियों को टेढ़ी-मेढ़ी प्रदर्शनी गैलरी की छत के कोने में छिपे रहने के लिए विवश होना पड़ा । राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के कमांडों ने 25.9.2002 को लगभग 0230 बजे अपना अभियान शुरू किया और 0700 बजे, दोनों आतंकवादियों को मार कर, इसे पूरा कर दिया । सी आर पी एफ निरंतर और अनवरत लगभग 14 घंटे तक अभियान में जुटी रही ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एम.एम. शर्मा, उप महानिरीक्षक, पूर्ण सिंह, अपर उप महानिरीक्षक, प्रताप सिंह, हैड कांस्टेबल और धर्मबीर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 सितंबर, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 94 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अजय कुमार सिंह, (मरणोपरांत)
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिवंगत श्री अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, लोहरदागा, बिहार, 4 अक्तूबर, 2000 को प्रातः 10.15 बजे अपने दो सुरक्षा गार्डों और 9 बी.एम.पी. सशस्त्र कर्मियों के साथ गांव पेशरार के लिए रवाना हुए। वे वापिस लोहरदागा के लिए 1300 बजे पेशरार से चले। वे अभी पेशरार से 2 किलोमीटर दूर ही आए थे कि तभी जिप्सी, जिसमें श्री सिंह यात्रा कर रहे थे, के सामने सड़क के बिल्कुल दायीं तरफ अचानक एक विस्फोट हुआ। वाहन चालक ने वाहन को रोक दिया। विस्फोट के धमाके से जिप्सी की विंडस्क्रीन चकनाचूर हो गई। तत्पश्चात, घने जंगल में सड़क के दोनों ओर घात लगाए बैठे अतिवादियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। श्री सिंह ने स्थिति का आकलन करने के पश्चात अपने सुरक्षा गार्डों से तत्काल जवाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया। आपसी गोलीबारी में, श्री सिंह गंभीर रुप से जख्मी हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। एक सुरक्षा गार्ड भी जख्मी हो गया। बी.एम.पी. कर्मियों द्वारा की गई गोलीबारी के कारण अतिवादियों को जंगल में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्री सिंह ने असाधारण साहस और वीरता का परिचय देते हुए, सेवा की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 अक्तूबर, 2000 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 95 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री टी बी छेत्री (मरणोपरांत)
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव पांडिया मोहल्ला (श्रीनगर) में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर 28.1.2002 को अन्य बटालियनों के त्वरित कार्रवाई दलों और ए सी (जी) जकूरा तथा एस ओ जी की सहायता से 18 बटालियन की टुकड़ियों ने इस गांव के घरों में से एक घर की घेराबंदी कर दी । निदेश मिलने पर, घर में मौजूद सिविलियन बाहर निकल आए लेकिन अंदर छिपे उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और ग्रेनेड फैंके/दागे, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई । उस पार्टी, जिसका नेतृत्व ए सी (टी) वी एस मूर्ति कर रहे थे को घर में धावा बोलने और मोर्चाबन्दी किए उग्रवादियों को बाहर निकालने का कार्य सौंपा गया । यह पार्टी लक्षित घर के गैराज तक पहुँचने में कामयाब हो गई, लेकिन इन्हें उग्रवादियों ने देख लिया और उन्होंने भारी गोलीबारी तथा ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए जिसके कारण कांस्टेबल राम कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए और तीन अन्य किरचें लगने से जख्मी हो गए । जख्मी कर्मियों को तत्काल हटाने के लिए एक बंकर वाहन बुलाया गया और थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया । उग्रवादियों ने तब जख्मी कर्मियों को ले जाने से रोकने के लिए बंकर वाहन पर भारी गोलीबारी की । ए सी (टी) वी एस मूर्ति ने निडरता से अपनी पार्टी को पुन: संगठित किया और उग्रवादियों को काबू करने और जख्मी कर्मियों को वहाँ से ले जाने को सुकर बनाने हेतु कवरिंग गोलीबारी की । इसी बीच, हैड कांस्टेबल टी बी छेत्री ने कांस्टेबल बाला कृष्णनन के साथ जो अंदरूनी घेरे में था, चतुरता के साथ दूसरी जगह पर गए ताकि उग्रवादियों को उलझाए रखा जा सके लेकिन ऐसा करते समय उग्रवादियों ने उन्हें देख लिया और इन पर भारी गोलीबारी की । वे पूरी रात अपनी पोजीशन पर डटे रहे जिससे कि उग्रवादियों को वहां से बच कर भागने का अवसर न मिल सके । 29.1.2002 की प्रात:, उग्रवादियों ने निकटवर्ती इमारत में भागने का एक और प्रयास किया लेकिन उनका सामना हैड कांस्टेबल टी बी छेत्री से हो गया जिन्होंने उग्रवादियों को जख्मी कर दिया, जिसके कारण उग्रवादियों को पीछे हटना पड़ा और वे बच कर भाग नहीं सके । तथापि, हैड कांस्टेबल टी बी छेत्री जब अपनी जान की परवाह न करते हुए अनुकरणीय साहस का परिचय दे रहे थे, तब उग्रवादियों ने उनकी छाती में गोली मार दी और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । इमारत में पुन: घुसने के बाद, उग्रवादियों ने दुबारा गोलीबारी शुरू कर दी । लगभग 0930 बजे ए सी (टी) वी एस मूर्ति के नेतृत्व वाली पार्टी को लक्षित घर पर धावा बोलने का काम सौंपा गया । ए सी (टी) मूर्ति बंकर वाहन को लक्षित घर के निकट ले गए और एक खुली खिड़की से घर के अंदर ग्रेनेड फेंके, जिस पर और गोलीबारी हुई । लगभग 1600 बजे, इस पार्टी ने उस इमारत पर धावा बोल दिया जिसमें उग्रवादी छिपे हुए थे और कमरों में ग्रेनेड दागे/फेंके । रसोईघर के अंदर छिपा हुआ एक उग्रवादी मारा गया और वह गैस सिलेन्डर फटने के कारण आग फैलने से झुलस गया । शेष दो उग्रवादी धावा बोलने वाली पार्टी पर निरंतर गोलीबारी करते रहे और ए सी (टी) वी एस मूर्ति ने एक उग्रवादी पर ध्यान केन्द्रित किया और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । अन्य उग्रवादी सुरक्षित जगह की ओर बढ़ा लेकिन पार्टी के अन्य सदस्यों ने उसे मार गिराया । घर की फिर तलाशी ली गई तो उग्रवादियों के तीन शव बरामद हुए,

जिनकी पहचान (क) सैफुल्ला निवासी पाकिस्तान, ए आई-बदर का एक्टिंग चीफ (ख) हिज्बी निवासी पाकिस्तान, ए आई-बदर का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमांडर (ग) उस्मान निवासी पाकिस्तान, ए आई बदर के कंपनी कमांडर के रूप में की गई । क्षेत्र की बाद में तलाशी लेने पर 03 ए.के.-56 राइफलें, ए.के. के लिए 01 यू बी जी एल, 01 चीनी ग्रेनेड, एंटीना के साथ 01 वायरलैस सेट, 66,259/- रु0 नकद, 960.20 ग्राम सोने की वस्तुएं, 150 ग्राम चांदी की वस्तुएं और गोलाबारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री टी बी छेत्री, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 जनवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 96 - प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जी संजीब कुंडु, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

9.4.2002 को, माननीय मुख्य मंत्री, जम्मू और कश्मीर ने गांव मूरन, पुलिस स्टेशन एवं जिला पुलवामा में एक जनसभा को संबोधित करना था, सीमा सुरक्षा बल की 104 बटालियन को गांव मूरन सामान्य क्षेत्र को सुग्राही बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी । चूंकि मुख्यमंत्री की पिछली सभा के दौरान गांव मूरन में एक ग्रेनेड फेंका गया था, इसलिए कमांडेंट एस.ए. अल्वी ने घटना-मुक्त जनसभा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता सुरक्षा योजना बनाई । लगभग 1000 बजे एच एम गुट के अब्दुल रशीद डार, बटालियन कमांडर का एक संदेश पकड़ा गया और यह जानकारी मिली कि उग्रवादी इस क्षेत्र में या तो मुख्यमंत्री पर हमला करने या उनकी बैठक में व्यवधान डालने के लिए ठहरा हुआ है । संदेश तत्काल कार्रवाई हेतु 104 बटालियन को भेज दिया गया । सहायक कमांडेंट कमल सिंह राठौर को, त्वरित कार्रवाई दल की यूनिट के साथ, गांव करीमाबाद में धावा बोलने/ऑपरेशन चलाने के लिए रवाना किया गया । त्वरित कार्रवाई दल ने तत्काल लक्षित घर, जो दो मंजिली कंक्रीट की इमारत थी और जिसमें लगभग 10 कमरे थे, की घेराबंदी कर दी । सहायक कमांडेंट कमल सिंह राठौर ने घर की तलाशी लेने के लिए दो तलाशी पार्टियां बनाई । घर के अंदर छिपे हुए उग्रवादी ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और ग्रेनेड भी फेंके जिस पर कारगर रूप से जवाबी कार्रवाई की गई। सहायक कमांडेंट श्री कमल सिंह राठौर द्वारा ब्रीफिंग दिए जाने के बाद, कमांडेंट एस ए अल्वी घटनास्थल की ओर शीघ्रता से रवाना हुए और ऑपरेशन का पर्यवेक्षण किया । उग्रवादी ने अपनी पोजीशन एक कमरे से दूसरे कमरे में बदलते हुए पार्टियों पर निरंतर गोलीबारी की जिससे घर में पनाह लिए हुए उग्रवादियों की संख्या के बारे में संदेह पैदा हो गया । आपसी गोलीबारी बिना किसी वांछित परिणाम के लगभग 2 घंटे तक चली । इस अवस्था में, घर पर ए जी एल से कुछ ग्रेनेड दागे गए और खिड़कियों और दरवाजों से बहुत सारे हथगोले फेंके गए । उग्रवादी ग्रेनेडों के फटने से घबरा गया और उसने हताशा में घेराबंदी को तोड़कर बचने का प्रयास किया तथा अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए तेजी से घेराबंदी की ओर भागा । सतर्क कांस्टेबल संजीब कुंडु ने उग्रवादी को बच कर निकलने से रोकने के लिए बेहतर पोजीशन लेने की प्रक्रिया के दौरान उग्रवादी ने उन्हें देख लिया । इन्होंने उग्रवादी को अपनी ओर गोलीबारी करते आते देख अपनी पोजीशन तेजी से बदल ली । उग्रवादी ने कांस्टेबल संजीब कुंडु की निडरता पूर्ण कार्रवाई को देखकर उन पर गोलीबारी कर दी क्योंकि वे उसे रोकने के लिए करीब-करीब उसके सामने ही आ गए थे । उग्रवादी की एक गोली कांस्टेबल संजीब कुंडु की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी और उन्हें नीचे गिरा दिया । तथापि, कांस्टेबल कुंडु ने शीघ्रता से अपने को संभाल लिया और उग्रवादी पर गोलीबारी करके उसको गंभीर रूप से जख्मी कर दिया लेकिन उग्रवादी रेंगकर वापिस घर के अन्दर घुसने में कामयाब हो गया । इस आपसी गोलीबारी में, कांस्टेबल संजीब कुंडु के भी सिर में गोली लगी । उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने जख्मों के कारण रास्ते में ही दम तोड़ दिया । ऑपरेशन जारी रहा और उग्रवादी को मार गिराया गया जिसकी पहचान अब्दुल रशीद डार, पुत्र अब्दुल समद डार, निवासी गांव चूड़े-खुर्द, पुलिस स्टेशन और जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर), एच एम गुट का स्वयंभू बटालियन कमांडर और ड्रेड सी कैटेगरी पी टी एम के रूप में की गई । क्षेत्र की तलाशी लेने पर, 01 ए के श्रेणी की राइफल, ए के श्रेणी की 3 मैगजीन और 1 वायरलैस सेट बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री संजीब कुंडु, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 अप्रैल, 2002 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 29th April 2004

No. 38–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Mahesh Muralidhar Bhagwat, Supdt. of Police
2. G. Sreenivas, Addl. S.P.
3. B. Chinni Krishna, DAC
4. K. Eshwar Rao, J.C

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24.03.2003 information was received about the presence of top cadres of PW like NTSZC and State Polit Bureau Member Chandranna @ Pulluri Prasad Rao, Polem Sudershan Reddy @ Ramakrishana @ R.K., NTSZC member and Krimnagar West Division Committee Secretary and 15 other members of PGA moving in the dense forest and hilly terrain between Rompally and Laxmipur villages of Tiryani and Devapur PS limits as well as Kuregada, Nalkipathra, Ralli Reserve forest and Thirumalapur hillock. Shri. Mahesh Muralidhar Bhagwat,IPS, SP Adilabad discussed the information with DIG Warangal Range & Addl.SP (SIB) G. Sreenivas and prepared a plan with 7 parties consisting of 3 Grey Hounds Special Assault Units and four District Special parties for neutralizing PW extremists. As inputs was indicating that this group of PW is planning to commit a major offence like famine raid or political action, Shri Bhagwat led one assault unit accompanied by Srinivas, Addl. SP, SIB,Shri Chinni Krishna. Deputy Assault Commander of Grey Hounds so as to have command over the operation. A good guide earlier surrendered extremist of Gondi tribal language knowing constable was attached to each party in order to have mastery over the terrain. All the parties were dispatched from AR Bellampalli and Tiryani Police Stations on the late night of 24.03.2003 and combing was started in night only. On the next day i.e. 25.3.2003 morning party II led by the Shri G. Sreenivas, Addl. SP started searching hillocks like Biranllu, which is two to three Kms West of Laxmipur village and permanent water source. At that point he saw some fresh rice grains and suspected presence of some outsiders. At about 8.15 AM while combing the area between Biranllu and

Mukidi Pochama Gutta, Shri Bhagwat noticed reflection of Sun light on Mukidi Pochamma Gutta over a stainless steel tiffin box and also movement of some persons. Immediately Shri Bhagwat, Supdt. of Police planned a contingency scheme by dividing the party into two flanks, one led by Shri Bhagwat, Supdt. of Police himself with Chinni Krishna, Dy. Assault Commander and 11 Jr. Commandoes of Grey Hounds while other flank led by Sri. G.Sreenivas, Addl. SP (SIB) with remaining Grey Hounds Sr. and Jr. Commandoes and civil Sub Inspector and Constable. Ist Group led by Shri Bhagwat, Supdt. of Police started climbing Mukkidi Pochammagutta from eastern side while second group led by Sreenivas acted like a cut off group covered South-Western side of Gutta. When the party was almost reaching the top of hillock, the extremists approximately 15 in numbers noticed this party led by Shri Bhagwat and started indiscriminate firing with automatic weapons like AK 47, SLR, 303 Rifle. The flank which was led by Shri Bhagwat, Supdt. of Police faced the first firing from extremist. This flank was with out proper cover so taking ground cover this flank started crawling towards hilltop while retaliating heavy fire of extremist. Shri Bhagwat continued firing without any fear. Mean while other flank led by Sri Srinivas who with all his limitations reached the top of hillocks from the other end and saw extremists opening fire with automatic rifles like AK 47, SLRs, 303 rifles etc on the other party lead by Mahesh Bhagwat, SP, Adilabad. The flank led by Sri Srineevas opened firing and the extremist who tried to run in that direction came across the defensive firing on this flank. Noticing Shri Bhagwat and his party the extremists started hurling grenades and exploding claymore mines to give way to them and opened fore with automatic rifles on them. Shri G. Sreenivas slowly shifting from place to place taking odds bravely opened fire against the fierce extremists. The two flanks, one lead by the Sreenivas and the other led by the Mahesh Bhagwat were continuously fighting against firing extremists, taking positions and providing leadership to the field staff. The flank, which was led by shri B. Chinni Krishana, Dy.Assault Commander, faced the first firing from extremists. This flank was with out proper cover so taking ground covr this flank started crawling towards hilltop while retaliating heavy fire of extremist. Shri Kudurla Eshwar Rao, Jr. commando saw firing coming from the extremists from a hillock, immediately who was with out proper cover, taking ground advanced by crawling towards hilltop while retaliating heavy fire of extremist. Shri Eshwar Rao continued firing without any fear. Fierce fighting lasted for more than thirty minutes in which platoon of Peoples Guerilla Army (PGA) led by Chandranna and Ramakrishna @ RK gave stiff resistance to both the flanks. After the firing seized when police party searched the area they found four dead bodies of left wing extremist. It was later construed that the other group led by Pulluri Prasad Rao @ Chandranna NTSZC Member and State Polit Bureau Member escaped taking advantage of hilly terrain. These four dead bodies were identified as 1) Polem Sudarshan Reddy @ Ramkrishna @ RK r/o Moglicheria village of Geesgonda Mandal of Warangal Dist. Member of North Telangana Special zonal Committee (NTSZC) & Karimnagar West Division Committee Secretary carrying a cash reward of Rs.10 lakhs responsible for 1042 offences including 114 members,

attack on 5 Police Stations and 2 Major blasting in which 14 police personnel died. 2) Aknepalli Narasiah @ Sudarshan s/o Mallaiah r/o of Iglaspur village of Konaraopet (m) of Karimnagar Dist. PGA 9th Platoon Section Commander (Reward of Rs.3 Lakhs). 3) Madavi. Yadav Rao @ Ravinder R/O Prvathiguda(v) Sirpur(U) (M), Gunman to Polluri Prasad Rao @ Chandranna, NTSZC Member (Reward Rs.20,000/-). 4) Pendur Buiji Rao @ Bharath, R/O Rompalli (v), Thiryani (M), Adilabad Dist, Member of Goppera LGS. In this exchange of fire two .303 rifles, two SBBL guns, one Chinese made Mouser Pistol, one Man pack of ICOM Company, two loaded magazines of AK 47 rifles, one cell phone and huge quantity of party literature was also seized. This encounter was deadly blow to the CPI (ML) PW in entire North Telangana from Warangal to Adilabad District as the Divisional Committee Secretary of Nizamabad – Karimnagar West-Division and NTSZC member responsible for hundreds of political murders & number of times who managed to escape from exchange of fires finally died in this encounter.

In this encounter S/Shri Mahesh Muralidhar Bhagwat, Supdt. of Police, G. Sreenivas, Addl.S.P., B. Chinni Krishna, DAC & K. Eshwar Rao, J.C. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th March, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 39–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/ Shri

1. Mrinal Talukdar, APS, SDPO
2. Nila Sena Singh, Constable
3. Jitendra Basumatary, Constable
4. Chand Mahammad Ali, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23.4.2003 information was received by the O/C Bijni P.S that a group of ULFA militants with sophisticated weapons would come to village Barpathar under Bijni P.S to collect ration for their campus. The O/C informed the S.P Bongaigaon about the matter and the S.P immediately went to Bijni P.S and discussed the operational plan with Shri Mrinal Talukdar, SDPO, Shri Sambu Kumar, Asstt Comdt. of B/118 Bn CRPF, Shri Aftabuddin Ahmed, C.I Bijni and O/C Bijni P.S. As per planning a joint operation was launched at 1615 hrs. The party reached Barpather around 1915 hrs. As they were proceeding on foot towards the market place at Barpather, they saw a group of 4/5 people coming along the road towards them from the opposite direction with torch light in the hand of one of the persons. Shri Mrinal Talukdar, APS, SDPO suspecting the group to be extremists hurriedly put his men in position along the road and laid ambush. As the suspected group came closer S.I.(UB) Mahendra Rajkhowa asked them to stop for checking and verification. But the group disobeying his direction ran towards a nearby jungle and fired heavily upon the police party and the extremist in quick succession lobbed three hand grenades on the police and security forces, but luckily none of the police men was injured. The Police party also immediately retaliated the firing in self defence While fierce fighting was continuing Shri Talukdar, APS, SDPO carried out a tactical assessment of the situation and with the help of his PSO namely UBC/202 Jitendra Basumatary,PRC 666 Chand Mahammad Ali and PRC Const. 395 Nila Sena Singh located the spot and direction from where the militants were firing. Taking grave risk to their lives they moved towards the militants position and came into face to face with the militants and before the militants could react, the SDPO and his three PSOs showing quick reflexes opened fire from their weapons. By the time one of the militants took out a grenades from his pouch and attempted to hurl it towards the Policemen but the PSOs quickly fired upon the militant and killed him on the spot. The grenade exploded in the hand of the militant, otherwise it would have surely killed the policemen.The encounter continued for about half an hour. However, the other militants could managed to escape from the place taking cover of darkness and jungles. The killed extremist was later identified as Bipul Nath @ Nihar Roy of village Purakola,P.S – Bijni, Dist. Bongaaigaon Shri Talukdar, SDPO

with three PSO Constables exhibited high degree of courage and professionalism in keeping cool in a high precarious situation in which a slight error could have proved fatal for them. On thorough search of the area, one 7.62 mm Chinese made Pistol with a magazine, six rounds of 7.62 mm live ammunition, some photographs, incriminating documents, cash Rs.1800/-, A Hero Bi-cycle, one R.T. Set (ALINCO make) and one grenade pouch were recovered.

In this encounter S/Shri Mrinal Talukdar, ASP SDPO, Nila Sena Singh, Constable, Jitendra Basumatary, Constable & Chand Mahammad Ali, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd April, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 40–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Mahendra Rajkhowa, Sub-Inspr.
2. Kangkanjyoti Saikia, APS, Addl. S.P.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 4.4.2003, Supdt. of Police, Bongaigaon received information from his source that a group of 10/12 ULFA militants armed with sophisticated weapons were taking shelter in villages Silkhaguri, Labdonguri, Borgaon and Larugaon under Bijni P.S. Immediately the Supdt. of Police discussed the matter with Comdt. 118 Bn CRPF. Addl. S.P. HQ and other senior officers of the district and made an operational plan. They suitably briefed the officers & force personnel. In the planning separate cordon and search parties were earmarked. As planned a joint search and raid operation by Police and CRPF was launched on the intervening nights of 4th and 5th April'2003. The cordoning of the four villages was completed at 2400 hours. Search of the suspected houses was started under command of Supdt. of Police. Bongaigaon and assisted by Commandant, 118 Bn, CRPF around 0130 hours of 5.4.2003. While house to house search was going on around 0330 hours, Shri Kangkanjyoti Saikia, Addl. Supdt. of Police HQ and SI Mahendra Rajkhowa who were conducting house search at village No.1 Silkhaguri near river pura came under attack of ULFA militants. The militants numbering about 12/13 simultaneously lobbed hand grenades and opened fire upon the police and security forces. The Police immediately retaliated in self-defence. The police and security forces fought bravely with the heavily armed militants under the leadership of Shri Saikia, Addl Supdt. of Police, HQ and S.I Rajkhowa. A fierce fighting continued for about 20/25 minutes. The hard work of Shri Saikia and SI Rajkhowa paid a good dividend when four ULFA militants died on the spot. The killed ULFA militants were later on identified to be (1) Dipul Barua @ Surajit Bharali (2) Dipak Roy (3) Nogen Medhi and (4) Prakash Roy @ Rajesh Roy. The other militants escaped under the cover of darkness and of thick jungles. Shri Saikia, Addl Supdt of Police HQ and SI Rajkhowa exhibited a very high degree of courage and professional competence in the operation. Their slight mistake would have been fatal for them and for other policemen accompanying them as well.

The following were recovered from the possession of the killed militants.

1) One .22 bore revolver with 7 rounds of ammunition.
2) Two nos. of Chinese grenades.
3) Fired cartridges of AK Rifle 7 nos.
4) Approx. 2 kgs of high TNT Explosive substances
5) A map of BRPL
6) Five pieces of blankets, one shawal, one jacket etc.

During investigation it was confirmed that the ULFA militants were camping there at Silkhaguri to blow off the Bongaigaon Refinery and Petro chemicals Ltd, Dhaligaon, a multi crore project and also to attack police and security forces on eve of their raising day of 7th April'2003..

In this encounter S/Shri Mahendra Rajkhowa, SI & Kangkanjyoti Saikia, APS, Addl. S.P. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th April, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 41–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Bhupen Chandra Das
Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20.1.2002 after getting secret information about hideout of ULFA at village Tolli part-II under Golakganj P.S, SI Bhupen Ch. Das along with Thana staff and CRPF party raided the house of Akbar Ali Ahmed in the village. The ULFA militants started indiscriminate firing on Police and CRPF party. SI Bhupen Ch. Das reacted very quickly, took position and deployed his party for immediate retaliation. His efficient command galvanized the Police and CRPF personnel and a fierce encounter took place. The exchange of fire continued for about half an hour and as a result 4(four) hardcore ULFA militants namely Rajani Das, Dwipen Deka, Jagat Nath and Prasen Nath were killed. One AK-56 Rifle, one M-20 China made pistol, One wireless set were recovered from the site of encounter. The killed ULFA militants were wanted in many heinous crimes and the people of the area heaved a sigh of relief. SI Bhupen Ch. Das demonstrated indomitable spirit of courage at a great personal risk in the best tradition of service.

In this encounter Shri Bhupen Chandra Das, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th January, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 42–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Amarendra Borgohain,
Supdt. of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 8.5.2003 receipt of an information that ULFA militants coming down from Bhutan camp to Barpathar village under Bijni P.S. to collect ransom and ration, Mr. Amarendera Borgohain immediately made an operational plan with Mrs. R.G. S.H Sahota, C.O 118 Bn CRPF and with necessary force left for Barpathar on motor cycles. On reaching Barpathar the Police party could not find any militant and decided to come back. On their way back at around 1400 hrs, they fell in an ambush by 6/7 extremists at village Andhargaon, near the Andher river where the extremists started firing indiscriminately from sophisticated weapons upon the security forces with a view to kill the members of the police party. The militants also lobbed 2 (two) hand grenades. The SP who was a pillion rider on a motorcycle narrowly escaped the first burst of militants fire. Troops were immediately ordered to take position to retaliate fire in self-defence, cordon the area and launch counter attack on the extremists. The firing from the extremists for the first few minutes was intense injuring a CRPF Constable, Mr. Borgohain and Mr. Sahota with the remaining force went ahead crawling and swam across the river which was about 5 feet deep, in order to nab the militants. On seeing the force advancing, the milltants started retreating by opening intermittent fire and managed to escape taking advantage of jungles. In the fierce encounter of thirty minutes, Mr. Borgohain fired six rounds from A.K. series rifle hitting one of the extremists. When the firing was stopped, the area was searched and bullet ridden dead body of an unidentified militant was found. Later on, the dead body was identified to be of Subal Mahanta, S/o Goya Mahanta of village – Taghertarym, PSMukalmua, Distt Nalbari and a self styled Second Lieutenant of the banned ULFA organisation. Mr. Amarendra Borgohain and Mrs. R.G. H.S. Sahota, C.O. 118 Bn CRPF kept their cool in a highly risky situation and exhibited extraordinary course and professionalism.

One 9 MM factory made automatic pistol, 20 rounds of its ammunition, one Chinese made hand grenade, cash Rs. 7000/- eleven fired cartridges, some incriminating documents were recovered from the slain militant.

In this encounter Shri Amarendra Borgohain, SP displayed conspicuous gallantry, courage, and devotion to duty of a high order.

This awards is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th May 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 43--Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Gujarat Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Madhukar Rajaram Shinde (Posthumous)
Asst. Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In the morning of 11-03-2003 ASI Madhukar Rajaram Shinde (Buckle No.1082) of Surveillance Squad of Umra Police Station, Surat City was on his routine patrol and watch duty in Udhna-Magdalla chowky area. At about 12.45 hours three robbers armed with country made pistol (Tamancha) and knife entered into the office of the Finance Company being run by one Shri Manilal Prabhudas Patel in shop No.9, 2nd floor, Meghna Complex, Udhna Magdalla Road and demanded cash and valuables from Shri Manilal Pradbhudas Patel and his son Tejas. As Tejas resisted their demand and tried to grab one of the robbers he shot him dead by firing a round from his Tamancha from a close range. As people started collecting outside due to commotion the robbers began to run. While one of the miscreants namely Anil Vipin Mishra with a Tamancha started running towards Ambica Industrial Society, the remaining two namely Sanjay Gaud and Chandan Ramparvesh Paswan started running towards Govalak Char Rasta. They were grabed and garbed by mob. Meanwhile, ASI Madhukar Rajaram Shinde gave a chase to Anil Vipin Mishra who was running with Tamancha that had scared the people to chase him. The ASI, despite being unarmed, showed exemplary courage and chased this robber till he reached a dead end. To scare ASI Shinde away robber Mishra posed to fire from his Tamancha. This however, did not deter ASI Shinde, who was determined to catch this robber. To disarm the robber ASI Shinde threw a stone at him by taking aim of his hand, however it did not hit him at the right place. In the commotion robber Mishra fired one round at ASI Shinde from his Tamancha which hit him in the left chest. ASI Shinde, grievously injured due to firing, succumbed on way to the hospital. A reinforcement of the Police Force rushed to the spot, subsequently, caught this robber while he had locked himself in a bath room in a nearby place. Thus, ASI Madhukar Rajaram Shinde, despite being unarmed, showed tremendous courage and utmost dedication to duty as a Police Officer and put his life at stake in the discharge of the same. ASI Shinde made supreme sacrifice by giving away his life as a brave soldier of the Police force.

In this encounter, Late Shri Madhukar Rajaram Shinde, ASI displayed conspicuous gallantry, courage, and devotion to duty.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th March 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 44–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal /Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Haryana Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

	S/Shri	
1.	Gumana Ram, ASI	(PPMG)
2.	Yudhvir Singh, Head Constable	(PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

One Rajbir Rathee r/o Lakhanmajra, District Rohtak (now residing in Bahadurgarh, District Jhajjar) involved in a dacoity case of Ellenabad (District Sirsa), was lodged in Central Jail, Hisar, in the year 2001. Sh Vijay Gulati, Jail Warden, had dealt with him and his accomplice Ishwar Singh Brahman r/o Dhanana, district Sonipat, firmly in Central Jail Hisar at that time. Rajbir Rathee was later on transferred from Central Jail, Hisar to Central Jail Rohtak, from where he had managed his release. Rajbir Rathee nursed a grudge against Sh Vijay Gulati, Jail Warden, and thus wanted to take a revenge. Therefore, he engaged Ishwar Singh r/o Dhanana, his accomplice Upesh Kumar r/o Chulana (Rohtak), Vikram r/o Bhainswal (Sonipat), Manoj r/o Mor Kheri (Rohtak) and Satbir Singh @ Dhillu r/o Gochhi district Jhajjar, for the purpose. On 7.4.2003, the above accused came in a Maruti car to Hisar. Satbir & Ishwar Singh stayed in the car, whereas accused Vikram, Upesh and Manoj went near the jail. They waited for Sh. Vijay Gulati under the 'Peepal' tree who was to come from his official accommodation to Central Jail, Hisar for duty. When Sh. Vijay Gulati reached near the "Peepal" tree, all the accused fired at him and he died on the spot. EHC Gumana Ram No.1413/HSR of CIA Staff Hisar was present for surveillance duty. On noticing the incident, he instantly rose to the occasion and overpowered one of the armed accused viz. Upesh Kumar, without caring for imminent danger to his own life. Both of them grappled with each other for about 4-5 minutes. However, EHC Gumana Ram did not release the accused. Accused Upesh Kumar also fired at EHC Gumana Ram and the buleet hit him and passed through his body. On finding his grip lossening, accused Upesh Kumar attempted to flee away. Const. Yudhvir Singh No.1206/HSR, who was deputed in the escort guard for taking undertrials from Central Jail, Hisar for production in various courts was standing near the main gate of the Central Jail, Hisar also rushed to the spot in the meantime to help and rescue EHC Gumana Ram. By applying his mind and exigency, he fired two rounds from his weapon at Upesh Kumar. One of the round hit the accused, who fell down at about 125 yards from the spot. Const. Yudhvir Singh also chased other accused, but he could not fire more rounds at them due to heavy rush of public on National Highway No.10

passing nearly. Resultantly, the other accused managed to run away. As a result of this bravery in combating armed criminals, one of the accused could be apprehended on the spot and one .38 bore revolver with two live cartridges and four empty cartridges were recovered from him.

In this encounter, S/Shri Gumana Ram, ASI & Yudhvir Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Presidnet's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th April, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 45–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rajinder Kumar Sharma
Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20th October 2002 Inspector Rajinder Kumar Sharma learned reliably that militants are likely to pass through the Dundak and Sanai area of District Poonch. Immediately, he contacted local security forces and deployed his men in such a way as to leave no chance for militants to escape. Sh. Rajinder Kumar Sharma, Inspector himself commanded his men and soon as the militants came within the range of Naka party, they were challenged to surrender. Militants ignoring the signal resorted to heavy fire which was retaliated. In the exchange of fire a shower of volleys missed the officer by inches and he had a miraculous escape. However, unmindful of risk to his life, Sh. Sharma re-acted very quickly and fired back with pin-point accuracy resulting in killing of one militant and seriously injuring the other one. The injured militant was also killed by Sh. Sharma. In this operation, three foreign militants identified as Abu Bilal, Abu Abran and Abu Saran of L-e-T were killed. 2 AK-56 rifles, 1 AK-47 rifle alongwith 5 AK magazine, 8 hand grenades were recovered from the site of the encounter.

In this encounter, Shri Rajinder Kumar Sharma, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th October 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 46–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Amit Bhasin,
Prob. Dy. S.P.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific information regarding presence of militants in village Dogglan Ganjote (Reasi), a Police party under the charge of SHO Police Station Mahore, Dy. SP (Prob) Shri Amit Bhasin was detailed for a cordon and search operation on 30.06.2003. While the search party was approaching the suspected hide –out, they were heavily fired upon by the hiding terrorists. Shri Bhasin immediately reorganized his team and cordoned the house from all sides. The trapped terrorists were persuaded to surrender but they continued firing. The terrorists, who had kidnapped a teenaged boy from Banihal area, sometime back, used him as cover. However, the quick decision and proper command and control the SHO saved the life of teenager. The terrorists after lobbing hand grenades started indiscrimate firing on Police party and ran towards a shed. The Police party returned the fire effectively and resultantly two hardcore terrorists, Abu Farman and Umar Farooq residents of Pakistan owing allegiance to JEM outfit was eliminated in an hour long gun battle. Two AK-47 Rifles and 7 Nos of magazines, Round-145, Hand Grenade 02 Nos HE & one wireless set were recovered.

In this encounter, Shri Amit Bhasin, Dy.S.P. (Prob.) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th June, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 47–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Dalip Kumar,
Dy. S . P

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 21st Sept 2002, on learning about the presence of militants in a house at Chajala, SDPO Mendhar, Shri Dalip Kumar immediately organized his special operation group personnel along with army and cordoned of the house. The search seek operation was planned extremely well by Shri Dalip Kumar which gave militants no chance of escaping but to start heavy firing towards the approaching police party. The raiding party returned the fire and succeeded in hitting one militant at the initial stage whereas the other accomplice tried to escape and hid in the maize crops. The exchange of fire continued for a long time, which left most of the Jawans of raiding party short of ammunition. Finding that the troops were approaching and gaining ground, the terrorist hiding in the maize crops gave out his location by indiscriminate firing. Dy.SP Dalip Kumar showing exemplary courage and determination and least caring for his life, rushed in maize crops and chased the militant through the maize crops and opened fire resulting in elimination of the militant. The presence of mind and courage displayed by Dy.SP Dalip Kumar was exemplary which resulted in the killing of 2 terrorists in the area. 2 AK 56 Rifles, 4 magazines, 121 Cartridges, one wireless set and 2 pouches were recovered from the site of the encounter.

In this encounter, Shri Dalip Kumar, Dy.SP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st September 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 48–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Dr. Ajeet Singh Salaria
   Dy. S.P
2. Bharat Bushan,
   Inspector.
3. Prabhu Dayal
   PSI

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on a specific information, regarding presence of a group of terrorists in a jungle near Village Ganjot, Mahore, Udhampur, on 19.5.2003 at 0600 hours, the police party under the command of SDPO Mahore, Dr Ajeet Singh Salaria, cordoned off the suspected area. The striking party started the search of the jungle, and on reaching near the hideout, came under a heavy volume of fire from terrorists. Displaying highest degree of professionalism, the police party encircled the area without retaliation. SDPO persuaded the trapped militants to surrender, but they responded by lobbing hand grenades. Tactfully, SHO Mahore with his party diverted the attention of the trapped militants by engaging them from the other side. Meanwhile SDPO along with his search party crawled down to the other side and took the terrorists by surprise by opening the fire from close range hitting and simultaneously eliminating both of them. The terrorists were identified as Mohd Sajjad Alias Abu Hamza S/O Master Bashir Ahmed R/O Okada, Pakistan & Abu Abdul Bashir R/O Gujjrawallan (Punjab), Pakistan, of LET outfit. 2 AK Rifles, 09 AK magazines, 266 AK ammunition, 3 Hand Grenades, One wireless set, India currency Rs.1000/- & Pak currency Rs.10/- were recovered from the slain militants.

In this encounter S/Shri Dr. Ajeet Singh Salaria, Dy.S.P., Bharat Bushan, Inspector & Prabhu Dayal, PSI displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th May 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 49–Pres/2004 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Rajeshwar Singh, Dy.S.P.
2. Manzoor Ahmad, SGCT

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On specific information regarding presence of a group of terrorists of LET outfit in the area of Chuntwaliwar, Lar Ganderbal, and planning Fidayeen attacks on nearby Security Forces/SOG Campus, Dy. SP (Ops) Ganderbal Shri. Rajeshwar Singh, on 10.9.2002, cordoned the area to flush out the terrorists. Terrorists hiding in Mughal Mohalla, Chuntwaliwar, took position in a nearby maize field, resorted to hurling of grenades and heavy firing on the SOG party. Shri. Rajeshwar Singh, Dy. SP and SGCT. Manzoor Ahmed No.840/14th Bn. JKAP, taking high risk of their lives, forced boldly and went very close to the terrorists despite heavy firing. Meanwhile troops of 5-RR, BSF and CRPF also joined the operation. The exchange of fire lasted for two hours. In the operation two foreign militants were killed. The killed militants were identified as Tilvat Khan @ Qasim, r/o Pakistan Fidayeen Cdr of LeT outfit and Usman Afghani r/o Pakistan, Fidayeen. 2 AK 47. One UBGL, 5 AK magazines, 96 AK live rounds, 1 Rifle Grenade, 2 Hand Grenades, One Mortrix & 1 wireless set with antenna (Damaged) were recovered from the site of encounter.

In this encounter, S/Shri Rajeshwar Singh, Dy.S.P & Manzoor Ahmad, SGCT displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th September 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 50–Pres/2004- The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

	S/Shri	
1.	Garib Dass, IPS, S.P.	(Bar to PMG)
2.	Farooq Ahmed, Constable	(PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 05.2.2003, militants had descended at the house of Ghulam Mohi-ud-din Sheikh R/O Khanabal, Handwara with the intention to kill him. They fired upon his servant Mohd Akbar, who later succumbed to his injuries. On receipt of this information, a joint operation was launched by the Police and 21 RR under the command of Shri Garib Dass, SP Handwara and a cordon was laid around the house of Gh. Mohi-ud-din Sheikh where the militants were holed up and rescue cum search operation carried out. A search party led by Shri. Garib Dass, SP Handwara, and Const. Farooq Ahmed made entry from the back to the top floor of the building and rescued the family members including Ghulam Moh-ud-din Sheikh from the top floor. After clearing the top floor of the building, the search party without caring for their lives, stormed the ground floor where the terrorists fired upon them indiscriminately. Shri. Garib Dass and his party took positions within no time and returned the fire with equal ferocity, and eliminated one terrorist belonging to Le T, later on identified as Abdul Wahid Afreedi @ Abu Ummar R/O Kohat Pakistan. One AK Rifle, 2 AK magazines, 20 rounds of AK, One Pistol Magazine, 2 Hand grenades, 1 Pouch etc., were recovered from the slain militant.

In this encounter, S/Shri Garib Dass, IPS, SP & Farooq Ahmed, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th February 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 51–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mukesh Kumar
Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 19.3.2003, on receipt of an information about the presence of militant in Village Liver, Police Station Srigufwara (Anantnag), Police and 1st Sector RR launched a joint operation under the command of Inspector Mukesh Kumar No.4091/NGO of District Special Branch Anantnag. When the joint party started cordoning the targeted area, militants opened indiscriminate firing on them, which was effectively retaliated. Inspector Mukesh Kumar without caring for his life chased a fleeing militant and killed him, who was reportedly involved in a number of killings in the area including the killing of Hyder Noorani, contesting candidate of BJP in 1999 Parliamentary Election, and Inspector Bashir Ahmed of SOG Camp Srigufwara. His elimination had given a jolt to the HM outfit. The killed militant was identified as Mohd. Amin Singh @ Amin Singh @ Faisal @ Suhail, Bn. Commander of HM outfit. One AK Rifle with 2 AK magazines were recovered from the killed militant.

In this encounter, Shri Mukesh Kumar, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th March, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 52–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Chanchal Singh,
PSI.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27.4.2003, on a specific information regarding movement of terrorists in Lagote forest area of tehsil Gandoh, Doda, a search operation led by PSI Chanchal Singh No.7222/NGO I/C STF Gandoh was launched to flush out the terrorists from the area. During the process contact was established with terrorists in wee hours of 28.4.2003. They were asked to surrender but instead they started indiscriminate firing upon the operation party. The fire was retaliated and terrorists were holed upon in a cave type of hideout. At about 0900 hrs. terrorists came out of the hideout and tried to escape under the cover of heavy firing and grenade throwing. But effective retaliation of fire resulted in elimination of one terrorist, while as 02 terrorists tried to flee. PSI Chanchal Singh without caring for his life chased them and fired a burst, killing another terrorist on spot. In the meanwhile, the third terrorists took position and threw a grenade upon the PSI which missed the PSI who had a narrow escape. The Police party which had covered the other side fired towards the terrorist. The terrorist who was being chased by the PSI and other Jawans, turned back firing and had a face to face confrontation with the PSI. PSI Chanchal Singh took the terrorist and fired a volley of bullets upon the militant and killed him on spot. Thus in all three terrorists were killed in this operation. The killed militants, as per FIR were (1) Zakir Hussain code Baser Hussain S/O Ali Hussain, caste Gujjar r/o Kota (2) Mohd Ayub code Saifullah S/O Qasim Din r/o Dadkaie Tehsil Gandoh (3) Mudassir Ahmed S/O Nazir Ahmed R/O Dalain Gandoh. 2 AK-56 Rifles, 3 Magazines of AK 56, 50 live rounds of AK-56 & 3 Nos of HE-36 grenades were recovered from the slain militants.

In this encounter, Shri Chanchal Singh, PSI displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th April 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 53–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Gh. Mohd Dar, SSP, Kupwara
2. Ravi Ji, SI
3. Shakil Ahmad, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific information regarding movement of militants in Khodi, Lolab, Kupwara, SSP Kupwara Shri G M Dar along with men of SOG and troops of 32 RR organised an ambush operation during night intervening 5/6-2-2002. Different ambush parties were positioned by the SSP under his overall command and control at several places to nab the terrorists. At about 0100 hours one party headed by the SSP himself observed movement of suspicious terrorists. The officer seeking help of ASI Ravi Ji No.6997/NGO and Const. Shakeel Ahmad No.1055/KP chased the militants. While this party was advancing towards close proximity of the militants, they came under heavy volume of fire from militants. The militants also lobbed several grenades in succession upon this party. The SSP and his associates advanced by crawling towards the militants and with the highest degree of bravery and professionalism countered the attack of the terrorists effectively. The encounter lasted for about two hours. The militants took shelter under a heavy boulder. The SSP and his associated crawled further and lobbed grenades towards the militants from a distance of hardly twenty meters without caring for their lives, as a result of which the militants left their shelter and in the operation five Jesh-e-Mohammad militants were killed.

In this encounter, S/Shri Gh. Mohd Dar, SSP, Ravi Ji, SI & Shakil Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th February, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 54–Pres/2004 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ashok Kumar Sharma,
Dy.S.P. (Ops). Poonch.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 10.8.2002, Shri Ashok Sharma, Dy. S.P (Ops), Poonch, received an information suggesting presence of militants in Khanetar area of Poonch District. The Dy.SP alongwith nafri of SOG Poonch/Police Station Poonch swung into action and started combing operation in the area. The force had to climb on a steep gradient at disadvantage as the enemy was expected to be at advantageous position on the height. Dy.SP Sharma well organised his men and left no scope for the terrorists to flee. Despite heavy fire, the Dy.SP kept on boosting the morale of his troops risking his life. At one occasion a shower of bullets missed him by inches. The dangerous incident could not deter the officer to guide his men. In this encounter one militant of foreign origin was killed where SPO Liaqat Ali No.861/SPO was severely injured. One AK Rifle, 3 AK magazine & 40 AK ammunition. were recovered after the encounter

In this encounter, Shri Ashok Kumar Sharma, Dy.S.P (Ops) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10.08.2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 55–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Surjeet Singh,
Sub- Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 26.9.2002 on a specific information regarding the movement of terrorists in Tranger area of District Poonch, S.I Surjeet Singh. SHO Police Station Loran, laid a Naka near Barachhar bridge at 1830 hours. At about 2310 hours a group of militants was seen by the Naka party. On being challenged, they started firing indiscriminately. The Naka party retaliated effectively. It was a war like situation. Despite heavy fire SI Surjeet Singh guided his men and boosted their morale. The exchange of fire continued till 0530 hours next morning. After the conclusion of the encounter a search operation was carried out and dead bodies of four LET militants were found. Out of the killed militants, one was identified as Taqbar Ali @ Noman @ Fougi, the group Commander. 3 AK-56 Rifles, 9 AK-56 magazine, 93 rounds, 2 broken radio set, 7 Nos of Hand grenade & 8 Detonator electric were recovered.

In this encounter, Shri Surjeet Singh, SI displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th September 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 56–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Manjit Singh, Dy.S.P. (Posthumous)
2. Manohar Lal, Head Constable (Posthumous)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Upon an information regarding presence of a militant in Hotel Anand near Bus stand Poonch, on 14.3.2003, a round 1425 hours, Shri. Manjit Singh, Dy.SP alongwith his force proceeded to the spot to tackle the situation and persuaded the said militant to surrender, who instead resorted to indiscriminate firing. There was a procession of Muharram-ul-Haram and the militant wanted to cash on the situation by creating terror and fear psychosis and continued the firing. Shri. Manjit Singh had to manage things by deploying his men for safe retaliation in order to minimize civilian casualties. In the incident Shri. Manjit Singh and HC Manohar Lal No.57/P were critically injured by the militant firing, and succumbed to injuries enroute while being shifted to Hospital. However, the militant learnt to be a member of LET suicidal squad was also killed by these valiant policemen. Shri Manjit Singh, had the dual task of, preventing civilian casualties from amongst the Moharam Procession and saved the civilians in the hotel, and countering the terrorists with high sense of responsibility, Courage and dedication and in the process sacrificed his life and that of his junior colleague HC Manohar Lal. One AK Rifle & 3 AK magazine (empty) were recovered after the encounter.

In this encounter Late S/ Shri Manjit Singh, Dy.S.P & Manohar Lal, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th March 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 57–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Karnataka Police :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gopal B. Hosur,
DCP (Central), Bangalore City.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the basis of credible information that ISI trained Tamil Muslim fundamentalists had taken shelter in Bangalore City, a team led by DIG Coimbatore Shri Ashutosh Shukla, DCP Madurai Shri Shakeel Akhtar came to Bangalore and exchanged intelligence with Bangalore City Police. Imam Ali S/O Halith, belonging to Melur, Madurai district is a Muslim Fundamentalist accused in a number of bomb attack cases including the bomb blast in the RSS office building at Chennai on 08-08-1993, that killed 11 persons and injured 7. The explosion caused extensive damage to the building and triggered communal violence throughout the state. Imam Ali had acquired expertise in manufacturing bombs including country-made revolvers and pistols. He was supposed to have got training in Bangaladesh and also by Hizbul Mujahideen in Jammu and Kashmir. Later he tried to kill Ramagopalan, the leader of Hindu Munnani, for which he procured 12 Kgs of Gelatine sticks and 25 hand grenades. For this assignment he took the help of Jahir Hussain and Subair, expert bomb maker belonging to another terrorist outfit, Al Umma. Later he hatched a plan to attack Vinayaka Chathurthi Procession on 3rd September at Chennai for which he procured gelatine sticks. However he was arrested on 19-03-1995. While the trial of blast in RSS office at Chetpet was going on, Imam Ali and his associate escaped from police custody at Thirumangalam while they were being escorted to Koilpatty Court on 07-03-2002. The associates of Imam Ali hurled country bombs and fired country-made weapons at the escort party. Imam Ali snatched away an AK 47 from the escort constable and opened fire creating a scare and causing grievous injuries to a few constables. After the escape, Imam Ali had rechristened his group as " Al Mujahideen" whose task was to rally poor Muslim youth around him. Imam Ali and his associates conspired to get more arms, ammunition and explosives to execute their plans of murdering VVIP's, Police Officers and blast Hindu Temples and vital installations and thereby promoting enmity between various religious groups. The Tamil Nadu Police sought the help of Bangalore City police to carry out the operations against the militants. A special team was constituted under Shri Gopal. B. Hosur, DCP Central. He was able to pin pointedly locate place where terrorists were holed up. In the process he and his

team exposed themselves to the terrorists when they visited the premises without arms in disguise to study the topography of the place. Based on the specific intelligence that was painstakingly obtained at great risk to life. Shri Gopal Hosur and his team along with the team of officers from Tamil Nadu worked out a plant to raid the house on 29-09-2002 at mid night to capture the militants since it was in built up area. The teams of Karnataka and Tamil Nadu were briefed by Shri Gopal Hosur and Tamil Nadu officers Shri Ashutosh Shukla, DIG and Shri Shakeel Akhtar, DCP. The operation to nab the dreaded, armed Imam Ali and his associates started at 0100 Hrs on 29-9-2002. Shri Gopal Hosur briefed the police parties to be cautious since it was surrounded by civilian houses and use fire only in self defence if the holed up militants opened fire first. The police team were detailed duties for outer and inner cordon. Shri Gopal Hosur and his team with Tamil Nadu officers reached the house by 0230 hrs. The officers and team took up positions around the house and powerful torches were used to illuminate the area. The door of the house was knocked. There was sudden movement inside the house and a round was first fired by militants from inside the house. The firing caused the glass window panels to break and three policemen near the window who were not in the lying position were hurt. The wooden plank that had been brought was held against the two windows and tear gas was burnt into the house to incapacitate them. Since the militants did not open the door despite repeated warnings the door was ordered to be broken by DIG Shri Ashutosh Shukla. Shri Gopal Hosur and Tamil Nadu officers with gas masks took lying positions. There was a sudden volley of fire from inside the house. Four policemen who were in kneeling position suffered injuries and cried in pain. Immediately tear gas (TG) shells were fired into the room. Since the militants were known to be armed with automatic weapons and explosives the police party was ordered to open fire at the militants. Shri Gopal Hosur used his service revolver in lying position and fired two round at the militants from the door side despite the heavy tear gas. The firing and counter firing lasted for about 15 minutes. There was a lull and cries of injured militants from inside the house. Shri Gopal Hosur crawled into the house along with Tamil Nadu officers and found the militants to be profusely bleeding with bullet injures. He asked his PSIs Shri C T Jayakumar, Shri Subramnya and Ms. Shashikala and his driver Laxman and Gunman Raju to enter the house and shift them to M.S Ramaiah Hospital in the ambulance that was kept at hand. However the militants were declared dead as they were taken to the Hospital. Despite the continuous firing from the militants Shri Gopal Hosur, DCP had shown exemplary intrepid courage and devotion to duty by leading from the front and conducting a successful operation without any casualty on the police side and the civilians in the crowded locality by immobilizing the armed militants holed up inside the house, resulting in the killing of five dreaded Muslim Fundamentalists.

In this encounter, Shri Gopal B. Hosur, DCP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29.9.2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 58–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri R.K. Chaudhary,
Addl. S.P.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Shri. R K Choudhary, Addl.SP Sheopur Camp Vijaypur, received information at about 0100 on 10th March 2002 regarding the movement of dacoit gang T-8 Ramhet Kachi. The gang was divided into two parts, one with the gang leader him self along with two other dacoit in the Marha Forest and the other with his younger brother Gopal Kachi hiding in Ekdanta Hills, 12 Km away with three kidnapees. After informing the S.P Shri. Choudhary lost no time and rushed towards Marha Forest with a small party of men. He divided the party of 8 men into two groups and positioned one party strategically at the escape route, while he himself advanced with one Head Constable and three Constable silently towards the location of the gang which was hardly 15 to 20 yard away. After strategically positioning his men Shri Choudhary asked the dacoits to surrender at which they resorted to heavy firing leading to his providential escape. Shri Choudhary advanced with his men in the face of heavy firing and paying no heed to his own safety, kept on firing at the dacoits. After about 10 minutes the firing stopped from the dacoits side. Shri. Choudhary ordered the police party to stop firing and he crawled towards the side from where dacoits were firing Mr. Choudhary located one dead dacoit who was later on identified as Ramhet Kachi. By now it was 0230 hrs. Shri Choudhary left one party at the first scene of encounter for investigation and moved towards Ekdanta Hills where the gang had held three kidnapees. He left the vehicle about 5 Km short of the gangs location and briefed his men as the release of three kidnappees was more important than shooting down any dacoit. At about 0630 hrs he reached the hill. Shri. Choudhary shouted and alerted the kidnappees, telling them that this was the police party therefore they should under no circumstances, rise and run about. At this the dacoits opened the fire. The police party led by Shri. Choudhary, responded immediately and courageously. One dacoit named Chiddi Dhodbi was wounded and captured alive while trying to escape and one more arrested in subsequent search operation. All the three kidnappees were rescued by Mr. Choudhary and his team The gang listed as T-8 was forever smashed. Two mouser rifles, two ML guns & 9 empty cartridges of 315 bore & 4 live cartridges of 12 bore, gun powder was recovered after the encounter.

In this encounter, Shri R. K Chaudhary, Addl.S.P. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th March, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 59–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Virendra Sharma, (Posthumous)
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In the intervening night of 10/11.1.2002 Constable Trimbak Rao & Constable Virendra Sharma were deputed from Police Station Hazrat Kotwali Gwalior, to perform night patrolling at Delta point, Gasht Ka Tazia crossing from 2400 hrs to 0900 hrs. An Auto-Rikshaw from Sarafa Bazar carrying 3 passengers, was passing by. On enquiry they were unable to tell their destinations. One of the passenger informed that he is a resident of Orai (UP). Other two passengers had covered their faces with Shawl and Muflar. While doing thorough body search a local made Katta (Country made gun) was found tucked in one's waist. Const 315 Virendra Sharma challenged & warned to surrender along with Katta. While Constable was loading his rifle, the stout built passenger immediately jumped on Shri. Virendra Sharma & fired on him from his Katta. The bullet fired by the miscreant hit Shri. Virendra Sharma on his head, leading to profuse bleeding. Despite being seriously injured Shri. Virendra Sharma exhibited a great courage fortitude, with a great regard and concern for the security of his fellow Police man. With out caring for his life he made one more gallant attempt and took away Katta from miscreant thus saving life of this fellow constable but in the process he met his last end.

In this encounter, Late Shri Virendra Sharma, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th January 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 60–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Madhya Pradesh Police :-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Indra Prakash Kulshrestha, Addl. SP.
2. Anil Singh Rathore, Inspector.
3. R.N. Braru, Town Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 11.03.2002 a wireless communication was received at Police Station Nishatpura regarding excessive firing by RPF Constable Arvind Shirvastava from his 303- service rifle from the roof of railway staff running room building situated at Bhopal Vidisha road surrounded by dense population. In this firing 3 persons were killed and more than 10 were injured later out of which one died in the hospital. This act was sufficient to flare up communally surcharged atmosphere specially in Chhola Police Station, Nishatpura area of Bhopal. On receiving this information Shri I P Kulshrestha Addl.S.P. Bhopal immediately rushed to the spot and formulated an action plan under his leadership. Three teams were formed as under:-

1. Shri I,P, Kulshrestha Addl. SP and Anil Singh Rathore SHO Nishatpura, C.D. Dubey ASI and others.
2. Shri Arvind Saxena CSP Hanumanganj, Shri Mohit Kumar Subedar DRP lines and others.
3. Shri Rajesh Tiwari SHO Shahjahanabad, Shri Vimal Vasuki SI Bajaria and others.

Party No.2 and 3 were pressed into action from different directions and they encircled the building. Party No.1 with Shri I.P Kulshreshta and Anil Rathore engaged themselves in rescue operation with staff despite being in the firing range of the constable Arvind Shrivastava who was constantly firing. The first party led by I.P. Kulshreshta accosted the constable directly and he was asked to surrender. The constable was on the rooftop, where he was at a strategic advantage making the task of the first party extremely risky, difficult and life threatening. The constable ignored the police warning and opened fire on the first party. But Shri I.P. Kulshreshta started moving with his staff towards the third floor of the ensured building where the constable devoid of his senses was firing indiscriminately. Shri Kulshreshta and his staff were in the open area of firing range and he displayed

exemplary courage where he led his party gallantly unmindful of his personal safety to the roof top. He maintained high standard of leadership and enthused his staff with courage and challenged the constable to surrender his service rifle. In response the constable opened fire and ASI Dubey was hit by a bullet and was grievously injured. Shri Kulshreshta narrowly escaped in this firing along with his party took position and saved the injured ASI Dubey. Shri Kulshreshta started moving towards the hiding place of constable Shrivastava without caring for his own life and challenged him to surrender exhibiting extraordinary courage, act of bravery, professional expertise and compelled the constable to surrender with service rifle. Shri I.P. Kulshreshta's above exemplary act, full of courage, bravery, professional expertise and leadership not only helped the police party to get constable Arvind Shrivastava to surrender, who had killed 4 innocent personnel and injured 10 others but also saved the life of ASI Dubey who was seriously injured as well as so many other innocent people present around the place of incident.

On 11.03.2002 a wireless communication was received at Police Station Nishatpura regarding excessive firing by RPF Constable Arvind Shirvastava from his 303- service rifle from the roof of railway staff running room building situated at Bhopal Vidisha road surrounded by dense population. On this information, Shri Anil Rathore, Town Inspector, Police Station Nishatpura immediately rushed to spot and engaged himself in rescue operation with staff by shifting injured personnel to hospital despite being in the firing range of Constable Arvind Shrivastava who was constantly firing. Shri Rathore first of all controlled the terrorized public with tack and started moving with staff toward third floor of a said building from where continue firing was carrying on by Constable Shrivastava. He himself and staff were in open area of firing range but keeping his own life in danger and maintaining high standard of leadership, Shri Rathore challenging the Constable Arvind Shrivastava to surrender himself, but in response Constable Shrivastava again opened fire on police party in which ASI Dubey hit by a bullet and grievously injured. In Such a movement, Shri Rathore acted with courage and bravery and picked up the injured ASI Dubey and shifted him to hospital without Constable Shrivastava without caring his won life and challenged him to surrender exhibiting extraordinary courage, act of bravery and professional expertise and compelled to surrender with service rifle.

On 11.03.2002 night at 21.40 P.M information received at P.S. Govt. Railway Police, Bhopal that one man wearing Police uniform has fired at three four persons and seriously injured them. On getting this information, Shri R N Braru,

SHO, GRP, Bhopal collected the force and immediately rushed to the Nishat Pura running room, the place of occurrence. On reaching there the first thing he did, he sent the injured persons to the hospital immediately for their treatment. Out of these three persons, life of one person was saved. It was sheer due to lone, prompt and quick efforts and action of Shri R N Braru. On enquiry it was known that this inhuman and tragic incidence was committed by one Shri Arvind Shrivastava, RPF Constable who was hiding somewhere on the roof top of the running room, injured many people towards Chola Road also. Shri R N Braru, SHO GRP Bhopal immediately came into action. He distributed the force into two parties and briefed them. One party led by SI S.K. Martin was stationed at the 2nd floor while R N Braru then tried to arrest the Constable of the RPF. He was challenged to surrender, but he kept on firing continuously. Running the risk of life Shri Braru moved forward with his party. He was about to arrest him when a bullet from accused 303 hit the left leg under knee, but this also did not deter him. Showing high degree of courage, he could succeed to make him surrender then and there. At the time of surrender he was left with only one live round. This indiscriminate firing by Arvind Shrivastava resulted in deaths of S/Shri M P Singh, K B Singh, Dalchand and Satya Narayan and left 10 others seriously injured. This was a real encounter with a person who was trained in arms. He displayed not only the high degree of leadership quality but courage, patience, planning with foresight. It was really an act of bravery under the circumstances mentioned above. His prompt and quick action cold avert the serious Law and order situation in the particular area.

In this encounter, S/Shri Indra Prakash Kulshrestha, Addl. SP, Anil Singh Rathore, Inspector & R.N. Braru, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th March 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 61–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Dharmendra Choudhary,
Addl. S.P.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 5th December 2002 Mr. Chaudhary got the information from an informer that an Inter-state notorious dacoit Lobhan was likely to come in Phollmal Chauki area. So he instructed team members to keep an eye and also keep briefing him about Lobhan's arrival. As soon as Mr. Chaudhary got the message, he immediately rushed to the spot fully determined to catch the culprit. He challenged Lobhan to surrender. Instead of surrendering Lobhan started firing on Mr. Chaudhary and he escaped narrowly from this fierce attack as one of the bullet went passed nearly touching his head and in doing so Mr. Chaudhary did not fear for his life even when continuous firing was coming from the side of the dacoit. Mr. Dharmendra Chaudhary had shown extraordinary courage during the operation, fearlessly commanded the operation without caring for his life. In the right of private defence of their own body, Mr. Chaudhary ordered firing at the gangster Lobhan, killing him. It was a hard decision to make because it involved danger to the lives of Mr. Chaudhary himself and his teammates. But the determination he had, resulted in the killing of that notorious dacoit Lobhan in this chance encounter. There was sigh of relief as soon as the news of encounter spread over Gujrat, Rajasthan and Madhya Pradesh. Lobhan was a cruel, notorious and hard core dacoit who was killed by Additional S.P Shri Dharmendra Chaudhary and his team. One motor cycle, One 12 Bore Katta, Jiletin Khoka, 4 Cartage 12 Bore Blank, One Gophan, One Chain and One Knife were recovered after encounter.

In this encounter, Shri Dharmendra Choudhary, Addl.S.P. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th December 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 62-Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Dinesh Kumar Kaushal,
SDOP, Datia.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

For centuries the Chambal valley had been a hotbed of criminal exploitations and depredations by various gangs of dacoits. Keeping in tune with this trend Lal Bahadur had created terror and panic in Datia and Shivpuri areas by committing series of murders, dacoities and abductions. Dacoit Lal Bahadur Yadav carried a reward of Rs.5000/- which was declared by S.P Datia and also a reward of Rs.5000/- by S.P Shivpuri. On 13.6.02 reliable information was received by Shri Dinesh Kumar Kaushal, Sub-Divisional officer (Police) Datia that the gang of dacoit Lal Bahadur, along with his associates would be coming to village Sijora for committing some sensational crime and kidnapping. Shri Dinesh Kumar Kaushal, SDOP, Datia, plunged himself into action without loss of time. He collected Police Force from District H.Q. and left for P.S Baroni from where he also took the available force, transported into village Sijora by Govt. vehicles. At village Sijora the entire force was divided into 3 parties and deployed them at strategic points. Shri Kaushal himself led party No.1. At about 5-00 A.M two armed badmashan were spotted coming from jungle side and when they came within the range of party No.1 led by Shri Kaushal, they were challenged to surrender. The dacoits did not pay any heed to the Police warning and started deadly fire on Shri Kaushal who had a providential escape. Bullets hits Const. Brijpal on his right shouider. Shri Kauhsal showing great concern for his fellow men took effective measures to provide medical relief to Constable. These dacoits later entered into the house of Hukam Prajapati where good cover was available for them and from there they kept on firing. Shri Kaushal did not lose his heart and being undeterred and determined, maintained effective co-ordination and collaboration with police party No.2 and 3. Shri Kaushal, at this critical juncture, did not even care for his precious life, put sufficient pressure on the dacoits, beyond the call of duty and hit them in self-defence. On seeing the bold action on the part of Shri Kaushal, the police personnel of party No.2 and 3, having been encouraged, offered tough resistance to the dacoits. Shri Kaushal thereafter lobbed a hand grenade on the roof of the house of Hukum Prajapati. This made the dacoits to be on the run towards Jagamma-ki-Gari but they were hit by party No.1 and were shot dead. Two double barrel 12 bore English guns were recovered after the action.

In this encounter, Shri Dinesh Kumar Kaushal, SDOP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th June, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 63–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Awadh Kishore Pandey , City S.P.
2. Sukh Lal Singh Senger, Inspector
3. Murari Lal Sharma, Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 25.01.2002 Shri Awadh Kishore Pandey, City S.P. Gwalior received an information regarding presence of absconding criminals Veeru and Sonu Namdev in the old house of ex-dacoit Ravi Pandey in Golandaj Mohalla, Gwalior. Shri A K Pandey, collected the available force of police station Padav and Gwalior Kotwali for quick action. Shri Pandey divided the force into four parties and briefed the parties very specifically about the role of the each party. Party No.1 was led by CSP Pandey and Shri M L Sharma to lay ambush near temple. Party No.2 was led by S.I Miss Archana Jat to lay ambush in Golandaj Mohalla from Ghasmandi side. Party No. 3 was led by ASI Devesh Singh Bhadouria to lay ambush from upper side of the fort in Golandaj Mohalla. Party No.4 led by City S.P. Shri Pandey himself with T.I Senger, HC.1294 Mahesh Jadon and two other constables to search the hiding criminals in patore (house) of Ravi Pandey in Golendaj Mohalla. The Police party gheraoed the hideout and shouted at the dacoits to surrender. The dacoits stayed safe and quiet in the PATORE of ex-criminal and did not respond. TI Senger and TI M.L Sharma took strategic position and C.S.P. Shri Pandey continued the seize of the house. Dacoits fired at T.I. Shri Sengar from the hole of the door twice and he was hit by the bullet on his right hand. C.S.P. Shri Pandey climbed the top of the house and made a hole through the roof of the house. The dacoits fired at C.S.P. Shri Pandey. At this point of time the local people had also gathered around. The safety of the people around, added one more task for the Police. Therefore, T.I. Sengar moved near the hole on the roof quickly and fired at the criminal, killing him on the spot. The other criminal was trying to escape through the door, who was fired upon by the CSP Shri A K Pandey and his party and the criminal was killed on the spot. T.I Shri M L Sharma kept on providing cover fire to CSP Shri A K Pandey and T.I. Shri Sengar, without caring for his life and safety. He had also sustained bullet injuries during the cross fire. The above said three extra ordinarily brave officers of M.P. Police undaunted by the cross firing, without caring for their life, inspite of two of them being injured remained glued to the scene of action and killed the two dreaded criminals Veeru Namdeo and Sonu Namdeo whose names sent ripples of fear and terror in the hearts of the people of Gwalior. One country made Adhiya of 315 bore, One Katta of 315 bore, One country made Revolver .32 Bore along with live & empty cartridges were recovered after the action.

In this encounter, S/Shri Awadh Kishore Pandey, City S.P., Sukh Lal Singh Senger, Inspector & Murari Lal Sharma, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th January 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 64-Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kshitindra Prakash Khare, IPS
Supdt. of Police.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In the night intervening 30-11-02/1-12-02 Shri K P Khare, S.P. (Datia) got a reliable tip through a dependable informer that T-5 gang of Hanni Musalman consisting of 5/6 strong armed accomplices will pass on from Bhankhre to Nichroli forest in the area of P.S Jigna in the very night. Shri Khare promptly reacted and collected available force, consisting of Shri Parag Khare Subedar DRP lines and a team of SAF personals and reached P.S. Jigna without wasting a single movement. At police station Jigna, Shri Khare collected available force of Police station and SAF and divided into two parties. Party no.1 consisting of S.P. Shri K.P. Khare, SI Mahendra Sharma, SHO, Jigna, Subedar Parag Khare of DEF Datia and two armed constables. Party No.2 led by ASI Yogendra Singh Dhakre, consisted of H.C 396 Sunkesh Tripathi, H.C. 264 Awnish Singh and four armed constables of DEF along with SAF personnel. In the same night entire force in two parties reached the spot pointed out by the informer near Dhobi ki Pukhariya. Party No.1 led by Shri Khare took position at Dhobi ki Pukhariya for ambushing the route and party No.2 was deployed to lay ambush on route in forest track to Nichrolik from Jigna about ½ KM away from party No.1. On the early morning of Ist Dec 2002 at about 0400 hrs party No.1 noticed the movement of gang passing nearby. Shri K.P Khare S.P. challenged the dacoits to surrender with a warning that they have been encircled by police in ambush from all sides. But dacoits opened volley of heavy fire with filthy abuses on the party of Shri K.P. Khare. One bullet passed just through the side of right ear of Shri Khare, in which he narrowly escaped. The Police party also opened fire in self defence, Shri K P Khare, S.P. Daita, however faced the adverse situation with courage and fortitude and without caring for his life, took the risks beyond the call of his duty. He dashed ahead crawling and kept on firing in a controlled manner. Shri Parag Khare and SI Shri Mahendra Sharma along with other team mates of Party No.1 also exchanged fire with the dacoits who were continuously firing on police party from different positions under the cover of the forest and stone boulders lying nearby. In this exchange of fire the miscreants continuously fired pointedly on Shri K.P Khare, who was crawling ahead of his team mates. One bullet would have hit the head of S.P. Khare, if he had not bent down on the ground. But undeterred by the barrage of gun fire, he kept on advancing toward the dacoits who were trying to escape under the cover of their heavy fire and thick forest. During the exchange of fire, Shri Khare shouted and directed party No.2 to encircle the fleeing dacoits from their directions. Shri Khare who was in open ground

continued to fire in self defence in a most controlled manner and without wasting a single moment dashed ahead resulting in shooting down the most notorious outfit of Chambal valley gang leader T-5 Hanni alias Hanif S/O Abdul Rehman Muselman resident of Khirkha P.S Goraghat Distt. Datia. One 315 bore mouser Rifle (Ordinance Factory Made) and one 315 bore loaded country made gun was recovered with 16 live rounds and 17 empties of 315 bore and 7 empties of 12 bore gun along with articles of daily use from the spot of encounter.

In this encounter, Shri Kshitindra Prakash Khare, IPS, Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st December, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 65–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Maharashtra Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rajesh Duddalwar,
Sub-Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On January 18, 2000, at 22.00 p.m. PSI Rajesh Duddalwar, who was on duty at Kanhan Police Station, received information that Suresh Mudaliyar @ Swamy, R/O Gondegaon, a hardcore criminal was camping near a coal rope way watchman's cabin, built near Kanhan river. Taking quick action to arrest Suresh, the PSI alongwith his staff approached the cabin at around 22.15 p.m. On reaching the cabin, PSI Rajesh and PC Hemant entered the cabin through a window and saw Suresh sleeping on the floor. PC Hemant flashed the torch light on Suresh's face as he lifted the blanket. In a flash of a second, Suresh attacked him with a sword. PC Hemant, however, swiftly avoided the attack with his lathi but in the process he suffered a wound on his thigh and fell on the floor. PSI Rajesh who was standing beside Hemant immediately stepped in to rescue Hemant. Suresh then attacked PSI Rajesh upon which the PSI, to save PC Hemant, caught hold of the sword with his left hand. Even then, Suresh vehemently attacked PSI Rajesh with his sword aiming at his neck and PSI Rajesh in trying to save himself received a grievous injury below his left shoulder. With blood oozing PSI Rajesh fell on the floor. After injuring PSI Rajesh, Suresh again focussed his attack on Hemant, but on sensing that Hemant's life was in danger, PSI Rajesh pulled out his pistol and fired one round which hit the accused and he instantly fell to the ground. Suresh was moved to the Kamptee hospital where he was given treatment . He, however, succumbed to the injuries..

In this encounter, Shri Rajesh Duddalwar, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th January 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 66–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Rajasthan Police :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ajit Singh,
DIGP, Jaipur

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A two day 'Sadbhawana Padyatra', duly permitted by the administration from 20.9.2002 to 21.9.2002, to raise issues of bathing at Village Ghat, temple entry and other forms of social discrimination against the dalits was to take place from Chaksu to Village Chakwara, which earlier had been a focus of caste tension. Opposing this 'Yatra' and armed upper caste mob of about 10,000 collected on the route of the 'Yatra' at Phagi with the intention of forcibly stopping the 'Yatra'. To prevent a clash between the mob and the dalit 'Yatra', Ajit Singh, DIGP tried to cordon off the mob in Phagi by deploying the available force. On being prevented to move towards the rally, the mob attacked the police force which retreated because of the extremely violent onslaught on them. However, Ajit Singh stood his ground for about four hours despite the heavy violence directed at him, and prevented the mob from moving towards the rally & the dalit properties in Phagi. Finally, he regrouped the policemen, dispersed the crowd with a very controlled use force. Ajit Singh despite being injured risked his personal safety for the call of duty, had he not done so, there would have been a carnage on the dalits, unprecedented in the history of Rajasthan, disturbing the social fabric of the state.

In this encounter Shri Ajit Singh, DIGP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st September 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 67–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ramakant Singh, (Posthumous)
Havildar/GD

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In operation RHINO on 13 Oct 2003 at around 1000 hours a column of 'F' Company 5 Assam Rifles from Anjami Centre post consisting of one officer, one Junior Commissioned Officer and 18 other ranks was on area domination patrol in general area Torabari (MV 1519) to meet Mr Prabhat Marak, Gaon Bura of Village Uttar Rangaparh near village Torabari No.1 Own party during the meeting with Gaon Bura near his house spotted two persons running away across paddy fields about 100 yards away. Scout party led by Havildar Ramakant Singh immediately started chasing them Militants seeing being chased started firing indiscriminately at own party. Havildar Ramakant Singh chasing through paddy fields fired at fleeing militants and injured one of them. The militants managed to approach foothills (MV 1619) and started climbing up. Havildar Ramakant Singh and his party pursued the militants relentlessly and while closing in during the search was fired at by a burst of bullets from the injured militant who was hiding in the bushes. Inspite of receiving gun shot wound Havildar Ramakant Singh kept on firing with his weapon and charged at the militant killing him instantly. Havildar Ramakant Singh displayed raw courage, grit, determination, extreme resolve, loyalty and comradeship. With utter disregard to his personal safety and despite of being wounded he charged and killed Biden Basumatary a NDFB militant. He succumbed to bullet injuries at the site of the incident after killing the militant. In this act, Havildar Ramakant Singh not only showed the qualities of an excellent soldier, but also gave the supreme sacrifice of his life to the nation in performing his duties. One AK-56 Rifle, 2 AK 56 magazine, one 9 mm CM magazine, 124 live rounds of AK 56, 32 live rounds of 9 mm CM, cash Rs.2600/-, 1 Pouch Army colour etc. were recovered from the site of operation.

In this encounter Late Shri Ramakant Singh, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th October 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 68–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Mohan Ram, Hav/GD
2. Ponphyamo Lotha, Hav/GD
3. Suraj Pal Singh, Rfn/GD

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Havildar Mohan Ram & Havildar Ponphyamo Lotha were deployed with their three sections on surveillance cum ambush in area point 1350 RM 5992. Approximately at 1400 hours Sh. Lotha while scanning through the binocular observed movement of six to eight heavily armed militants in combat dress approaching the Ghatak ambush site from maphao Dam RM 6189 side, on the road. He immediately informed Col. Dhar on radio, about their movement. After confirming through the binoculars that combat dress personnel were indeed militants, Col Dhar ordered all sections to be ready to spring the ambush once all militants enter the killing area. Rifleman/GD Suraj Pal Singh formed part of number two section of battalion Ghatak team. The Ghatak team waited in stealth & sprang the ambush when all militants came into killing area. The militants, taken by surprise tried to flee in small groups, taking advantage of dense jungle, meandering road & thick foliage in different directions. On observing the militants trying to break the contract & escape, Col Dhar directed Hav/GD Mohan Ram & Hav/GD Ponphuamo Lotha to cut off their escape route to the South. Both of them making use of hullah & undulating ground, ran for approximately 700 meters & reached Area Hillock undetected & waited for the militants, who were running towards them. Hav/GD Lotha killed one militants from a close quarter, later on identified as self styled Private Amakcham Ahongiao of Nambol Konghkhan Mayai Leikai of Bishanpur Distt. of Manipur. Hav Mohan Ram killed the second militant from approximately ten yards, later on identified as self styled Lance Corporal Laisram Loyangamba of Salam Mamang Leikai of Imphal (West). Rifleman/GD Suraj Pal Singh & his buddy Rifleman/GD Dilip Thapa displaying initiative & tremendous presence of mind gave a hot chase & killed one militant with an aimed fire in the paddy field later identified as self styled Private Moirangthem Aehou @ Lhinguremba 22 yrs of Waikhong Uyung belonging to bannel militant group Kanglei Yaol Kanna Lup (KYKL) of Manipur. The following arms/ammunition were recovery :-

(i) Rifle 7.62 mm M-21 (Chinese) - 2 Nos
(ii) Magazin 7.62 mm M-21(Chinese) - 2 Nos
(iii) Bayonet M-21 Rifles - 2 Nos
(iv) Live Amn 7.62 mm SLR - 34 Rounds
(v) Rifle 7.62 mm SLR - 1 No

Incriminating document & Propaganda material

In this encounter S/Shri Mohan Ram, Hav/GD, Ponphyamo Lotha, Hav/GD & Suraj Pal Singh, Rfn/GD displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These award are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th March 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 69–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer Assam Rifles :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Suku Ray Dev Barman,
Rifleman/GD

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information about the presence of ATTF militants in Duski, Malakutui received on 22 Sep 2003, Company Commander meticulously planned operation with party of one officer, one JCO and twenty OR ex Ganki. The operation was launched at 1925 hours on 22 Sep 2003. On reaching Malakutui village, party was split into two columns. Village Malakutui was cordoned from different directions by 2350 hours and search commenced in darkness. Around 0115 hours on 23 Sep 2003 the party knocked the door of the suspected house. As soon as the first entry man entered the house, one person immediately ran out towards the jungle. While running the militant opened fire and lobbed a Grenade. Undeterred by the grenade explosion and the gunfire and with utter disregard to personal safety Rifleman Suku Ray Dev Barman continued chasing the fleeing militant. Before the militant could arm second grenade to throw on search party, he fired on him and shot him dead. The militant was identified as Swapan Deb Barma a hardcore ATTF militant, area commander of Duski, Kalayanpur area, carrying one lakh reward for several killings on 08 May 2003. One pistol 9 mm with four live round, 3 Kg IED, one Chinese grenade, Cordtex-2 feet, Rs.500/- in cash with incriminating documents were recovered from the site of operation.

In this encounter Shri Suku Ray Dev Barman, Rifleman/GD displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd September 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 70–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifle: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Digambar Dutt, (Posthumous)
Rifleman/GD.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A patrol of 6 Assam Rifles was operating in the highly disturbed and insurgency affected Takerjala Area of Tripura on 11/12 Aug 2003, to ensure peace and tranquillity there during Independence Day week. The patrol in which Rifleman Digambar Dutt was a member had been tasked to lay an ambush against the militant. By 2200 hrs on 11 Aug 2003, the ambush was in position around a primary school building/ground at an isolated place, on the track connecting villages Gobindabari QR 8965 – Gangaharibari QT 8963 – Radhakantabari QT 9063. The ambush party under Capt Sonal Jain consisted of 30 men. One group of 10 men under Hav. Indrajit Passi were placed on the North of the school and another group of 10 men were placed under Capt Sonal Jain on the South side of the school. Rest were placed as reserve to the West of the School. No happenings took place during the night. Hav. Indrajit Passi's group was deployed very close to the track. At 120400 hrs, Hav Indrajit Passi after taking permission took his party deeper into the nearby jungle. Then, suddenly there was heavy volume of automatic fire from the jungle side from the militants. Rifleman/GD Mohammed Nasser the No.2 of LMG and Rifleman/GD Ram Singh were the nearest to the firing side and were hit by the militants bullets. The troops of Hav Passi's group retaliated the fire. Rifleman/GD Digambar Dutt, who was the furthest away from the group, immediately sensed the danger, and using his presence of mind, took cover, ran and crawled, while firing simultaneously at the militants and approached the spot where the injured Jawans were lying. He fired at the militants and injured two of them. Unmindful of his personal safety he charged and kept firing at them till he was hit by a burst from a militant's automatic fire as they were forced to retreat and run away. He unfortunately succumbed to the bullet injuries on the spot. Late Rifleman/GD Digambar Dutt's display of presence of mind, courage, bravery, field craft and effective firing at the militants prevented inflicting of more casualties to other Jawans of the patrol party and unnerved the militants from succeeding in making away with the fallen Jawans weapons.

In this encounter, Late Shri Digambar Dutt, Rifleman/GD displayed conspicuous gallantry, courage & devotion to duty of High Order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th August 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 71–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pradeep Kumar Malik
Rifleman/GD.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A specific information was received on 7/9/03 from own source that some ATTF militants were planning to plant IED on Khowai – Ashrambari border road in general area Gumsumbari under Champahour Police Station. An operation was launched by Major Puni Chand Kaushal with a column of 20 OR from Ganki at 2100 hours on that day. As the column was reaching Gumsumbari some suspicious movement was observed in jungle close to road. Rifleman Pradeep Kumar Malik and his buddy Major Puni Chand Kaushal unmindful of his own safety moved towards the spot. They found an IED placed on the road connected with an electric cable. The column commander and Rifleman Pradeep Kumar Malik followed the cable, which led them towards the thick undergrowth. Suddenly the party came under very heavy volume of fire from a nearby mound. Rifleman Pradeep Kumar Malik immediately took cover and retaliated the fire without any concern about his own safety. He along with his buddy swiftly moved ahead and assaulted towards the firing militant. They killed one militant on the spot. Rifleman Pradeep Kumar Malik, though himself was under heavy volume of fire, yet with utter disregard to his own safety continued the assault towards the militants. Thus he showed exemplary courage and bravery, which led to killing of one hard-core ATTF militant who was recognized as Shyamal Tanti and recovered weapon and IED..

In this encounter, Shri Pradeep Kumar Malik, Rifleman/GD displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th September, 2003

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 72–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Birendra Singh Chauhan,
Naib Subedar.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information about presence of NLFT (BM) militants collecting tax in general area Village Lathabari under Chambpahoar PS on 11 Sep 2003, a meticulously planned operation with a party of one Officer, two Junior Commissioned Officers and thirty other ranks ex Company Operating Base Champahoar was launched to kill the militants. During the search of Village Lathabari, information of movement of four NLFT (BM) cadres, forty five minutes ago, from Village Lathabari towards north on track leading to Village Madhuram, was elicited from locals. After quick appreciation of situation by Capt M M Singh, Column was split into three parties to track and kill the insurgents from three directions. Column led by Naib Subedar Birendra Singh Chauhan moved stealthily northward on track Lathabari to Madhuram. Around 1600 hours, while approaching Village Jhaglumbari, column under Naib Subedar Birendra Singh Chauhan came under heavy volley of effective fire of automatic weapons from a nearby thickly wooded hillock approximately 200 meters east of the track almost pinning down the Column. However, without caring for personal safety, showing presence of mind and instantaneous reflexes, Naib Subedar Birender Singh Chauhan and his leading scouts immediately jumped, crawled, took position and simultaneously retaliated. Naib Subedar Birender Singh Chauhan quickly deployed his column and with resolute determination and exemplary courage, he gallantly led the assault towards the direction of the fire. Militants fire narrowly missed Naib Subedar Birendra Singh Chauhan during the assault. Showing dauntless bravery and total unconcern for personal safety from flying splinters, both Naib Subedar Birendra Singh Chauhan, Scout Number one and LMG Number one continued uphill ascent using fire and move tactics with whole volley of militants fire directly shifting on to them. Undeterred of militants fire, with utter disregard to personal safety, Nalb Subedar Birendra Singh Chauhan alongwith Scout Number one and LMG Number one brought accurate fire on the militants, killing two militants on the spot and injuring two to three other militants. In this operation Naib Subedar Birendra Singh Chauhan displayed an exceptionally high degree of junior leader ship, professional acumen, initiative, indomitable courage and selfless devotion beyond the call of duty in the face of grave danger to his life. IED 01 Kg, 2 Chinese grenades, 30 rounds of ammn. & incriminating documents were recovered from the site of action.

In this encounter, Shri Birendra Singh Chauhan, Naib Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th September 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 73–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer Border Security Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri K.K. Waman Rao, (Posthumous)
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 17.12.2002, based on a specific information regarding presence of Pakistani militants in general area Jabarian, Tehsil Mohar, Distt Udhampur (J&K), an operation was planned and launched by troops of 12 Bn BSF. The operational party was divided into three columns. Two columns one each led by Subedar (G) K.D. Thakur and Sub Inspector Atul Singhade covered all possible escape routes of the militants. The third column was to strike the militants. At about 1315 hours, contact with militants was established. On seeing the troops, militants took advantage of the rocky terrain and taking shelter behind the boulders, opened heavy volume of fire at BSF party. Meanwhile, Constable Kungar Kishor Waman Rao, without caring for his life, moved closer to one such rock from where militants were firing. Showing undaunting courage and with utter disregard to his own personal safety, Constable Waman Rao crawled close to the militant's position. When the militants saw this Constable approaching them, they fired a volley of rounds from their automatic weapons, which hit Constable Waman Rao on his neck and shoulder. Inspite of severe injuries, Constable Waman Rao immediately retaliated with his LMG and injured one of the militants before succumbing to his injuries. In the follow up operation, one of the militants was shot dead by MMG Det. Another surviving militant, in a bid to escape, was hit by a Rocket Launcher fired by Commando party of 03 Grenadier (Army). Large quantity of ammunition, IED accessories, Grenades and other Misc items were recovered from the killed militants.

In this encounter, Late Shri K.K. Waman Rao, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th December 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 74–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. P.B. Bhakar, Inspector
2. Ravinder Kumar Singh, Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of militants in general area Dachan, District Udhampur (J&K), a joint operation code name 'SUMMER STORM' was planned and launched by troops of 102 Bn BSF and Police on 26th May 2002. On reaching the site as planned, two stops were placed to plug the likely escape routes of the militants. Remaining group was divided into two parties. One party led by Shri. C L Rana, Commandant, and another led by Inspector (G) P B Bhakar, along with Police, started searching suspected houses/Dhoks from different directions. When the troops under command of Inspector (G) P B Bhakar were advancing tactically towards the targeted house, militants, who were hiding inside saw the approaching troops and opened heavy voume of fire with automatic weapons. Troops took position immediately and retaliated the fire effectively. However, the militants, who were in an advantageous built up position, continued to fire heavily on the troops. Realizing the dangerous situation, Inspector Bhakar and HC Ravinder Singh, with utter disregard to their own personal safety and exhibiting rare bravery and courage, started crawling towards the house amidst heavy firing in order to flush out the militants. When they were very close to the targeted house, militants intercepted their move by coming out of the house under cover of heavy fire and tried to escape. Seeing the fleeing militants, Inspector Bhakar and HC Ravinder Singh, in a lightening move, changed their position and fired at the fleeing militants killing one of them on the spot and inflicting injury to the other. The injured militant, however, managed to escape taking advantage of the terrain and thick undergrowth. On search of the area, dead body of the slain militant was recovered along with one AK series rifle, one hand grenade and ammunition. The killed militant was identified as Asar Shahbaz @ Asar Bagdadi R/O Arifwala Province, Distt Suba Punjab, Pakistan.

In this encounter, S/Shri P.B. Bhakar, Inspector & Ravinder Kumar Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance under Rule 5 with effect from 26th May, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 75–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. V.P Shukla, Assistant Commandant.
2. Shankar Lal, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of militants in general area Khalifnar, Distt Udhampur (J&K) an operation was planned and launched by troops of 102 Bn BSF on 19 Aug 2001. A party led by Shri. V P Shukla, Assistant Commandant left for the operation at 0530 hrs and occupied position at Khalifnar at an height of 3176 meters. On observing movement of militants down in Khalifnar Nullah, Shri Shukla, Assistant Commandant divided the party into two groups and chased the militants tactically. However, militants noticed the movement and opened heavy volume of fire on the troops, which was retaliated but was not effective. The area was then cordoned off and all escape routes plugged to prevent the militants from escaping. Thereafter, Shri Shukla along with six other ranks, advanced towards the militants. Shri Shukla located a militant taking position behind a boulder. The militant on seeing the advancing troops, opened fire and Shri Shukla had a narrow escape. Un-deterred and with utter disregard to his personal safety, Shri Shukla crawled close to the militant's position tactically, amid heavy firing. Having reached near the position of the militant, he fired accurately and killed him on the spot. The other militant, in the mean time, took another well entrenched position and continued firing on Shri Shukla and his party. The retaliatory fire was not effective as the militants were well entrenched. At this juncture, No.94106361 Constable Shanker Lal took the initiative. He with utter disregard to his own personal safety and exhibiting raw courage started crawling towards the position of the militants. On seeing his movement, the militant threw a hand grenade on Constable Shankar Lal but it did not explode. Un-deterred, Constable Shanker Lal closed on to the militants' position, jumped in their midst and shot one of the militants dead on the spot. The third militant, who tried to flee was also killed by the troops. On search of the area, dead bodies of all the three militants were recovered along with two AK series rifles, seven hand grenades and ammunition. The killed militants were identified as :-

(a) Mumtaz Ahmed @ Liyaqat R/O Sumbar, Tehsil. Ramban, Distt Doda, (J&K).

(b) Gulzar Ahmed @ Shahbaz, S/O Gateh Mohd Choudhar, R/O Mala Jamlan, Tehsil Mahore, Distt Udhampur, (J&K).

(c) Hanif Mohd @ Abdul Mazid S/O Mohd Hussain, R/O Budhan, Gool, District Udhampur, (J&K).

In this encounter, S/Shri V.P. Shukla, Assistant Commandant & Shankar Lal Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th August 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 76–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Border Security Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sanjay Patil
Constable, 102 Bn.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of militants in general area Lancha Nullah, Gool, Distt Udhampur (J&K), an operation was planned and conducted by troops of 102 Bn BSF on 4 Jul'02. Operation party led by Shri. Arun Kumar Verma, Assistant Commandant reached the targeted area and placed stop parties to cover all escape routes of the militants. This party then started crawling towards the targeted house from different directions. On seeing the movement of troops, two militants came out of the house and opened indiscriminate fire on the troops while moving to the adjoining maize field with the intention to escape. Sensing that the militants were trying to escape, Constable Sanjay Patil inched close to the moving militants and lobbed two hand grenades on the militant. As a result, one of the militant sustained serious injuries and fell down on the ground. The other militant ran for his life through a nullah leaving behind his injured companion. Observing the fleeing militant, Constable Sanjay Patil with utter disregard to his own safety, in an act of exceptional courage, started chasing the fleeing militant. The militant, while running, kept on firing at Constable Sanjay Patil, who narrowly escaped bullet injuries. He continued chasing and eventually succeeded in killing the militant. The militant injured earlier also succumbed to injuries on the spot. Dead bodies of the two killed militants were recovered along with two AK series rifles and ammunition. The slain militants were identified as Hassan Janjavi and Abu Zabram, both Pakistani nationals.

In this encounter, Shri Sanjay Patil, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th July 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 77–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Suresh Chand, Constable (Posthumous)
2. Koushik Chandra Routh, Constable (Posthumous)
3. Sunil Kumar Shaw, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of militants, a special operation code named "BINDI" was planned and launched on 21 March, 2003 in general area Bindi, Distt Rajouri (J&K) by troops of 200 Bn BSF. The operation party was divided into two columns as per plan. One column approached the target area from the top of Bindi forest hills while the other column approached through the foothills. After laying the cordon, a search party led by Sub Inspector R N Bodra started combing the suspected hiding area in the thick forest. This party spotted the suspicious movement of two militants and tried to encircle them, but the militants opened indiscriminate firing, which was immediately retaliated by the party. In the mean time, Constable Koushik Chandra Routh and Constable Suresh Chand spotted the militants hiding behind a big rock. Displaying excellent field craft, they moved stealthily towards the spot and brought heavy volume of fire on the militants. In the exchange of fire Constable Koushik Chandra Routh and Constable Suresh Chand sustained bullet injuries. In spite of sustaining fatal bullet injuries, both Constable engaged and seriously injured the militants. At this juncture, Constable Sunil Kumar Shaw and three other Constable of the second column also reached the encounter site and engaged the injured militants with firing. Constable Sunil Kumar Shaw also sustained bullet injuries during the exchange of firing. In spite of sustaining the injury, Constable Sunil Kumar Shaw and party retaliated the fire and continued to fire at the militants for about half an hour. Mean while Constable Sunil Kumar Shaw noticed the condition of Constable Suresh Chand deteriorating due to excessive bleeding. Without caring for his personal safety, Constable Sunil Kumar Shaw crawled near to the injured Constable Suresh Chand so as to evacuate him. Observing the move, the militants hurled hand grenades on him. Constable Sunil Kumar Shaw, despite bullet injuries, closed in on the militants and killed one of them on the spot. The second militant was also shot dead by the party during the exchange of fire. Constable Suresh Chand and Constable Koushik Chandra Routh however succumbed to their injuries before they could be evacuated. On search of the are, dead bodies of two militants were recovered along with two AK series Rifle, three hand grenades and large quantity of ammunition. The killed militants were later identified to be Pakistan trained militants belonging to the banned militant outfit of L-e-T.

In this encounter, S/Shri Late Suresh Chand, Constable, Late Koushik Chandra Routh, Constable & Sunil Kumar Shaw, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st March 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 78-Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Keshav Deo, Constable (PPMG)
2. Ram Bakeel, Constable (PMG)
3. Debendra Prasad, Constable (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 25.09.2002, a party comprising of one Head Constable and seven Constables of 163 Bn BSF laid a special ambush in area between Keshargala and Doongi, Distt Rajouri (J&K). Around midnight, Constable Debendra Prasad and Constable Ram Bakeel who were part of the ambush party observed a group of three militants moving towards Line of Control from the Indian side. They immediately alerted the ambush party and displaying remarkable restraint stood in their position silently allowing the approaching militants to come close. When both these constables felt that now the militants were within their range, they challenged them to surrender. However, the militants immediately took position and opened fire on these Constables. The fire was retaliated by the ambush party, which engaged the militants. In the exchange of fire, Constable Keshav Deo sustained bullet injuries on his arm. Mean while Constable Ram Bakeel saw one militant preparing to lob a grenade on the ambush party, he sensed danger to the party. Constable Ram Bakeel, with utter disregard to his own personal safety, jumped out from his position and fired accurately killing the militant on the spot. Concurrently, a fierce gun battle was going on between Constable Debendra Prasad and another militant who had positioned himself advantageously. Seeing that his fire was not effective, Constable Debendra Prasad, with utter disregard to his own personal safety, in a swift action changed his position and fired injuring the militant. The injured militant however, took position on a Ridge and again opened fire on the ambush party. At this juncture, already injured Constable Keshav Deo, with out caring for his injury and bleeding from his wounds crawled close to this militant amidst heavy fire and shot the militant dead. On search of the area, dead bodies of the killed militants were recovered along with two A.K series rifles, ammunition and other articles. The slain militants were later on identified as Shanaula and Abu Sad both residents of Pakistan.

In this encounter, S/Shri Keshav Deo, Constable, Ram Bakeel, Constable & Debendra Prasad, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(I) of the rule governing the award of President's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th September 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 79–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Border Security Force:

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Rishal Singh, Inspector. (PPMG)
2. Sunil Kumar, Constable (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 19th October, 2002, based on specific information regarding presence of three militants in nullah area near village Dhanwan, Distt Rajouri, J&K, Inspetor Risal Singh of 92 Bn BSF along with four Constables rushed to the area and started search operation. At about 1110 hrs, Constable Sunil Kumar, who was leading the search party, observed some suspicious movement in the nullah covered with thick vegetation. On being challenged, the militants opened heavy volume of fire and lobbed grenades on the party. The fire was retaliated by Inspector Risal Singh and Constable Sunil Kumar. In order to engage the militants from close range, Inspector Risal Singh and Constable Sunil Kumar, with utter disregard to their own personal safety, advanced towards the militant's position and shot dead one of the militant but in the process, Inspector Risal Singh and Constable Sunil Kumar sustained splinter and bullet injuries respectively. Sensing danger to the life of Constable Sunil Kumar, Inspector Risal Singh despite his splinter injury, physically lifted the Constable and brought him to road head, amidst heavy firing, for further evacuation to hospital. Inspector Risal Singh, without caring for his injuries and personal safety again rushed back to the encounter site and asked his party to cordon off the area. Meanwhile, reinforcement reached and with the help of additional troops, Inspector Risal Singh managed to isolate and pin down the militants in the nullah. Exchange of fire continued in which one more militant was shot dead. Since the militants' fire had abated, the pary started search of the area. During search, one militant hiding in the nullah again opened fire on the party but in a swift action, Inspector Risal Singh, exhibiting courage of the highest order, shot him dead. On further search of the area, dead bodies of three militants were recovered along with three AK series Rifles, one Pistol, one Chinese made grenade, three UBGL grenades, two radio sets and Indian currency amounting to Rs. 35,000/-. While two of the killed militants were identified as Mohd Ashgrim R/O Safe House, Kotli, Pakistan Occupied Kashmir and Osama R/O Safe House, Kotli, Pakistan Occupied Kashimr, the identity of the third militant could not be established.

In this encounter, S/Shri Risal Singh, Inspector & Sunil Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th October 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 80–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Border Security Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Sachindra Nath Das, Head Constable (Posthumous)
2. Md. M. H. Laskar, Head Constable (Posthumous)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27 Oct 2002, a night ambush was laid in the area of responsibility of Forward Defended Locality (FDL) 705 and Ghawra, Distt Jammu (J&K) by HC Md M H Laskar and Constable Devender Singh of 162 Bn BSF. Around mid night, the ambush party observed two militants approaching from Pakistan occupied Kashmir side to our territory. When the ambush party challenged the militants to surrender, they look cover and opened heavy volume of fire and lobbed grenades on the ambush party. The fire was retaliated but was not effective as the militants were under cover. In order to locate the militants, Head Constable Md M H Laskar came out of his position and started crawling towards the position from where militants were firing and succeeded in locating the position of one militant. However, his movement was observed by the militant, who opened fire. At this juncture Head Constable Laskar, with utter disregard to his own personal safety, exposed himself and fired accurately killing the militant on the spot. Meanwhile, Constable Devender Singh also joined HC Laskar. Both of them attempted to get close to the second militant, who was hiding below the ridge line in wild grass and firing on the ambush party. Both of them engaged the militant with fire but in the process, HC Laskar sustained bullet injury on his fore head and gave the supreme sacrifice. Constable Devender Singh, however, kept his cool and continued to engage the militant till re-enforcements reached the site. Head Constable Sachindra Nath, who was a member of the re-enforcement group joined Constable Devender Singh in engaging the second militant. But the firing was not effective as the militant was well entrenched. Since the efforts to eliminate the militant were not yielding results, Head Constable Sachindra Nath, with utter disregard to his personal safety, started crawling towards the militant's position. Meanwhile the militant noticed his movements and diverted his fire on HC Sachindra Nath. Un-deterred by the hail of fire, HC Sachindra Nath kept on advancing and in the exchange of fire killed the second militant. However, in the process he also sustained bullet injuries and succumbed while being evacuated to hospital. On search of the area, dead bodies of the two militants whose identity could not be established were recovered along with following arms and ammunition: -

(a) AK series Rifles - 2 (two) Nos, (b) Hand grenades - 4 (four) Nos, (c)A K series ammunition - 101 Rounds.

Besides above, Indian currency amounting to Rupees one lac were also recovered from the site.

In this encounter, (Late) S/Shri Sachindera Nath Das, HC & Md. M.H. Laskar, HC displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th October 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 81-Pres/2004 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Border Security Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri R.K. Manjhi,
Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the night intervening 20/21 Sept 2002, a special ambush under command of Sub Inspector R K Manjhi was laid in the area Dabbi, Distt Mendhar (J&K). The ambush was organised in three groups and SI Manjhi positioned himself in the middle group along with Const Karnail Singh and Constable Surjit Singh. Around mid night Sub Inspector R K Manjhi spotted some militants trying to exfiltrate towards Pakistan Occupied Kashmir. He alerted the troops and directed them to continue observing the militants till they came close. When the militants reached in close proximity, they were challenged. Immediately, the militants opened heavy volume of fire and lobbed grenades on the ambush party. Fire was returned and during the exchange of fire Sub Inspector R K Manjhi moved stealthily and resited both the Constables behind a stone boulder at a safer place. He then took position behind a rock and lobbed grenades causing injuries to the militants. The injured militants, taking advantage of the poor visibility, took position in a small ditch. On this, Sub Inspector Manjhi exhibiting dauntless courage, crawled close to the militants' position. Observing this movement, one of the militants shifted his position and threw a hand grenade on Sub Inspector Manjhi, who had a narrow escape. Undeterred, Sub Inspector Manjhi with utter disregard to his own life jumped behind a boulder and shot the militant dead. The other militant, who was injured earlier, also succumbed to his injuries. On search of the area, dead bodies of two militants were recovered along with two AK series rifles, four Chinese made hand grenades and ammunition. The killed militants were identified as Md Fazal S/O Mohd Sadik R/O Dabbi, Distt. Mendhar (J&K) and Md Jamil R/O Pakistan of Tehriq-Ul-Mujahiddin outfit.

In this encounter, Shri R.K. Manjhi, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th September, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 82–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. J K S Rawat, Commandant (PPMG)
2. Davinder Singh Arneja, Subedar (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of specific information regarding camping of some militants in one of the Dhoks at Village Hajan, Distt Budgam, J&K, Shri J K S Rawat, Commandant 171 Bn BSF planned and launched an operation on intervening night of 01/02 Dec 2002. On reaching the suspected area, an inner cordon was laid and all escape routes of the militants were plugged. The party then started a search operation of the Dhoks from three different directions. When the party led by Shri J K S Rawat, Comdt was about to enter one of the Dhoks, the militants hiding in the Dhoks opened heavy volume of fire by automatic weapons and lobbed grenades on the party. As a result, Shri J K S Rawat Commandant sustained splinter injury on his right leg. The militants after lobbing more grenades sneaked towards the nallah/thick trees in a bid to escape. Shri Rawat, Commandant, with utter disregard to his injury and personal safety, took Inspector Devinder Singh and chased the fleeing militants. On observing the outer cordon, the militants took position in between boulders and drift wood and started firing on Shri Rawat and Inspector Devinder Singh. Undeterred, Shri Rawat crawled close to the militants' position under covering fire and lobbed hand grenades on the position of militants. After assessing the effect of blast, Shri Rawat exhibiting rare courage, charged on the militants and killed two of them on the spot. The third militant, who was hiding behind the thick drift wood jumped up to fire upon Shri J K S Rawat but he was observed by Inspector Devinder Singh. Sensing danger to his Commandant, Inspector Devinder Singh with utter disregard to his personal safety, shot the militant dead though he had to expose himself to danger in the process. On search of the area, dead bodies of three militants were recovered along with three AK series Rifles, two hand grenades, one Under Barrel Grenade Launcher, two shells, and two wireless sets. The slain militants were later on identified as :-

a) Bashir Ahmed Ahangar @ Gajli Alias Iphan S/O Gulam Mohd Ahangar R/O Ahamadapore, Magam, J&K.
b) Mohd Akbar Bhat @ Green-Zero Alias Farhad, R/O Hanjimera, Patta, Baramulla, J&K.
c) Sheraj Khan @ Sajjad Alias Saram S/O Maj Ali Asgar R/O Gujaranwall, Pakistan.

In this encounter, S/Shri J K S Rawat, Comdt & Davinder Singh Arneja, Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd December 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 83-Pres/2004.—The President is pleased to award the President's Police Medal / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Mukesh Bisht, Assistant Commandant, (Posthumous) (PPMG)
2. P.M. Nath, Head Constable (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information about movement of militants, troops of 193 Bn BSF under command of Shri. Mukesh Bisht, Assistant Commandant, laid an ambush near Anjuman Masjid Bemina, Srinagar (J&K) on 01st Feb 2003. Ambush party observed a cyclist approaching. Shri Mukesh Bisht challenged the cyclist to stop, but he did not stop and tried to escape by speeding away into a by-lane. Shri Bisht without caring for his personal safety and displaying unflinching courage and dogged determination pounced on the cyclist, who fell down. The two grappled with each other to gain control. In this melee, the cyclist managed to pull out his pistol and fired one round, critically injuring Shri. Bisht. In spite of grievous injuries, Shri. Mukesh Bisht continued to grapple with the militant and fired from his rifle injuring the militant. The militant managed to break free and tried to escape firing indiscriminately. Shri. Mukesh Bisht, in spite of being seriously injured, gave chase but collapsed due to grievous injuries and made the supreme sacrifice. No.87108375 HC P M Nath seeing the predicament of his officer, abandoned his secure firing position and chased the fleeing militant. In a running battle with the militant who was firing heavily and lobbing grenades, HC P M Nath in a stellar display of courage and readiness for self-sacrifice closed on the militant and shot him dead. The killed militant was identified as Mohd Zakaria @ Abu Huzaifa/Waquas Afghani S/O Mohd Najir Khan R/O Rawalkot Pakistan. One German made Pistol, five Hand Grenades and ammunition were recovered from the slain militant.

In this encounter, S/Shri Late Mukesh Bisht, Assistant Commandant & P M Nath, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(l) of the rule governing the award of President's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st February 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 84–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Niranjan Ram, Sub-Inspector (Posthumous)
2. Dilbagh Singh, Constable (Posthumous)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding movement of militants, Sub Inspector Niranjan Ram along with 23 other ranks laid an ambush in general area Hazibart, Village Brijambari, Distt. Udhampur, J&K on 3rd Jan 2003. At about 0700 hrs the ambush party observed some suspicious movement and challenged the suspects. Immediately an IED blast took place and pieces of dead bodies of militants fell in nearby deep Nullah. On search of the area, small pieces of human remains and clothes worn by militants were recovered. There after the operation was called off and the party moved back to their post in three groups. The party led by Sub Inspector Niranjan Ram, while passing through Vill Brijambari observed two militants at a distance of 500-600 yards. Sub Inspector Niranjan Ram immediately gave instructions to his party to surround the militants from left and right flanks. He then, with utter disregard to his own safety, advanced towards militants' position amidst heavy firing. In the mean time, one of the militants started running up hill throwing grenades and firing indiscriminately on Const Dilbagh Singh, who was providing covering fire to SI Niranjan Ram. Undeterred, Constable Dilbagh Singh retaliated the fire and shot dead the militant. Another militant hiding behind boulders threw a hand grenade towards SI Niranjan Ram, who had a narrow escape. Exhibiting rare courage and without caring for his life, he immediately jumped out from his position and shot dead the militant, who was in the process of lobbing another grenade. While the party was in the process of taking possession of the dead bodies, 15 to 20 militants all of a sudden appeared from different directions and opened heavy volume of fire. As a result, SI Niranjan Ram sustained grievous bullet injuries and died. Constable Dilbag Singh who effectively engaged the militant also sustained fatal bullet injuries. Despite injuries, he continued to engage the militants with his LMG till he died. On search of the area, dead bodies of two militants along with one AK series rifle and ammunition were recovered. The killed militants were identified as Julflear Beg S/O Gulam Rasul Beg R/O Gool, J&K, a Divisional commander of HM out fit and Md Sarif S/O Abdulla Gazar R/O Lani, Gool, J&K.

In this encounter, (Late) S/Shri Niranjan Ram,Sub-Inspector & Dilbagh Singh Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd January 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 85–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Border Security Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Roshan Lal, (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of militants in general area lying between Gui and Hamsa, Distt Udhampur, J&K, an operation was planned and launched by troops of 102 Bn BSF and 172 Bn BSF on 29th Nov 2002. According to plan, the party, on reaching the targeted area laid ambush on suspected routes and search of the area commenced. When the search operation was in progress, the ambush party led by Sub Inspector K K Das spotted movement of a militant. Immediately all parties were informed and alerted. Meanwhile, the party led by shri Shankata Prasad, Dy Commandant, was fired upon by a militant from the ridge between Hamsa and Gui Nullah. The party engaged the militant with effective fire and shot him dead. Dead body of the militant was recovered from the site along with arms and ammunition. The party then moved towards general area Gui, where they came in contact with more militants and a fierce gun battle ensued. Since the militants were at an advantageous position, being located on heights, the fire of troops was not effective. Constable Roshan Lal without caring for his personal safety and displaying rare courage, began to crawl towards the militants' position to engage them from close range. This forced the militants to expose themselves. Taking this opportunity and exhibiting professional acumen, Constable Roshan Lal in a swift action fired accurately and killed one of the militants on the spot. The other militants commenced firing heavily on Constable Roshan Lal and the party but Const Roshan Lal was undeterred and inched close to one of the militants, who was firing on him and his party from a covered position and engaged him effectively. Thereafter, the militants lobbed a grenade at Constable Roshan Lal who suffered splinter injuries in his chest and abdomen leading to his death. In the exchange of fire, one more militant was shot dead by the troops. Though exchange of fire continued throughout the night intermittently, the remaining militants managed to escape taking advantage of darkness and terrain. In this encounter, a total of three militants were killed and dead bodies of all of them were recovered along with two AK 47 Rifles, two hand grenades and ammunition. The killed militants were identified as –

a) Abu Usman R/O Pakistan
b) Gulam Mohd S/O Habib R/O Brijambari, PS Gool, Distt Udhampur, J&K
c) Abdul Gani S/O Mohd Akbar, R/O Brijambari, PS Gool, Distt Udhampur

In this encounter, (Late) Shri Roshan Lal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th November 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 86–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Rakesh Chand, Head Constable
2. Jagdish Singh, Constable
3. Harender Yadav, Constable (Posthumous)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on an intelligence input that about thirty to forty cadres of the outlawed United National Liberation Front had concentrated at Village Sajik Tampak, Distt Chandel, Manipur with a plan to raid BSF Counter Insurgency Post Sugnu and Sangaikot, a operation code named "Jwala" was planned and launched by the troops of 2nd Bn BSF on 8.1.2003. One Company of 2nd Bn BSF under the command of Shri Vivek Saxena reached Village Sajik Tampak. When the troops were taking position on the slope of nearby hillock, they came under heavy volume of fire of the militants, who had taken position on the hill tops. The troops, though pinned down by heavy firing, retaliated. Since the area is located in close proximity of Indo – Myanmar border, the militants received unabated reinforcement from all the groups of Manipur extremists from across the Myanmar border. Thus, the number of militants had swollen to 350 – 400. At about 1830 hrs, the militants launched a concerted offencsive with UMGs, small arms and HE bombs. One of the bullet fired by the militants hit Constable Harender Yadav, who was manning a LMG. Undeterred, and in spite of severe bullet injuries, he kept on firing with the LMG and killed one militant before he succumbed to his injuries. Shri Vivek Saxena, Asstt. Commandant immediately took over the LMG and continued to fire the weapon. Seeing this turn of events, HC Rakesh Chand and Constable Jagdish Singh, with utter disregard to their own safety, showing unusual courage, in spite of heavy firing dashed to take over the LMG from the officer. Thus relieving the officer to concentrate on combat leadership of troops. Heaving taken over the LMG, they started accurate and effective firing from the LMG, which broke the assault of the militants, who were forced to retreat. Their gallant action in taking over the LMG in spite of the hail of bullets resulted in saving the lives of several personnel who were pinned down due to heavy fire from the militants. The conspicuous gallant action and courage exhibited by HC Rakesh Chand and Constable Jagdish Singh not only turned the tide but inspired others to give a befitting reply to the militants by inflicting severe causalities on them and forcing them to retreat. In the encounter four militants were killed whose bodies were seen being taken away by the retreating militants.

In this encounter, S/Shri Rakesh Chand, Head Constable, Jagdish Singh, Constable & (Late) Harender Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th January, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 87–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Sohan Khule, Constable (PPMG)
2. Surjit Kumar, Constable, (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

At about 2030 hrs on 19.2.03, on receipt of a credible intelligence information that a group of 8 to 10 KLO militants, armed with sophisticated weapon would be coming to Jaydevpur Tapu social forest under PS Kumargram Distt Jalpaiguri for indulging terrorist activities and hatching conspiracy against the Govt, undermentioned troops of 138 Bn CRPF under overall supervision of Shri. A Jayachandran A/C(D/C Ops) alongwith Supdt. of Police Distt Jalpaiguri, Addl Supdt of Police Alipurduar, IOC PS Kumargram and State Police laid Ambush at Jaydevpur Tapu and Dhumpara forest river crossing at 1920 hrs :-

2 Section of A/138 Bn CRPF under Command Shri. Harkesh Singh, A/C
1 PL of D/138 Bn CRPF under command Insp. T K Hazra
2 PL of E/138 Bn CRPF under command Insp. Girdhari Lal
1 PL under command SI Rao Sube Singh
1 PL of F/138 Bn CRPF under Command SI Jagdish Singh

There was drizzling and because of clouds the visibility was poor. At about 2200 hrs. D/138 Personnel noticed movement of some suspected men near the Dhumpara forest river bed. When challenged, the miscreants fired indiscriminately on the ambush party with AK 47 Rifle using tracer round. The CRPF troops returned the fire and the exchange of fire continued for about one hour. The miscreants, were hiding in the nearby forest, therefore the troops fired H.E and Para bombs under the order of Shri. Siddhnath Gupta, IPS, S.P Jalpaiguri to flush the militants from their hide out. One Platon of F/138 Bn, CRPF under command SI Jagdish Singh, was also kept as striking reserve at New Lands Tea Garden. Hearing the encounter the Platoon rushed to Dhumpara forest at Rydak river crossing point near Indo-Bhutan Border to lay ambush on the escape route of militants at 2300 hrs. No.001387374 CT/GD Sohan Khule and No.001380885 CT/GD Surjit Kumar,

detailed as LMG-I and LMG-II respectively were positioned at the North West side beside the river. They noticed, two men slowly moving towards Bhutan at about 2045 hrs. CT Sohan Khule challenged them and instead of replying, the militants opened fire towards above LMG party with AK-47 by taking cover of a tree. One bullet hit the left hand wrist and another the right chest of CT Sohan Khule. Despite bleeding profusely CT Sohan Khule crawled towards the hidden militants and positioned himself behind a nearby tree and fired a volley of bullets from his LMG killed the militant at the spot. CT Sohan Khule engaged the other militant by firing with his one hand as his left hand was injured. Meanwhile CT Surjit Kumar LMG-II, showing presence of mind removed CT Sohan Khule from the site and took position. CT Surjit Kumar too, without caring for his life opened fire and threw two hand grenades on the militants. Simultaneously, from South-East 2 to 3 militants started firing heavily on the men using AK-47 Rifle. The exchange of fire continued for 2 hours. On assessing the situation SI. Jagdish Singh fired H.E Bomb on the militants but the militants fled away towards Bhutan Border taking the advantage of thick jungle. The injured CT Sohan Khule was brought to Dhumpara Basti. Shri. A Jayachandran, Asstt Comdt (DC/Ops), SDPO and O-I-C, P.S Kumargram rushed to the scene from Jaydevpur Tapu for the help of the platoon. CT Sohan Khule was taken to the Kumargram, hospital, given first aid and further shifted to Paramount Nursing Home in Siliguri for better medical treatment. Next day, the re-enforcement party rushed to the scene and on searching the incident area found dead body of one militant who was identified as Amal Sarkar @ Mahendra Narayan of Malda Town, West Bengal, a forth batch trained KLO militant, along with 2 Nos. Chinese Hand Grenade and 12 Nos. of empty cases of AK-47. Another militant reportedly injured, escaped and went to Bhutan under the cover of darkness and dense jungle. The dead body alongwith 2 Chinese hand grenade and 12 Nos of AK-47 empty cases were handed over to O-I-C P.S. Kumargram. The operation was concluded at 1400 hrs, on 20.02.2003. Though 5 Coys of 138 Bn, CRPF were deployed at the time of this incident, there were no senior officers posted due to administrative commitments. The whole operation was meticulously planned and executed by Shri. A Jayachandran, Asstt Comdt. who was performing the duty of DC(Ops) of the Unit at Dett-138 Jalpaiguri. No.001387374 CT/GD Sohan Khule of F/138 Bn, CRPF has shown bravery and courage of highest order, presence of mind, shooting skill, tolerance power, professionalism and devotion to duty in killing one hard core militant who was equipped with sophisticated weapons, explosives and was firing indiscriminately with his AK-47 Rifle. Despite being hit by one of the bullet on the right chest and another one on the left hand, the exemplary courage displayed by No. 001387374 CT/GD Sohan Khule is unparallel and worth recognition of highest order. Constable No.001380885 CT/GD Surjit Kumar who

was performing the duty of LMG-II has shown exemplary bravery, high order of courage, presence of mind by replacing the injured CT. Sohan Khule and taking his position and engaging the ultras by firing till the militants escaped towards Bhutan taking cover of darkness and thick jungles. Constable Surjit Kumar who is a novice having hardly two years service at his credit exhibited matured mind and professional skill of highest order, as he prevented further loss to own force and injured a KLO militant.

In this encounter, S/Shri Sohan Khule, Constable & Surjit Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th February 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 88–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

	S/Shri		
1	Talib Hussain, Head Constable,	(Posthumous)	(PPMG)
2.	P.C. Shaoo, Constable		(PMG)
3.	G. Krishna Rao, Constable		(PMG)
4.	R.K. Gantayat, Constable		(PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 09.10.2002 at about 1045 hours a specific information was received to the effect that two to three trained Armed KLO militants were hiding in the house of Phuleswar Das alias Atoi Das, Village : Phukrigram, District : Jalpaiguri (West Bengal). CRPF under command of Shri. S K Yadav, Asstt Comdt O.C. A/43 Bn CRPF with 5 sections of A/43 Bn and two sections of B/43 Bn and two sections of B/43 Bn concentrated at P S Kumargram was immediately alerted. A joint operation alongwith Civil Police was quickly chalked out, and a detailed briefing was given by the Addl S.P. Alipurduar and O.C. A/43. All the troops including Civil Police and combat commandos of Civil Police having strength of 35/40 moved tactically to the destination for launching operation at 1300 hrs. The area around the suspected house was cordoned off by CRPF by 1400 hrs. As soon as the cordon was completed, one search party moved towards the house of Phuleswar Das alias Atoi Das where KLO militants with weapons were suspected to be taking shelter. After spotting the approaching CRPF/Civil Police party, the militants hiding inside the house fired indiscriminately and tried to escape towards west, where a cluster of three houses was located . In the meantime, the section of HC Talib Hussain, which was approaching from the west side towards suspected house took position at the edge of a paddy field. On seeing the CRPF party, the KLO militants opened fire on CRPF/Civil Police party and ran towards another direction in the paddy field. Being fired upon, the section of HC, Talib Hussain retaliated against the escaping militants. The action of the troops was so swift that the militants were forced to hide in the paddy field. To flush out them from their position, one H.E Bomb and 4 Rifle grenades were fired on suspected hiding spot of the militants. Thereafter, HC Talib Hussain without caring for his own safety led his section in search of the militants in the paddy field. There he could spot one militant hiding at a distance of about 20 to 30 mtrs. On seeing the HC the militant fired at HC Talib Hussain and in turn HC Talib Hussain fired 2 to 3 volleys immediately from his personal weapon and killed the militant instantly on the spot. The second militant who hid himself in the adjacent paddy field fired at the Force from his AK-47 and in the process one of the bullets fired by militant hit HC, Talib Hussain just below the left side collar bone between left shoulder and neck which after piercing through his heart came out

from left back side. Unmindful of the grievous bullet injury sustained, he fought valiantly and immediately turned towards the second militant and fired 1 to 2 volleys of rounds swiftly on him, after which he collapsed in the paddy field. After seeing HC Talib Hussain falling down, the second militant started firing towards other personnel of his section who were closing on him. The said section was without any protection/cover and had taken position in the open paddy field. Without caring for their personal safety and taking cover of shelter, the gallant men of the section viz No.913241492 CT G. Krishna Rao, No.931260084 CT P.C Sahoo and No.015040056 CT R K Gantayat held to the same position and with great determination, operational skill and bravery repulsed the firing of the second militant till such time the second militant also got killed on the spot. Late HC Talib Hussain was immediately evacuated to Sadar Hospital, Alipurduar where he was declared "brought dead". During search of the incident site, 2 AK-47 weapon, 4 magazines, 76 rounds of live ammunition, 4 empty cartridge of AK-47 could be found from the dead bodies of militants besides 2 empty cartridge cases of AK-47, one 2 cell torch light, one modified bayonet, one purse containing Rs.2120/-, some documents and one pouch for keeping spare magazines were recovered from close proximity of the dead bodies. Later on, the killed militants were identified as Kamlesh, 23 yrs, S/O Chandra Kumar Das and Bharat Das, 35 yrs alias Ram Singh S/O Sanjit Das of Madhya Halibari Village, P.S. Kumargram, District Jalpaiguri, West Bengal as 4th batch hard core KLO cadre and 2nd batch hard core KLO cadre respectively. The whole special operation at village Pukhurigram P.S. Kumargram took more than 3 hours.

In this encounter, S/Shri Late Talib Hussain, Head Constable, P.C. Shaoo, Constable, G. Krishna Rao, Constable & R.K. Gantayat, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th October 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 89–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Bishamber Singh,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 15-04-2002, the Post Commander of CRPF out post Seri came to know through a reliable Army source that three to four dreaded (HM) militants are taking shelter in a house of Shri Gulam Mustafa son of Shri Din Mohd in village Bharwa about 2 Kms away from the out post. This information was passed to the officer Commanding D/8 Bn. On getting this information, Shri S M Khan, Asstt Comdt , OC D/8 Bn with Coy 2 I/C Inspr Jagan Singh rushed to the village along with 2 sections. The troops of 4 RR, STF and local police along with SHO Bhadarwah also rushed to the village. A joint operation with 4 RR and STF was planned. Troops of 4 RR, STF and D/8 Bn CRPF after due briefing proceeded towards the village Bharwa tactically to cordon off the area. When the troops were closing into the target militants opened indiscriminate firing which was retaliated by the troops. Simultaneously exact location of the hideout was identified by advancing tactically with the help of civilian. After some time firing was stopped and the militants were asked to surrender repeatedly but in vain. Since militants were not responding, it was presumed that either the militants fled or killed in the encounter. On arrival of such flummoxed and precarious situation, commanders ultimately decided to storm the hideout. Some selected persons of 4 RR, STF and 8 Bn CRPF were selected to undertake the task. Constable Bishamber Singh, being a sharp shooter was also detailed in the storming/search party. Armed with courage and conviction, he entered in the three-storied building through ground floor. Suddenly, this special storming party was fired upon heavily by the militants hiding in the upper part of the building. Constable Bishamber Singh also retaliated the fire by standing firmly on the ground. During the exchange of fire, he was hit by a bullet in the shoulder. Four other persons of the party also sustained injuries. In spite of injuries Constable Bishamber Singh exhibiting rare courage and without caring for his life, continued returning fire on militants. Unable to come down to ground floor due to resistance by storming party, militants jumped from upper part of the house directly. Since the house had caught fire after hitting by a rocket, militants tried to break the cordon in order to escape but were killed by the party. Constable Bishamber Singh was evacuated to Army Command Hospital Udhampur being seriously injured.

On search of the area dead bodies of three militants were recovered along with following arms and ammunition:-

Rifle AK 47	02
Mag AK 47	11
Pistol Chinese made	01
Mag Pistol	01
Grenade	02
Wireless set	01
Pencil batteries	27
Live Rounds AK 47	180
Cash amounting to Rs	25,000/

The killed militants were later on identified as Barkat Ali S/O Mohd. Hussain R/O Village Khalkiku (Area Cdr), Mohd Hafiz S/O Mohd Hanif R/O Vill Suwa and Iqbal Khalil S/O Ferojuddin R/O Gajar were recovered.

In this encounter, Shri Bishamber Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th April, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 90–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Industrial Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. **S[illegible] Alagumalai, Head Constable (PPMG) (Posthumous)**
2. **Naren Rajbanshi, Constable (PMG) (Posthumous)**
3. **Akshay Kumar Das, Constable (PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20.06.2003 at about 2150 hrs, the Bus carrying the OIL employees reached Main Gate of the Nagajan OCS/GCS (Oil Collecting Station/Gas Compressor Station) outpost. About 14 – 15 ULFA terrorists, who were in Army uniform and having AK series of weapons, had already boarded the Bus one kilometer before the Nagajan OCS/GCS outpost. They forced seven employees of OIL Duliajan to lay down under the seat of the Bus and directed the Driver of the Bus at gun point to move to the Nagajan outpost. When the Bus reached the Nagajan OCS/GCS outpost Gate HC Solai Alagumalai, who was on duty at the Gate, came out to check the employees. The ULFA terrorist, who was already sitting inside the Bus, started firing indiscriminately on the aforesaid HC Solai Alagumalai. In retaliation, HC Solai Alagumalai immediately opened fire on the terrorists from his SMG/Carbine killing one ULFA terrorist later identified as Umen Moran on the spot. HC Solai Alagumalai, who valiantly fought against the terrorists, however succumbed to bullet injuries during encounter. Constable Akshay Kumar Das, who was deployed for duty at Morcha located near the Gate, started firing on the terrorists from his SLR. The terrorists fired indiscriminately towards the Morcha. Constable Akshay Kumar Das effectively countered the attack and successfully checked the advance of the terrorists. Unfortunately, one the of the shots from terrorists hit the index finger of Constable Akshay Kumar, besides causing damage to his rifle.Thereafter, the terrorists fired two RPGs '– on at the crude oil tank and another at the post commander's room and went on firing indiscriminately on different directions with an intention to blow up the OIL Installation and take away the arms and ammunitions. The post commander, who was present in the post, ran towards the barrack and alerted the Jawans present there. Constable Naren Rajbanshi, who was present in the barrack, came running towards the Gate without any loss of time with his SLR. But he came under the barrage of firing and succumbed to bullet injuries instantaneously. There is no denying the fact that the death of a terrorist namely Umen Moran resulting from the retaliatory firing resorted to by HC Solai Alagumali, who was killed in action, greatly shook the confidence of other terrorists. Further, the resistance put up by

constable Akshay Kumar Das and Constable Naren Rajbanshi, who had shown exemplary courage and valour, had thrown the terrorists into disorder. Before arrival of CISF reinforcement, the terrorists fled away from the scene with one SMG/Carbine and 30 rounds issued to HC Solai Alagumalai and one SLR with 2 rounds out the 40 rounds issued to Constable Naren Rajbanshi, who were both killed in action. Immediately after the incident, a combing operation jointly by local Police/Army and CISF was carried out in the nearby areas in course of which 17 nos. empty cartridges of AK – 47 Rifle, a commando dagger, a liquid compass, a bundle of rupees of the value of Ten thousands of hundred rupee denomination, one grenade lock, a plastic tube of RPG and two No. of empty case of 9 mm ammunition of carbine were recovered/seized by the police. On conducting further search of the surrounding area, one SLR magazine containing 20 live rounds of 7.62 SLR so issued to Constable Late Naren Rajbanshi was also recovered by CISF on 21.06.2003. HC Solai Alagumalai and Constable Naren Rajbanshi who were killed in action, made supreme sacrifice for the Nations by dedicating their lives while fighting valiantly against the terrorist while on duty upholding the highest tradition of CISF.

In this encounter, S/Shri (Late) Solai Alagumalai, Head Constable, (Late) Naren Rajbanshi, Constable & Akshay Kumar Das, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(1) of the rule governing the award of President's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th June, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 91–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

1. Dr. Saji Mohan,IPS, S.P.
2. Shri Mohd. Arshad, Dy.S.P.
3. Shri Mohd. Yousuf, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 1st December 2002 at 0645 hrs., two militants attacked the Road Opening Party of 10 RR at Dessa Road near Masjid Huda Bilalabad, Doda City. They lobbed grenades and started indiscriminate firing upon the ROP and civilians who were coming out of the Mosque after offering prayers, which resulted into instant death of one Army Jawan, one civilian and injuries to two Army Jawans, Ex-serviceman and four other civilians. The Doda police swung into action immediately after the incident. Dr. Saji Mohan, IPS, SP Doda led the operation alongwith ASP Doda and Dy SP (Operations), Doda. Whole area around the place of incident was cordoned off and heavy gun-battle ensued between militants and the police party. Since, there was presence of civilians in the area, neutralization of militants without causing harm to lives and property of civilians was a challenge and test for police. The officers leading the operation accepted the challenge and took the militants heed on and forced them to leave the place where they had taken position. The militants entered in the nearby house of one Romesh Kumar where they kept the family members of Romesh Kumar as hostages. The officers leading the operation challenged the militants to surrender. However, the militants paid no heed and kept on firing at the Police party. Police party lead by SP Doda, stormed the house with tactful firing and were able to force the militants to take shelter in one room of the house. The police party then tactfully rescued Ramesh Kumar, his wife, two other ladies and one child. The holed up militants kept on firing and also threw grenades. The police party had a narrow escape as some bullets and grenade splinters miss them at a close range. Dy. SP (Ops) Mohd Arshad and SGCt. Mohd Yousuf jumped just behind the wall of the room in which the two militants were holded up taking position on the other side of the wall and engaged them in rapid fire from a close range. Meanwhile, Dr. Saji Mohan, IPS SP climbed on the roof top of the house from right side and lobbed two grenades in the room resulting In killing of one militant in the room. The other militant seeing no other way, tried to come out of the room. But just stepping out of the door, he was fired upon by Dy SP (Ops) and SGCt. Mohd Yousuf from a close range, killing him on spot. 2 AK Magazines, (including one broken) & 29 AK rounds were recovered from the slain militants.

In this encounter, S/Shri Saji Mohan,IPS, S.P., Mohd. Arshad, Dy.S.P. & Mohd. Yousuf, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st December 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 92–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Gujarat Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri V V Rabari
Spl. IGP.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24 September 2002, terrorists attacked on Akshardham Swaminarayan Temple at Gandhinagar. DGP accompanied by Shri Maniram, ADGP, Shri V.V. Rabari, Spl IGP rushed to the site. DGP immediately took charge of the situation after getting feed back of the incident from the officers present there. Over 400 devotees/visitors were trapped inside the temple complex and terrorists had resorted to indiscriminate firing & grenade attacks killing & injuring a large number of people. Shri V.V. Rabari, Spl. IG & Shri R.B. Brahmbhatt, SP, CID (Crime) with the help of some selected officers & men started the rescue operation and saved about 400 precious lives. Shri Brahmbhatt provided a security cover to the trapped visitors inside the complex and had personally led them out safely without any loss of life or injury to them. This made the terrorists furious and they started indiscriminate firing on the people who were being rescued taking shelter behind the domes situated over the terrace of the Sachidanand Hall in the temple complex. This helped in locating the hide out of the terrorists. DGP then formed a crack team consisting of 7 Commandos of the State Police to be sent to counter attack on the terrorists. Shri V.V. Rabari again volunteered himself to lead the attack party accompanied by Shri Brahmbhatt. He led the crack team towards the place from where the shots were being fired by the terrorists. These police personnel climbed on to the open terrace through ladder and in the process exposed themselves to grave risk. One terrorist came out and started firing at the attack party with his AK-56 but Shri Rabari and his party entered into a fierce battle with the terrorists to retreat. After a few minutes both the terrorists came out and fired at the attack party, which was retaliated by the attack party. After this, one terrorists came out and fired 2 rounds targeting Shri Rabari. However, Shri Rabari and his team continued the attack for quite a long time, which forced the terrorists to remain confined in their place of shelter and also prevented them to escape. S/Shri S.R. Yadav, Armed Police Inspector, Jayantibhai K. Jadav, Armed ASI, S.M. Yadav, Armed Head Constable, H.C. Ahir, Armed Head Constable, R.B. Patel, Armed Constable, G.B. Rathva, Constable and D.D. Balat, Armed Constable were also a member of the crack team led by S/Shri Rabari & Brahmbhatt. All the crack team members climbed on to the roof of the temple complex and engaged the terrorists who at that time were on the roof. After a brief exchange of fire, the two terrorists climbed down and hid in the area of Sachidanand Hall. When the terrorists came down, they opened fire on a team of Commandos who had positioned themselves very close to the Sachidanand

Hall. It was feared that the terrorists could escape from the rear side of the temple. Shri Pramod Kumar, Spl. IGP, Gandhinagar Range, sent one team of the Jawans of the SRPF headed by Police Inspector L.V. Tolia, Gandhinagar to cover the rear part of the temple complex, which was in complete darkness while this team was moving towards the rear end, the terrorists who had hidden themselves in a lavatory in the one corner of the building, threw grenade at the police party. Shri Allarakha H. Unadjam displayed exemplary courage and tried to advance towards them while risking his life. He was hit by a volley of bullets fired by the terrorists and a result succumbed to his injuries. While one team went on the rooftop, another team of commandos including Shri A.L. Gameti had crawled behind the shrubs in the open lawn adjoining Sachidanand Hall. The terrorists who were forced to come down, saw the Commandos team very close to them. The terrorists immediately opened fire on the Commando team. Shri Gameti returned the fire but he was hit by the firing of the terrorists. Shri Gameti died on the spot. S/Shri D.D. Balat, S.R. Yadav, J. K. Jadav, S.M. Yadav and H.C. Yadav and Shri R.B. Patel with team members also climbed on the open terrace and took position over the adjacent to the sidewall behind which the terrorists were hiding. Although knowing the risk involved, they continued advancing towards terrorists. The terrorists opened fire but the team without loosing courage, continued to fire towards the terrorists without any fear which in turn forced the terrorists to retreat. During exchange of fire, Shri R.B. Patel received bullet injury on his left thigh. In spite of serious injury, he continued to fire towards the terrorists without loosing courage. The firing/attack between the terrorists and the police continued and at about 22.30 hrs, Shri Maniram, Addl. DGP, and Shri R.B. Brahmbhatt and D.P. Chudasma, PSI & Police and SRP staff had gone for rescuing the injured police personnel towards west side of the Gate No. 2 of the temple. The terrorists had started firing towards the police party whereupon, Shri Brahmbhatt received an bullet injury on his left hand and some of the police staff and PSI with him also received injury. The injured were shifted to the hospital for treatment and as with the help of reinforcement, the cordoning from all the sides to the temple was made strong. The terrorists were repeatedly asked to surrender but they continued firing on the police. The Gujarat police personnel continued firing towards the terrorists as a result they could not escape from the premise. At about 23.15 hours, NSG team arrived to assist the Gujarat Police. The DGP and other senior officers briefed the NSG team, which took over and carried out the operation.

In this encounter, Shri V.V. Rabari, Spl. IGP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th September 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 93–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/ Shri

1. M M Sharma, DIG
2. Pooran Singh, ADIG
3. Pratap Singh, Head Constable
4. Dharambir Singh, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A telephonic information from a civilian regarding terrorists attack on Akshardham Temple, situated at the distance of three and a half kilometres from CRPF Campus, Gandhinagar was received by Shri M.M. Sharma, DIGP, CRPF, Gandhinagar at about 1705 hours on 24.09.02. Shri M.M. Sharma DIGP CRPF alongwith Shri Pooran Singh, ADIGP GC, CRPF Gandhinagar and quick reaction team comprising a section of CRPF rushed immediately to Gate No. 3 of the Akshardham Temple where the two terrorists were resorting to indiscriminate firing and grenades explosions. The CRPF team led by Shri M.M. Sharma, DIGP jumped inside the premises and on seeing the trail of blood in the children's park / game area, the cordon of the built up structure was laid, where the terrorists were reportedly hiding. The search of the house was conducted by Shri M.M. Sharma, DIGP and Shri Pooran Singh, Addl. DIGP at the grave risk to their lives HC Pratap Singh and Constable Dharambir Sharma of Group Centre, CRPF, Gandhinagar also followed them for conducting the search of the house. By the time the CRPF Team reached the Gate No.2 near reception centre, it was found that DGP Gujarat Police, other senior State Police Officers and the Gujarat Police Commandos had also arrived there. The strategy to carry out the combing, search and counter terrorist operations for flushing out the terrorists and safe evacuation of trapped visitors was immediately planned in consultation with the DGP Gujarat Police taking into consideration the possible location of the hiding of the terrorists inside the complex and physical topography of the entire Mandir Complex. Sensing the vulnerable situation, Shri M M Sharma DIGP volunteered along with Shri Pooran Singh, ADIGP to lead the counter offensive against the terrorists hiding inside the complex. Shri M.M. Sharma and Shri Pooran Singh with their Quick Reaction Team who all were armed with Self Loading Rifles and Sten Machine Carbines entered the inner circle of the complex along with few Gujarat Police Commandos at about 1730 hrs. to launch the counter terrorist operation against the terrorists and to rescue the trapped visitors inside the built up complex. The team led by Shri M M Sharma

DIGP and Shri Pooran Singh ADIGP advanced tactically from the left flank of temple complex through Research Centre corridor and reached the extreme left corner of the Sehjanand Hall. At this juncture, 8 to 10 dead bodies and 9 to 10 injured people were found lying there in a pool of blood. Shri M.M. Sharma, DIGP and his party evacuated the injured personnel and removed the dead bodies with the help of volunteers gathered outside the fencing. The gory scene prevailing there did not deter Shri M.M. Sharma, DIGP in his mission and he advanced further with Shri Pooran Singh, ADIGP and their party and continued the search and combing operation in the remaining part of the complex covering the three halls. More than 250 panic stricken visitors were trapped inside the two Exhibition Halls in a hell-shocked condition. All these trapped visitors comprising men, women and children were evacuated safely in a very tactical and careful manner. The search of the Exhibition Halls and gallery having zigzag way was also carried out with preponderance of probability of encounter with the terrorists at the grave personal risk to their lives by Shri M.M. Sharma DIGP and Shri Pooran Singh, ADIGP as the terrorists were seen moving in the halls holding guns in their hands by some of the trapped visitors. These officers were closely followed and assisted by HC Pratap Singh and Constable Dharambir Singh and members of the Quick Reaction Team. The rescue of all the trapped visitors was carried out without any mishap. On completion of the search and rescue operation, the party under the command of Shri M.M. Sharma, DIGP returned to the reception centre where the DGP Gujarat Police and other senior Police officers were present. When the further strategy was being chalked out in consultation with the DGP Gujarat Police and other senior Police Officers of the State, it was suspected that the terrorists have been spotted hiding inside the main shrine of the temple complex. Shri M.M. Sharma, DIGP alongwith Shri Pooran Singh immediately advanced towards the main building tactically. On making the entry into the Sanctum Sanctorum, it was found that 50 to 60 people including women and children were cuddled and terrified on ground. All these trapped visitors were evacuated safely towards the main gate and thorough search of the main shrine building was carried out. While the search was being carried out of the main temple building by the CRPF party led by Shri M.M. Sharma alongwith Shri Pooran Singh the exchange of fire took place between the terrorists and State Police commandos towards the Exhibition Hall side, besides explosion of a grenade, confirming the presence of terrorists somewhere on the roof-top of the sprawling exhibition gallery. At this stage, it was essential to take position on the roof-top of the main temple building which was the highest and dominating point of the complex. The bullets were flying all over the complex and no covered passage was

available to reach to the roof-top of the temple to occupy the position. Shri M.M. Sharma, DIGP and Shri Pooran Singh, Addl. DIG accepted a grave risk to their lives and climbed through a 40 feet open ladder on the second floor to reach on the roof-top of the main temple building. Here, Shri M.M. Sharma, DIGP and Shri Pooran Singh, Addl. DIGP were able to keep watch, vigil and block the escape routes of the terrorists by covering with firepower. This action forced the terrorists to remain holed up in a corner of roof-top of sprawling exhibition gallery. The NSG commando commenced their operation at about 0230 hours on 25.09.02 and accomplished at 0700 hrs. by killing both the terrorists. The CRPF remained engaged for the operation by about 14 hours continuously and restlessly.

In this encounter, S/Shri M M Sharma, DIG, Pooran Singh, ADIG, Pratap Singh, Head Constable, & Dharambir Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th September 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 94–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ajay Kumar Singh, (Posthumous)
Supdt. of Police.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Late Shri Ajay Kumar Singh, S.P., Lohardaga, Bihar had on the 4th Oct., 2000 left for village Peshrar alongwith his two body guards and 9 BMP armed personnel at 10.15 AM. He left Peshrar at 1300 hrs for his return journey to Lohardaga. He has just travelled 2 Kms from Peshrar when there was a sudden explosion on the extreme right side of the road in front of the Gypsy in which Shri Singh was traveling. The driver of the vehicle stopped the vehicle. The windscreen of the Gypsy was shattered by a projectile from the blast. There upon the extremists, who lay in ambush in the dense forest on either side of the road, started firing on the police party. Shri Singh after assessing the situation immediately ordered his bodyguards to retaliate the firing. In the exchange of firing, Shri Singh received fatal injuries and died on the spot. One of the bodyguards also got injured. The firing by the BMP personnel compelled the extremist to run away into the jungle. Shri Singh lay dwon his life in the maintenance of the highest tradition of the service while displaying unprecedented courage and bravery.

In this encounter, (Late) Shri Ajay Kumar Singh, Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th October 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 95–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Border Security Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri T B Chhetri, (Posthumous)
Head Constable,

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 28.1.2002, based on specific information about presence of militants in village Pandiya Mohalla (Srinagar), troops of 18 Bn assisted by QRTs of other Bns & AC (G) Zakura and SOG cordoned one of the houses in the village. On directions, civilians present in the house came out but militants hiding inside, opened indiscriminate fire and lobbed/fired grenades, which was retaliated. A party led by AC (T) V.S. Murthy was tasked to storm the house and flush out entrenched militants. This party managed to reach garage of target house, but were spotted by militants, who resumed heavy firing and lobbing grenades, inflicting bullet injury to Ct Ram Kumar and splinter injury to three others. A Bunker vehicle was summoned for immediate evacuation of injured personnel causing a temporary lull. Militants then fired to prevent evacuation of injured, by heavy fire on the bunker vehicle. Undeterred, AC (T) V.S. Murty re-organized his party and provided covering fire to pin down the militants and facilitated evacuation. In the mean time, HC T.B. Chhetry alongwith Ct. Bala Krishnan, who were in the inner cordon relocated themselves tactically to engage the militants and attracted heavy fire in process. They held on to their position throughout the night denying militants any opportunity to escape. On 29.1.2002 morning, militants made another bid to escape in an adjacent building and came face to face to HC T.B. Chhetry who injured the militants. This forced militants to retreat and prevented them from escaping. However, HC T.B. Chhetry, while displaying exemplary courage, unmindful of his personal safety, was shot in chest by the militants and died on the spot. Having re-entered the building, militants resumed firing and the stand off continued. At about 0930 hrs, party led by AC (T) V.S. Murty was assigned the task of storming target house. AC (T) Murty took the bunker vehicle close to the target house and lobbed

grenades inside the house from an open window, and attracted more fire. At about 1600 hrs, party stormed the building in which militants were hiding and fired/lobbed grenades into the rooms. One militant hiding inside the kitchen was killed and charred when fire broke out due to the Gas Cylinder explosion. The remaining two militants continued firing at the raiding party and Cordon. AC (T) V.S. Murty zeroed in on one militant and shot him dead on the spot. The other militant moved to take secure shelter and was subsequently killed by other members of the party. The house was then searched and the bodies of three militants who were identified as a) Saifulla r/o Pakistan, Acting Chief of AI-Badar b) Hizbi r/o Pakistan, Dy. Distt Comdr of AI-Badar c) Usman r/o Pakistan, Coy Comdr of AI Badar were recovered. 03 AK 56 rifles, 01 UBGL for AK, 01 Chinese Grenade, 01 W/set with antenna, Rs. 66,259/-in Cash, 960.20 gms Gold items, 150 gms Silver items and amn were recovered, after search of the area.

In this encounter, (Late) Shri T B Chhetri, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th January 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 96–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Border Security Force :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sanjib Kundu, (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 9.4.2002, Hon'ble Chief Minister J&K was scheduled to address public meeting at Vill. Muran, PS & Distt. Pulwama, 104 Bn BSF was assigned responsibility to sanitize general area vill Muran. Since a grenade had been lobbed during last meeting of Chief Minister in Vill Muran, Comdt S.A. Alvi, made fool – proof security plan to ensure incident free public meeting. At about 1000 hrs a wireless message of Abdul Rashid Dar Bn Comdr of HM outfit, was intercepted and it came to notice that this militant had taken shelter in the area either to attack the Chief Minister or to disrupt his meeting. The message was conveyed to 104 Bn for immediate action. AC Kamal Singh Rathore, alongwith unit QRT was immediately despatched to village Karimabad to carry out raid /Operations. The QRT immediately cordoned the target house, a double storyed concrete building having about 10 rooms. AC Kamal Singh Rathore, made two search parties to carry out the search of house. The militant hiding inside the house suddenly opened indiscriminate firing and also lobbed grenades, which was effectively retaliated. Comdt. S.A. Alvi rushed to the place of occurance and supervised the operation, after being briefed by AC Shri Kamal Singh Rathore, AC. The militant continued to fire on troops by shifting his position from one room to another which created suspicion about the number of militants sheltering in the house. The exchange of fire continued for about 2 hours without yielding desired results. At this stage, few grenades were fired on the house from AGL and a number of hand grenades were lobbed through the windows and doors. The militant panicked due to the blast of grenades and made a desperate attempt to escape by breaking the cordon and rushed towards the cordon while firing indiscriminately. Alert Ct Sanjib Kundu exposed himself to take better position to stop the militant from escaping. He swiftly

changed his position keeping visual contact with the militant firing towards him. The militant on seeing dare-devil action of Ct Kundu fired at him as he was almost physically blocking his escape route. One burst of militant fire hit Ct Sanjib Kundu on the bulletproof jacket and knocked him down. However, Ct Kundu quickly recovered and fired on the militant critically injuring him, but the militant managed to crawl back in the house. In this exchange of fire, Ct Sanjib Kundu also got hit by a bullet in the head. He was rushed to Hospital but succumbed to his injuries enroute. The operation continued and the militant identified as Abdul Rashid Dar s/o Abdul Samad Dar r/o Vill Chuhe – Khurd, PS & Distt Pulwama (J&K), a self styled Bn Comdr and dread C category PTM of HM outfit was eliminated. On search of the area, 01 AK series rifle, 03 Mags AK series and 01 Wireless set were recovered.

In this encounter, (Late) Shri Sanjib Kundu, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th April 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004